खण्ड-142, अंक-2
मंगलवार, 6 आश्विन, शक संवत् 1876
(28 सितम्बर, 1954 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 142 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २८ सितम्बर, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में दिन के ११ बजकर ८ मिनट पर अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६३)

अक्षयवर सिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मोईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐज़ाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिका सिंह, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिराधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गैंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री

चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन्नाथ प्रसाद , श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रतापनारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर , श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायण दीन वाल्मीकि, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी , श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़जलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री

बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन मोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महवीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुन्नू लाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
रामकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री

राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मण दत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम श्री,
लक्ष्मीदेवी,श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव,
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेंद्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेंद्रपति यादव, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द्र, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेव सिंह, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजू राम, श्री

सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलालदास, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

गाजीपुर जिले में सूखे के कारण खरीफ की फसल को हानि

**१—श्री यमुना सिंह (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि गाजीपुर जिले में गत सूखा से खरीफ की फसल को काफी क्षति हुई है ?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—इस संबंध में जिलाधीश से रिपोर्ट मंगाई गई है जो १५ अक्तूबर, १९५४ तक आ जायेगी।

**२—श्री यमुना सिंह (अनुपस्थित)—क्या क्षति-ग्रस्त क्षेत्रों में खरीफ की फसल में छूट देने की सरकार कृपा करेगी ?

श्री चरण सिंह—यदि यह मालूम हुआ कि फसल को जो क्षति सूखा से हो चुकी थी उसे बाद की वर्षा पूरा नहीं कर सकी है तो मालगुजारी में छूट देने का प्रश्न अवश्य ही उठेगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—इस संबंध में और भी जिलों से रिपोर्ट मंगाई गयी है। क्या कृपया राजस्व मंत्री बतायेंगे कि सब रिपोर्टें कितने दिनों में आ जायंगी और उसके मुताबिक कार्यवाही हो सकेगी ?

श्री अध्यक्ष—यह तो गाजीपुर जिले के संबंध में है।

श्री चरण सिंह—जहां-जहां सूखा पड़ा है, एक पत्र ११ सितम्बर को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों को लिख दिया गया है और हमने १५ अक्तूबर तक की अवधि उनकी रिपोर्ट आने के लिये रख दी है। जब उनकी रिपोर्ट आ जायगी तब कुछ कार्यवाही होगी।

प्रांत में शराब की दूकानों के ठेकों का नीलाम

**३—श्री गंगाधर शर्मा (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रांत में शराब की बिक्री के लिये जो ठेके की नीलामी प्रतिबर्ष होती रहती है उसे बन्द करने पर वह विचार कर रही है ?

नोट—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या १–३ श्री बलवन्त सिंह ने पूछे।

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है कि यदि उपयुक्त हो तो आबकारी की दूकानें बजाय वार्षिक नीलाम के किसी दूसरे तरीके से ठेके में दी जायं।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुल प्रान्त भर में शराबबन्दी करने से सरकार को रेवेन्यू में कितनी हानि उठानी पड़ेगी ?

श्री अध्यक्ष--मूल प्रश्न शराब की बिक्री का प्रश्न नहीं है, ठेके का प्रश्न है।

श्री बलवन्त सिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अब प्रति वर्ष सरकार को ठेके से कितनी आमदनी होती है ?

श्री सैयद अली जहीर--नहीं, इस वक्त तो नहीं बतला सकता।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--क्या सरकार इस योजना पर विचार कर रही है कि बजाय ठेकेदारों को देने के स्वयं अपनी दूकानें खुलवाये ?

श्री सैयद अली जहीर--अभी यह तै नहीं किया गया कि अगर ठेकेदारों को ठेके न दिये जायेंगे तो फिर क्या किया जायगा।

श्री शिवनारायण--क्या सरकार इस पर प्रकाश डालने की कृपा करेगी कि बजाय ठेकेदारी के कौन-सा सिस्टम वह लागू करेगी ?

श्री अध्यक्ष--यह तो जवाब दे दिया गया है कि अभी इस पर विचार नहीं हो सका है।

श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)--क्या नये ठेकेदारों के मुकाबिले में पुराने ठेकेदारों को कुछ सुविधा दी जाती है ?

श्री सैयद अली जहीर--जी नहीं, ऐसा कोई कायदा नहीं है। ठेके नीलाम होते हैं, जिसकी बोली सबसे ज्यादा होती है उसको अमूमन ठेका दिया जाता है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रति वर्ष ठेका देने के सिलसिले में क्या दिक्कतें हुईं जिसके कारण दूसरी बात सोचने का प्रश्न उठ रहा है ?

श्री सैयद अली जहीर--मिनजुमला और बातों में एक यह थी कि वे लोग एक किस्म से रिंग बना लेते थे और कोशिश यह होती थी कि बोली ज्यादा न होने पाये। उसको तोड़ने में हमारे अफसरान को दिक्कतें होती थीं। इसी तरह से और दिक्कतें भी थीं जिनके कारण यह जरूरत महसूस हुई कि अगर और बेहतर तरीका निकल सके तो इसको बदल दिया जाय।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस नये ढंग की कब तक उम्मीद है लागू हो जाने की ?

श्री सैयद अली जहीर--जब इसके ऊपर काफी विचार हो सकेगा तब।

डाक्टर सीताराम गोसंवर्द्धन जांच समिति की रिपोर्ट के विषय में परिप्रश्न

**४--श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)--गत २३ अगस्त के प्रश्न संख्या २५ से २७ के उत्तर के संबंध में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि डा० सीताराम कमेटी (गोसंवर्द्धन जांच समिति) की पूरी रिपोर्ट उसे अब तक प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तब वह सदन में कब रक्खी जायगी ?

श्री चरण सिंह--गोसंवर्द्धन जांच समिति की रिपोर्ट अभी हाल ही में प्राप्त हुई है। रिपोर्ट छपने के बाद सदन में रखी जायगी।

श्री रणंजय सिंह--क्या सरकार कृपा करके बतला सकती है कि अनुमानतः यह रिपोर्ट सदन में कितने दिनों में आ सकेगी ?

श्री चरण सिंह--अनुमानतः तीन महीने में।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस रिपोर्ट का सारांश क्या है ?

श्री चरण सिंह--अभी मैंने ही पूरी नहीं पढ़ी है।

तारांकित प्रश्न

जिला आजमगढ़ के दोहरीघाट पर बालू में धंसी हुई नाव की रखवाली

*१--**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दोहरीघाट, जिला आजमगढ़ के घाट पर सार्वजनिक निर्माण विभाग की २ बोटें बड़े किस्म की वर्षों से बालू में धंसी पड़ी हैं ?

निर्माण उप-मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)--दोहरीघाट पर सार्वजनिक निर्माण विभाग की केवल एक टग बोट में पानी भर जाने से किनारे लगाई गई है।

*२--**श्री रामसुन्दर पांडेय** (अनुपस्थित)--यदि हां, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--गत वर्ष पानी उतरते समय यह टग बोट टेढ़ी हो गयी थी जिसके कारण उसके निचले भाग में थोड़ा सा पानी आ गया था और पानी उतरते ही वह टग सूखे में पड़ गया।

*३--**श्री रामसुन्दर पांडेय** (अनुपस्थित)--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन २ बोटों की रखवाली के लिये सरकार द्वारा कुछ नौकर भी रखे गये हैं ? यदि हां, तो कितने और उनपर मासिक व्यय क्या होता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--सिर्फ एक बोट जो कि किनारे पर पानी से भरी पड़ी थी उसकी रखवाली के लिये एक चौकीदार ३५ रुपया प्रति मास पर नियुक्त किया गया है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितनी नावें वहां काम करती हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--यह संख्या इस समय मेरे पास नहीं है, सूचना की जरूरत होगी।

---

* नोटः--तारांकित प्रश्न १-३ श्री रामनारायण त्रिपाठी ने पूछे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--यह जो नाव वहां धंसी पड़ी है उसे अब तक निकाला क्यों नहीं गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---गत वर्ष सन् ५३ में यह धंस गयी थी ।

श्री शिवनारायण---क्या सरकार बतलायेगी कि जिन लोगों की लापरवाही से यह नांव वहां धसी पड़ी है उनके साथ कोई कार्यवाही की गई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---इसमें कोई विशेष लापरवाही का काम नहीं है । एकदम से पानी उतर गया और नाव का वजन इतना अधिक था कि वह सूखे में धंस गई । तब से पानी नहीं आया था । इस साल पानी आया तो यकायक आ गया और अभी तक पानी कम नहीं हुआ ताकि उसे निकाला जा सके ।

श्री बलवन्त सिंह--क्या नाव की देखरेख के लिये वहां कोई विशेष आदमी रक्खा जाता है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--मैंने अभी उत्तर दिया है कि एक चौकीदार उसकी देखरेख के लिये रक्खा गया है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो नाव धंसी पड़ी है उसको निकालने के लिये कोई विशेष मशीन की आवश्यकता थी जिससे वहां पड़ी हुई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---नाव असल में २० टन की है और उसके चारों ओर रेत है । बैलों या आदमियों से वह नहीं निकाली जा सकती । एक तरीका यह हो सकता है कि या तो नाली काटी जाय और नदी लाई जाय लेकिन उसमें बहुत खर्चा पड़ता है । इसलिये यह सोचा गया कि जब बरसात में पानी आयेगा, पानी कम होगा तो उसे उसी वक्त निकालने की कोशिश की जायगी ।

आगरा तथा मथुरा ज़िलों की सिंचाई योजनायें तथा देहली-गाजियाबाद सड़क पर हिंडन बांध का सर्वे

*४--**श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी** (जिला आगरा) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा-मथुरा की सिंचाई की समस्या हल करने के लिये कौन-कौन सी योजना उसके विचाराधीन है और वे किस-किस स्टेज पर हैं ?

सिंचाई उप-मंत्री (श्री राममूर्ति)---आगरा-मथुरा जिलों में सिंचाई की वृद्धि के निमित्त योजनाओं की तफसील मेज पर रक्खी विवरण-पत्रिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १४४-१४५पर।)

*५--**श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी** (जिला आगरा) (अनुपस्थित)---क्या सरकार शाहदरा और गाजियाबाद के बीच में कोई Reservoir बनाने के सम्बन्ध में विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई survey हुई है ?

श्री राममूर्ति---शाहदरा और गाजियाबाद के बीच गाजियाबाद-देहली सड़क से ऊपर की ओर हिंडन बांध बनाने की योजना है । इसका सर्वे (survey) पूर्ण हो चुका है ।

नोट---तारांकित प्रश्न ४-५ श्री हरदयाल सिंह पिपल ने पूछे ।

श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़)---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि आगरा-मथुरा की सिंचाई की योजना के अन्तर्गत कुल कितना रुपया खर्च होने वाला है ?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--अगर हिंडन रिजर्वायर बन जायगा तब तो कुल मिला कर डेढ़ दो करोड़ रुपये के ऊपर खर्च हो जायंगे। ऐसे पूरा हिसाब इस वक्त बतलाना कठिन है लेकिन जो योजनायें यमुना नहर की हैं, कुछ ट्यूबवेल्स की हैं उनके हिसाब से काफी रुपया खर्च होगा।

श्री हरदयाल सिंह पिपल--क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस योजना से कब तक सिंचाई का काम शुरू हो जायगा ?

श्री राममूर्ति--जहां तक हिंडन रिजर्वायर का ताल्लुक है वह दो साल में बन जायगा। उम्मीद की जाती है कि वह अगली पंचवर्षीय योजना के अन्दर जरूर ले लिया जायगा। जहां तक और स्कीमें हैं वे आहिस्ता-आहिस्ता ली जा रही हैं। जैसे जैसे ली जायंगी वैसे-वैसे काम आगे बढ़ता जायगा।

श्री तेजासिंह (जिला मेरठ)---क्या यह ठीक है कि जहां रिजर्वायर बन रहा है एक डेपुटेशन किसानों का मंत्री के पास इसलिये भेजा था कि वहां रिजर्वायर न बनाया जाय, उस पर माननीय मंत्री जी ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री राममूर्ति--डेपुटेशन आ कर मिला था और उसका यह अनुरोध था कि वहां पर रिजर्वायर न बनाया जाय। मंत्री महोदय ने यह कहा कि वह अपने अफसरान को, हो सका तो उपमंत्री को भी वहीं भेजेंगे और भेजकर सब चीजें डेपुटेशन को दिखलायेंगे और कोशिश करेंगे कि जो वाकयात हैं उनसे वे संतुष्ट हो जायं और कंविंस हो जायं कि रिजर्वायर वहीं पर बनना चाहिये।

श्री बलवन्त सिंह--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस रिजर्वायर के बनने से कितनी अतिरिक्त भूमि में आबपाशी होने लगेगी ?

श्री राम मूर्ति---अध्यक्ष महोदय, पिछली बार मैंने बड़े ब्योरे के साथ जवाब दिया था कि रिजर्वायर के बनने से कितना पानी आयेगा, कितना रुपया खर्च होगा और कितनी जमीन की उससे सिंचाई हो सकेगी।

श्री हरदयाल सिंह पिपल--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो योजना सूची में आइटम नं० ६ पर है उसका कब तक इन्तजाम हो जायगा ?

श्री राम मूर्ति---यह सरकार के विचारार्थ है।

बिजनौर, बनारस तथा मिर्जापुर जिलों की नहरों की बढ़ी हुई दरों में कमी

*६--श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)---क्या यह सही है कि बिजनौर, बनारस तथा मिर्जापुर जिलों में कुछ नहरों पर सन् ५३ के बढ़ाये गये कैनाल रेट फिर घटाये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति-- १ अप्रैल, १९५३ से भिन्न-भिन्न नहरों पर लागू दरें पहली दरों से ५० प्रतिशत बढ़ाई गई थीं किन्तु बिजनौर, कर्मनासा तथा बनारस रियासत की नहरों पर

नोट--प्रश्न संख्या ६-८ श्री रामनारायण त्रिपाठी ने पूछे।

सिंचाई की दरें १०० प्रतिशत से भी अधिक बढ़ गई थीं। अतः कर्मनासा तथा बनारस रियासत की नहरों की दरों में वृद्धि ५० प्रतिशत के स्तर पर लाने के लिये कमी कर दी गई।

बिजनौर क्षेत्र की नहरों में पानी पर्याप्त मात्रा में न होने के कारण उन पर वही दरें लगनी चाहिये थीं, जो कि अन्य ऐसी नहरों पर जिनमें पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं है लगाई गई हैं। चूंकि बिजनौर क्षेत्र में १-४-१९५३ से लगाई हुई दरें तदनुकूल नहीं थीं, उनको घटा कर वही दरें रक्खी गईं जो कि इसके पूर्व थीं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या यह सही है कि प्रान्त में और भी ऐसे जिले हैं कि जहां पर इस किस्म से दरें बढ़ाई गई थीं और उनको नहीं घटाया गया है?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां और भी है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी----उन जिलों में भी दरों को समानान्तर लाने का सरकार का कब तक विचार है?

श्री कमलापति त्रिपाठी----वह तो जहां पर करना था कर दिया।

श्री केशव गुप्त----क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि ईस्टर्न यमुना केनाल में भी पानी की कमी है तो क्या उसकी दर को भी सरकार घटा रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी----ईस्टर्न यमुना कैनाल में पानी की कमी हो सकती है लेकिन जैसा जवाब में कहा गया है, वहां पर रेगुलर सप्लाई है और रेगुलर सप्लाई होने की वजह से कमी नहीं की जा सकती है।

श्री व्रज भूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)----क्या यह सही है कि मिर्जापुर कर्मनासा नहरों पर ५०० फीसदी रेट बढ़ गये थे जो बाद में ठीक किये गये?

श्री कमलापति त्रिपाठी----५०० फीसदी का तो मुझे याद नहीं, लेकिन वह रेट बहुत ज्यादा बढ़ गये थे, शायद दुगुने और तिगुने के करीब थे।

उत्तर प्रदेश में सिंचाई की बढ़ी हुयी दरों को घटाने की सिफारिश

*७---श्री नारायण दत्त तिवारी (अनुपस्थित)----क्या यह सही है कि यू० पी० में वर्तमान सिंचाई की दरें सन् १९४८ की तुलना में ढाई गुनी या तीन गुनी तक बढ़ी हुई हैं? यदि हां, तो क्या सरकार खेतिहर पैदावार के मूल्यों में होने वाली कमी को देखते हुये सिंचाई की बढ़ी दरों को घटाने पर विचार कर रही है?

श्री राम मूर्ति----चारे की फस्लों को छोड़ कर अन्य फस्लों पर सिंचाई की वर्तमान दरें सन् १९४८ से साधारणतया २ १/४ गुनी हैं। गल्ले के मूल्यों में कोई विशेष कमी न होने के कारण सिंचाई की दरें घटाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रामनारायण त्रिपाठी----क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जहां पर चारे की फसल का सवाल है वहां यह दरें कितनी बढ़ गयी थीं?

श्री राम मूर्ति---यह तो अलग-अलग जिलों की अलग-अलग दरें हैं। अगर आप कहें तो मैं पढ़ कर सुना दूं।

श्री अध्यक्ष----बहुत विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री केशव गुप्त---क्या सरकार को ज्ञात है कि दर बढ़ाते समय यह फार्मूला मान लिया गया था कि दरों को हर तीसरे साल रिवाइज किया जायगा और पिछले तीन साल की अनाज की कीमतों के अनुपात से उसको घटाया या बढ़ाया जायगा ?

श्री राम मूर्त---दर लगाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया था कि पैदावार का एक बटा दस हिस्से से ज्यादा नहीं होना चाहिये और एक बटा पांच हिस्से से कम न होनी चाहिये। इस बात का ख्याल रक्खा गया है और वक्तन फवक्तन इस बात की जांच होती रहती है और जब ऐसा कोई अवसर आयेगा तो उस पर विचार किया जायगा और कम करने की जरूरत होगी तो कम की जायगी।

श्री राम नारायण त्रिपाठी---क्या दर बढ़ाने का कारण यही है कि गल्ले का भाव ज्यादा महंगा हो गया था ?

श्री राम मूर्ति---एक वजह यह भी थी।

श्री राम नारायण त्रिपाठी---क्या सरकार को मालूम है कि गल्ले का भाव सन् १९४८ ई० में जो था उससे अब सस्ता गल्ला इस प्रदेश में बिक रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मान्यवर, इस विषय में बड़ा विवाद इस हाउस में हो चुका है और इस प्रश्न पर काफी प्रकाश डाला जा चुका है। यह सही है कि सन् १९४८ ई० में जो गल्ले का भाव था वह भाव बहुत कम था और सन् १९३८ में वह तिगुना और चौगुना था। तो सन् १९३८ ई० तक जो दरें चल रही थीं उसके हिसाब से जो वह वृद्धि थी वह बहुत ज्यादा थी।

सिंचाई विभाग की वार्षिक रिपोर्ट के प्रकाशन में विलम्ब

*८---श्री नारायण दत्त तिवारी (अनुपस्थित)---क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग की वार्षिक रिपोर्ट बहुत वर्षों से प्रकाशित नहीं हुई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम मूर्ति---सिंचाई विभाग की वार्षिक रिपोर्ट सन् १९४९-५०, १९५०-५१ और १९५१-५२ की अब तक प्रकाशित नहीं हुई। इन वार्षिक रिपोर्टों के प्रकाशन में देरी का कारण यह है कि १९४७ और १९४८ की वार्षिक रिपोर्ट एक लम्बे समय तक गवर्नमेंट प्रेस में अन्य अत्यधिक आवश्यक कार्यों के कारण पड़ी रहीं। यह पिछड़ा हुआ छपाई का कार्य अब राजा रामकुमार भार्गव प्रेस को दे दिया गया है। १९५१-५२ की वार्षिक रिपोर्ट गवर्नमेंट ब्रांच प्रेस से छप कर इसी सप्ताह में आ गई है। १९५२-५३ की वार्षिक रिपोर्ट सरकार को मिल चुकी है और शीघ्र ही छपा ली जायगी।

श्री राम नारायण त्रिपाठी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि क्या वजह है कि इतनी देर में इस रिपोर्ट को छपवाया गया ? देर होने पर सरकार का ध्यान उस तरफ क्यों नहीं गया, पहले वह रिपोर्ट वहां से मंगा ली जाती और अन्यत्र छपवा ली जाती ?

श्री राम मूर्ति---ध्यान उस वक्त था लेकिन प्रेस से यह रिपोर्ट आयी कि काम की अधिकता है अभी वह छपी नहीं है। अन्त में यह काम दूसरे प्रेस को दिया गया। सुपरिंटेंडेंट गवर्नमेंट प्रेस ने पत्र लिखा कि यह काम दूसरे प्रेस को दिया जाय तो जैसा मैंने कहा कि अब दूसरे प्रेस को दे दिया गया है और आगे विलम्ब नहीं होगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि गवर्नमेंट प्रेस में जब यह इतने दिनों तक नहीं छप सकी तो सुपरिंटेंडेंट महोदय ने इस आशय का पत्र सरकार को कब लिखा था कि अधिक काम के कारण रिपोर्ट नहीं छप सकती ?

श्री राम मूर्ति---तारीख तो मेरे पास नहीं है मगर माननीय सदस्य सब जानते हैं कि पिछले दिनों गवर्नमेंट प्रेस में बहुत काम रहा है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या सुपरिंटेंडेंट, गवर्नमेंट प्रेस का एक ही पत्र माननीय मंत्री जी के पास आया था, या कई पत्र उनके पास आये थे कि कार्य में विलम्ब हो गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मैं समझता हूं कि यह इतना महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है कि कब उनका पत्र आया। उनके २, १ पत्र आये और वह विभाग की बातें हैं वह पत्र चलते रहते हैं और चलने बन्द भी हो जाते हैं। वह क्यों नहीं छप सकी, इसका एक कारण रहा कि आडिटर जनरल के यहां से स्टेटमेंट देर से आया। ५० का स्टेटमेंट ५१ में और ५१ का स्टेटमेंट ५२ में और इस प्रकार से स्टेटमेंट के देर से मिलने के कारण देर हुयी और फिर वह एक साथ बहुत सी रिपोर्ट हो गयी। पिछले दिनों गवर्नमेंट प्रेस में इतना काम बढ़ा कि सरकार को एक दूसरा गवर्नमेंट प्रेस लखनऊ में खोलना पड़ा है और अब काम तेजी से हो रहा है।

लालगंज-काला कांकर सड़क का सुधार

*९--**श्री राम नरेश शुक्ल** (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)--क्या सरकार को पता है कि इस साल फिर लालगंज-काला कांकर रोड वर्षा के कारण गांव रेवली में कट गई थी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी हां। इसकी मरम्मत करा दी गई है।

*१०--**श्री राम नरेश शुक्ल** (अनुपस्थित)--यदि हां, तो क्या सरकार इस स्थान पर पुल बनवाने को सोच रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी पुलियों के निर्माण की व्यवस्था अनुपूरक बजट में की गई है।

श्री शिवनारायण--क्या सरकार बतायेगी कि अनुपूरक बजट में इसके लिये कितना रुपया रखा गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--२९ हजार रुपया।

श्री शिवनारायण--इस सड़क पर सरकार कब तक काम शुरू कर देगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--अब बजट पास हुआ है। तो चीफ इंजीनियर इसका आर्डर निकालेंगे कि यह बना दिया जाय।

*११-१२--**श्री चिरंजी लाल पालीवाल** (जिला फर्रुखाबाद)--[स्थगित किये गये।]

बांदा राजनीतिक सम्मेलन में पत्रकारों का जाना

*१३--**श्री झारखंडे राय** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि बांदा जिला राजनीतिक सम्मेलन (२६, २७, २८ मार्च) के समय सरकारी खर्चे से पत्रकार वहां ले जाये गये थे ?

श्री राममूर्ति--जी नहीं।

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या ९-१०-श्री शिवनारायण ने पूछे।

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या १३ श्री रामनारायण त्रिपाठी ने पूछा।

प्रान्त में विभिन्न जिलों में मद्य निषेध तथा उसकी सफलता

*१४--**श्री वीरेन्द्र वर्मा** (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के किन-किन जिलों में और कब से शराब बन्दी नीति के अनुसार (Prohibition) चल रहा है और उसमें सरकार को कितनी सफलता प्राप्त हुई ?

श्री सैयद अली जहीर--उत्तर प्रदेश के भिन्न-भिन्न स्थानों में मद्य निषेध लागू करने की तारीखें इस प्रकार हैं--

तारीख	स्थान
१ अप्रैल, १९४७ ई० से	.. १--बदायूं, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, जौनपुर, सुल्तानपुर तथा प्रतापगढ़ जिलों में ।
१ अप्रैल, १९४८ ई० से	२--कानपुर तथा उन्नाव जिलों में।
१ अप्रैल, १९४९ ई० से	३--फतेहपुर तथा रायबरेली जिलों में।
३१ अगस्त, १९४९ ई० से	४--वृन्दावन, हरिद्वार तथा ऋषिकेश के धार्मिक नगरों में।

मद्य निषेध वाले स्थानों में मद्य निषेध को कितनी सफलता मिली है, यह जानने के लिये सरकार ने प्रश्नावलियां जारी की थीं। उनके उत्तर में जो आंकड़े इकट्ठे किये गये हैं उन पर सरकार अभी विचार कर रही है। परन्तु उनसे इतना अवश्य पता चलता है कि व्यसनियों के सामाजिक सम्बन्ध, माली हालत, रहन-सहन तथा कर्ज आदि की हालत में मद्य निषेध से काफी लाभ हुआ है ।

*१५--**श्री वीरेन्द्र वर्मा** (अनुपस्थित)--क्या मादक-कर मंत्री बतायेंगे कि किन-किन कारणों से सरकार Prohibition नीति को दूसरे जिलों में लागू करने में असमर्थ रही ?

श्री सैयद अली जहीर--मद्यनिषेध को दूसरे जिलों में लागू न करने का कारण यह है कि सरकार अभी पहले प्रश्न में बताई गई सूचना पर विचार कर रही है। परन्तु आशा है कि उनसे मद्य निषेध के विषय में आगे का रास्ता तय करने के काम में काफी सहायता मिल सकेगी।

जिला आजमगढ़ की घोसी तहसील के अंवरा नाले से फसल को क्षति

*१६--**श्री रामसुन्दर पांडेय** (अनुपस्थित)--क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि घोसी तहसील, जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत भिसहा और हृदयपट्टी ग्राम के सभापतियों ने अगस्त, सन् ५३, में सरकार के पास अंवरा नाले के पानी के निकास के लिये कोई तार दिया था ?

श्री राम मूर्ति--हृदयपट्टी के सभापति ने तो एक तार सरकार को भेजा था। परन्तु भिसहा के सभापति ने कोई तार सरकार को नहीं भेजा।

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या १६-१८ श्री रामनारायण त्रिपाठी ने पूछे।

*१७--श्री रामसुन्दर पांडेय (अनुपस्थित)--यदि हां, तो सरकार की ओर से उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम मूर्ति--सरकार ने प्रयत्न किया कि अंवरा नाला को रतोय ताल से मिला देने के प्रस्ताव को कार्यान्वित किया जाय परन्तु वहां के निकटवर्ती ग्रामवासियों ने विशेषतया सिधाग्राम के निवासियों ने घोर विरोध किया। अतः उस नाले को रतोय ताल से न मिलाया जा सका।

*१८--श्री रामसुन्दर पांडेय (अनुपस्थित)--क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस अंवरा नाले के पानी के निकास के न होने के कारण गत विप्लवकारी बाढ़ और वर्षा में कितने एकड़ फसल का नुकसान हुआ है ?

श्री राम मूर्ति--गत वर्ष की बाढ़ के फलस्वरूप इस नाले के निकटवर्ती क्षेत्र में ५८३ एकड़ खड़ी खरीफ फसल को लगभग आठ आने का नुकसान हुआ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या उन ग्रामवासियों को समझा-बुझा कर चूंकि उससे नुकसान है इसीलिये सरकार फिर प्रयत्न करेगी कि दोनों तालों को आपस में मिला दिया जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इस बात की चेष्टा की जा रही थी और की गयी है कि वे लोग मिल जुल जायं। अच्छा हो कि माननीय प्रश्नकर्ता महोदय जो उसी क्षेत्र से हमारी विधान सभा के सदस्य भी हैं इसमें अपना कुछ जोर लगायें।

जिला जौनपुर के पोरैला ताल से सिंचाई

*१९--श्री बाबू नन्दन--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला जौनपुर, तहसील शाहगंज के पोरैला ताल से कितने एकड़ भूमि की सिंचाई की जाती है ?

श्री राम मूर्ति--पोरैला ताल से तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर, के पुरैनी कलां तथा पुरैनी खुर्द ग्रामों की सिंचाई होती है। लगभग १०० एकड़ भूमि खरीफ में तथा ३०० एकड़ भूमि की रबी में सिंचाई होती है।

श्री बाबू नन्दन--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस ताल से जनता के हितार्थ सिंचाई के अधिक साधन उपलब्ध होने के लिए सरकार की ओर से कोई और व्यवस्था की जायगी ?

श्री कमला पति त्रिपाठी--इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना है कि यह ताल गांव सभा का है। इसका हमारे सिंचाई विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं है। सरकार के पास अब तक कोई इस प्रकार की प्रार्थना भी नहीं आयी, माननीय सदस्य अगर उसकी ओर कुछ सुझाव देंगे तो सरकार विचार करेगी।

पूर्वी यमुना नहर की पुर्वनिर्माण योजना

*२०--श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि पूर्वी यमुना नहर के चौड़ा करने पर कितना व्यय होगा और यह योजना कब तक पूर्ण हो जायेगी ?

श्री राममूर्ति--पूर्वी यमुना नहर के पुनर्निर्माण में लगभग ३३,२९,००० रु० व्यय होगा तथा आशा की जाती है कि यह योजना सन् १९५६ के अन्त तक पूर्ण हो जायेगी।

*२१---श्री रामचन्द्र विकल---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस योजना द्वारा कितना अधिक रकबा सींचा जा सकेगा ?

श्री राम मूर्ति---उक्त नहर के वर्तमान अधिकृत क्षेत्र को यथेष्ट मात्रा में जल देने के बाद अपर डिवीजन में ७,००० एकड़ धान तथा अपर और लोअर डिवीजनों में ३०,००० एकड़ रबी की अधिक सिंचाई हो सकेगी।

श्री रामचन्द्र विकल --- क्या माननीय सिंचाई मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि रबी की फसल में जो पानी बढ़ाया जायगा उसके लिये सरकार ने क्या-क्या प्रबन्ध किया है ?

श्री राम मूर्ति--- वह तो जो प्रबन्ध हो रहा है, नहर की दुरुस्ती हुई, पुल ठीक हो रहे हैं और भी खराबियां हैं ठीक हुई, तो यह जो प्रबन्ध किया जा रहा है वह इसीलिये ताकि सिंचाई बढ़े।

श्री रामचन्द्र विकल --- क्या पानी को अधिक बढ़ाने के लिये पूर्वी यमुना नहर में कोई रिजर्वायर सरकार बना रही है ?

श्री राम मूर्ति--- जी नहीं।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या यह सत्य है कि यह पानी इस वक्त नहर को मिल रहा है उसी को अधिक क्षेत्रफल में बढ़ाया जायगा ?

श्री राम मूर्ति--- जी नहीं।

राबर्ट्सगंज तहसील में कर्मनाशा नदी तथा बिहार प्रदेश के बीच सिंचाई योजना

*२२---श्री राम स्वरूप (जिला मिर्जापुर)--- क्या सरकार के पास तहसील राबर्ट्सगंज, जिला मिर्जापुर, के ४८ ग्रामों की सिंचाई हेतु जो कर्मनाशा नदी के उत्तर तथा बिहार प्रदेश की सीमा के बीच स्थित है, कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इन ग्रामों में सिंचाई की व्यवस्था छोटे-छोटे तालों व बन्धियों द्वारा की जा सकती है। देवरी, दोबा व भेरमपुर ग्रामों के लिये देवरी बन्द के स्कीम का सर्वे किया जा चुका है और इसे द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया गया है। इसी क्षेत्र में करहकी नाला नाम की दूसरी स्कीम का सर्वे जाड़े के दिनों में किया जायेगा। इससे सेहदौल, बसहरा, ननगांव, नन्धौरा, नागपुर, महादेवपुर, दूबेपुर, पौनी, पटौध विजवार और सेमरिया ग्रामों को लाभ पहुंचेगा।

श्री राम स्वरूप---क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि सियरिया डैम के पास बड़ा बांध बना कर इन सभी गांवों की सिंचाई हो सकेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---यह तो मुझे नहीं मालूम है। लेकिन यह मालूम है कि यहां जो बंधियां बनती हैं वह इतनी महंगी पड़ती हैं कि कोई बड़ा बांध बनाना कहां तक सम्भव होगा, यह कहा नहीं जा सकता।

श्री व्रजभूषण मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि यह क्षेत्र हमवार है और यहां बंधा बनवाने से सिंचाई हो सकेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---अगर माननीय सदस्य मेरा ध्यान इस तरफ दिलाएं तो देख लूंगा। लेकिन बंधे तो हमवार क्षेत्र में बनते नहीं। बंधे तो ऐसी जगह पर बनते हैं जहां पर पानी रोकना सम्भव हो। अगर कोई क्षेत्र हमवार है तो वहां पानी रोकना बहुत सम्भव नहीं होता।

श्री व्रजभूषण मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि यह क्षेत्र हमवार है, लेकिन उसके पड़ोस पहाड़ है, उससे नाले निकलते हैं जो बांधे जा सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष---सूचना आपकी ओर से मिल गयी। यह प्रश्न नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---मेरा निवेदन यह है कि आज एक विशेष परिस्थिति उत्पन्न होगयी है। इसलिये आप कार्यवाही रोक दें बहुत से माननीय सदस्य जो कि प्रश्नकर्ता हैं.....

श्री अध्यक्ष---अनावश्यक है सुझाव आपका, क्योंकि प्रश्नों का पहला सिलसिला हम खत्म कर चुके हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---सम्भवतः सब प्रश्नकर्ता आएं, अगर उसके बाद काम हो तो अच्छा है। बहुत से प्रश्नकर्ता अभी नहीं आ सके हैं, कई मेम्बरों के लिए तो मुझे ही खड़ा होना पड़ा। फिर इसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बिल आ रहा है जो कि एक असाधारण बिल है।

श्री अध्यक्ष---यह सिलसिला खत्म हो चुका है। कुछ दूसरों के प्रश्नों के बारे में सदस्य उठ कर खड़े हुए हैं और उन प्रश्नों में अपनी दिलचस्पी प्रकट की है। मैं वे सवाल ले रहा हूं। क्योंकि सभी प्रश्नों के लिये सदस्य खड़े हुए हैं; शायद ही कोई सवाल बचा हो जिसके लिये कोई न खड़ा हुआ हो।

*२३-२५---श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---[स्थगित किये गये।]

दीवानी के अहलकारों को दी गई पैमाइश की ट्रेनिंग तथा उनकी सिविल कोर्ट के अमीन की नियुक्ति आदि पर परिप्रश्न

*२६---श्री राधाकृष्ण अग्रवाल (जिला हरदोई)---क्या न्याय मंत्री १६ मार्च, १९५४. के २४ से २६ प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या जिन दीवानी के अहलकारों को पैमाइश की ट्रेनिंग दी गई थी वह अब सिविल कोर्ट अमीन नियुक्त कर दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो अब तक क्यों नहीं किये गये हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---जिन दीवानी के अहलकारों को पैमाइश की ट्रेनिंग दी गयी थी उनकी नियुक्ति अभी अमीन के पद पर नहीं की गई है क्योंकि अभी उन प्रासेस सरवरों (process servers) को जो अमीन की नियुक्ति से फालतू हो जायंगे रिटायर नहीं किया जा सका है और न उनकी छटनी हुई है। इसके अलावा अवध के दीवानी अदालतों के रूल्स में अमीनों के बारे में उपबन्ध (provision) भी अभी तक नहीं किया गया है।

*२७--श्री राधाकृष्ण अग्रवाल---क्या सरकार ने उन अहलकारों को ट्रेनिंग की अवधि का वेतन देने और उस अवधि को ड्यूटी पीरियड में शुमार करने का निश्चय कर लिया है ?

श्री सैयद अली जहीर---यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

*२८--श्री राधा कृष्ण अग्रवाल---क्या सरकार ने प्रदेश में नये सिविल रूल्स लागू कर दिये हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---अभी नहीं।

श्री राधा कृष्ण अग्रवाल---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि प्रश्न २६ के उत्तर में दिये हुए कारणों की उपस्थिति में दीवानी के अहलकारों को पैमाइश की ट्रेनिंग क्यों दी गयी ?

श्री सैयद अली जहीर---इस खयाल से दी गयी कि जैसे जैसे जगह होती जायगी वैसे वैसे उनको अवध में मुकर्रर किया जायगा लेकिन अभी तक किसी वजह से अवध के रूल्स नहीं बदले जा सके हैं और अभी काफी तादाद में प्रोसेस सर्वर्स रिटायर नहीं हुए हैं।

श्री राधा कृष्ण अग्रवाल---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि पूरे प्रदेश में हाई कोर्ट के रूल्स एक ही हैं या दो हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---हाई कोर्ट के रूल्स इलाहाबाद प्रोविंस में एक हैं और अवध में दूसरे हैं। दोनों को एक करने की कोशिश की जा रही है और गालिबन जल्दी हो जायगा।

श्री राधा कृष्ण अग्रवाल---क्या यह सही है कि काफी अरसा हुआ जब कि हाई कोर्ट के रूल्स को बदलने के लिये एक विशिष्ट अफसर की नियुक्ति हुई और उस अफसर ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी लेकिन अभी तक उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है ?

श्री सैयद अली जहीर---यह मैं तफसील से इस वक्त नहीं बतला सकता कि यह काम किस स्टेज पर है लेकिन काम हो रहा है।

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निर्मित नलकूपों पर व्यय

*२९--श्री राम हेत सिंह (जिला मथुरा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पंचवर्षीय योजना के अन्दर किस किस जिले में कितने कितने ट्यूबवेल्स बनाये गये हैं ?

श्री राम मूर्ति---पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से ३१ जुलाई, १९५४, तक इस प्रदेश में कुल १२६० सरकारी नलकूप बने हैं जिनकी जिलेवार संख्या मेज पर रक्खी हुई सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १४६ पर।)

*३०--श्री राम हेत सिंह---जो ट्यूबवेल सरकार द्वारा बनाये गये हैं उनमें गोरखपुर, बस्ती, देवरिया में फी ट्यूबवेल में औसत खर्च क्या पड़ा है तथा मेरठ, सहारनपुर, बुलन्दशहर जिलों में जो बने हैं उनमें औसत खर्च क्या पड़ा है ?

श्री राममूर्ति---गोरखपुर, बस्ती, देवरिया में प्रति सरकारी नलकूप पर औसत खर्च ३१,८०० रु० तथा मेरठ, सहारनपुर तथा बुलन्दशहर जिलों में प्रति नलकूप पर औसत खर्च २९,८०० रु० पड़ा है।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल (जिला इलाहाबाद)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जिले में नल कूप बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां, वह सरकार के विचाराधीन है, इलाहाबाद की उपेक्षा नहीं होगी।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या वजह है कि गोरखपुर और बस्ती के जिले में ३१ हजार खर्च है और पश्चिमी जिलों में २९ हजार है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जहां का स्ट्रेटा अच्छा होता है वहां कम खर्च होता है। पश्चिमी जिलों का स्ट्रेटा अच्छा है इसलिये कम खर्च हुआ और पूर्वी जिलों में ज्यादा खर्च हुआ।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि औसतन ये ट्यूबवेल्स कितने गहरे हैं ?

श्री राम मूर्ति---ढाई सौ, तीन सौ फीट।

जिला मुजफ्फरनगर में हिंडन नदी के पुल के पुनर्निर्माण पर विचार

*३१---श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित)---क्या यह सच है कि बुढ़ाना (मुजफ्फरनगर) के निकट हिन्डन नदी के पुल के निर्माण का सरकार ने निर्णय कर लिया है ? यदि हां, तो यह कब तक और कितनी लागत में बन जायेगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---इस पुल के निर्माण का प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है इसलिये उसकी लागत तथा अवधि के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।

*३२---श्री श्रीचन्द्र (अनुपस्थित)---क्या सरकार को ज्ञात है कि यह पुल १९४१ में बन कर १९४८ में टूट गया था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जी हां।

*३३---श्री श्रीचन्द्र (अनुपस्थित)---क्या सरकार इस पुल के टूटने के कारण बतायेगी और यह बताने की कृपा करेगी कि यह पुल अब किस स्थान पर बनाया जायेगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---ऐसा प्रतीत होता है कि यह पुल आवश्यक फाट से कम फाट का बनाया गया था और १९४८ की बाढ़ आने के कारण टूट गया। इसका नवीन स्थान अभी निर्णय नहीं किया गया है।

नोट---तारांकित प्रश्न संख्या ३१---३३ श्री शिवनारायण ने पूछे।

बस्ती, गोंडा तथा बहराइच जिलों में नलकूप व बांध बनाने की योजनायें तथा राप्ती नदी से नहर निकालने का विचार

*३४—श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल (जिला गोंडा)—क्या सिंचाई मंत्री कृपा कर के बतायेंगे कि बस्ती, गोंडा और बहराइच जिलों में कौन-कौन नये बांधों के बनाने की योजनायें हैं ?

श्री राम मूर्ति—बहराइच व गोंडा में नये बांधों की प्रस्तावित योजनायें ये हैं :—

बहराइच .. (१) रामपुर सरोवर,
(२) बनघगुआ सरोवर ।

गोंडा .. (१) गिरगिट्टी सरोवर,
(२) खैर मान सरोवर।

बस्ती जिले में नये बांध बनाने की कोई योजना नहीं है।

*३५—श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त तीनों जिलों में अलग-अलग कितने-कितने नये नल कूप बनने जा रहे हैं ?

श्री राम मूर्ति—भिन्न भिन्न योजनाओं के अन्तर्गत बस्ती में १३०, गोंडा में ३० और बहराइच में ३० नये सरकारी नलकूपों के निर्माण का कार्य हाथ में लिया गया है।

इसके अतिरिक्त बहराइच जिले की नानपारा तहसील में ५० नलकूप बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ।

*३६—श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल—क्या राप्ती कैनाल की भी कोई स्कीम है जो परिपक्व अवस्था में आ चुकी है और क्या उसको प्रथम पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिये विचार किया जा रहा है ?

श्री राममूर्ति—राप्ती नदी से एक नहर निकालने की योजना तैयार की गई जिसका परीक्षण सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर द्वारा किया जा रहा है।

यह योजना प्रथम पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं है।

श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल—क्या माननीय सिंचाई मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि नैनीताल में जून के महीने में गोंडा, बहराइच और बस्ती जिलों के अन्दर कोई बांध बनवाने की योजना पर केन्द्रीय सरकार के किसी मन्त्री से बातचीत हुई थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यही छोटे-छोटे बांध थे जिनका जिक्र किया गया है । बस्ती जिले में तो कोई बांध नहीं है । कुआनो नदी पर मुखलिसपुर के पास एक पम्प कैनाल निकाले जाने की बात थी । उसके लिये रुपया केन्द्रीय सरकार से मांगा गया था जो मिल गया है ।

श्री शिवनारायण—मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि बस्ती जिले में क्या वह दो बांधों के अतिरिक्त कोई और बांध बनवाने का विचार रखती है ?

श्री अध्यक्ष—इसका जवाब दिया जा चुका है कि कोई नया बांध बनाने की योजना नहीं है ।

श्री बसन्त लाल शर्मा (जिला जालौन)--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि बहराइच जिले में जो दो बांध हैं क्या उनमें कार्य शुरू हुआ है, ?यदि नहीं तो कब तक शुरू हो जायगा और उसके लिये कितना धन मंजूर किया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--काम तो बरसात के बाद शुरू होगा। बहराइच में तो पहली बाढ़ आयी थी। अब बरसात बीत रही है काम शुरू होगा। धन तो जितना हमने मांगा उतना भारत सरकार ने दिया है। मेरा खयाल है कि २२, साढ़े बाइस लाख रुपये भारत सरकार से मिले हैं।

श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राप्ती कैनाल में सर्वे पूर्ण हो चुका है या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--वह काम जारी है और राप्ती बाढ़ वाली नदी है। उसका सर्वे बाढ़ में होगा और बाढ़ के बाद भी जारी रहेगा।

श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल--क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि राप्ती कैनाल के ऊपर कुल कितना व्यय होने का अनुमान है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह तो सर्वे के बाद ही बताया जा सकता है।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो कुआनो नदी पर कैनाल निकाली जा रही है उससे कितने एकड़ की सिंचाई होगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--अभी मुखलिसपुर में जो पम्प कैनाल होगी उसमें ६० क्यूजेक्स पानी होगा। मेरा खयाल है कि काफी सिंचाई होगी। करीब २५, ३० हजार एकड़ सिंचाई होगी।

श्री गंगा प्रसाद--क्या इससे सिंचाई बूढ़ीपार और बभनीपार में भी की जायगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मुझे पता नहीं है कि बूढ़ीपार भी कोई जगह बस्ती जिले में है।

श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल--क्या गोंडा में जिन बांधों का जिक्र किया गया है उसके ऊपर कब तक कार्य आरम्भ हो जायगा ?

श्री राममूर्ति--बरसात के बाद काम शुरू हो जायगा।

श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दोनों बांधों के ऊपर जो गोंडा जिले के अन्तर्गत बताये गये हैं साथ ही साथ काम शुरू होगा या एक पहले होगा और एक पर बाद में ?

श्री अध्यक्ष--इसका अभी जवाब दे दिया गया है।

अनुपूरक अनुदानों पर विवाद की सीमा के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष की व्यवस्था

श्री अध्यक्ष--मैं अब जरा एक सूचना देना चाहता हूं। मैंने जो अनुपूरक बजट के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया गया था उसके लिये वादा किया था कि मंगलवार को निर्णय दूंगा; तो यह निर्णय मैं सुना देना चाहता हूं।

अनपूरक बजट के सामान्य विवाद में तारीख २१ सितम्बर को सदन में यह प्रश्न उपस्थित किया गया था कि सामान्य विवाद के अवसर पर बजट सम्बन्धी नीतियों या सिद्धांतों पर विवाद किया जा सकता है या नहीं और यदि उनके सम्बन्ध में विवाद किया जा सकता हो तो क्या वार्षिक बजट सम्बन्धी नीतियों तथा सिद्धांतों पर भी अनुपूरक बजट के सामान्य विवाद के अवसर पर विवाद हो सकता है या केवल पूरक अनुदानों में निहित जो नीति या सिद्धांत हैं उनके सम्बन्ध में ही बहस सीमित रहना चाहिये। जैसा कि वित्त मंत्री जी ने उस दिन कहा था, यह बात सही है कि इस सम्बन्ध में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ने सदन में कई बार अपना निर्णय दिया है। मैंने वे निर्णय देखे हैं और लोक सभा के अध्यक्ष तथा ब्रिटिश पार्लियामेंट के स्पीकर के निश्चित निर्णय भी देखे हैं। इस बीच में मैंने उन पर काफी विचार किया और इस प्रश्न के हर पहलू पर नजर डाली है। श्री नारायणदत्त तिवारी जी से भी इस सम्बन्ध में परामर्श हो चुका है। अंत में मैं पूर्ण विचार के पश्चात् इसी निर्णय पर पहुंचा हूं कि अनुपूरक बजट के सामान्य विवाद में उक्त बजट की सरकारी नीतियों या सिद्धातों की आलोचना साधारणत: केवल उन नीतियों या सिद्धांतों के सम्बन्ध में हो सकती है जो कि अनुपूरक अनुदानों में निहित हों या उनसे उत्पन्न होते हों। यही आशय हमारे नियम १५७ के साथ नियम १५२ को पढ़ने से तर्कशुद्ध प्रतीत होता है। वार्षिक बजट की नीतियों या सिद्धांतों पर फिर से आलोचना नहीं की जा सकती, क्योंकि उन पर सदन पहले विवाद कर चुका है और उनको स्वीकार भी कर चुका है। हां, यदि किसी अनुदान में वार्षिक बजट की निर्धारित नीति पर सरकार क्रियात्मक रूप में चलने में वार्षिक बजट की स्वीकृति के पश्चात् असमर्थ रही हो तो ऐसी असाधारण परिस्थिति में वार्षिक बजट की केवल उस अनुदान से सम्बन्धित नीति पर भी अलोचना की जा सकती है। मैं यहां यह स्पष्ट कह देना उचित समझता हूं कि यद्यपि पिछले निर्णयों के बाद इस आदरणीय सदन में सामान्य विवाद सीमा के बाहर कभी-कभी होता रहा है तथापि यह परिपाटी उचित न होने के कारण उसे संयम में लाने का भविष्य में मैं प्रयत्न करूंगा और कटौती के प्रस्ताव भी निर्धारित सीमा का उल्लंघन न करें, ऐसे रूप में ही स्वीकार किये जायं।

गो-हत्या निरोध समिति द्वारा विधान भवन के फाटकों पर प्रदर्शन के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न

श्री रास सुमेर (जिला फ़ैजाबाद)--श्रीमन्, मैं एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहता हूं और यह कि अभी आज जब हम दारुलशफ़ा से चले आ रहे थे, उस समय बाहर गेट्स पर प्रदर्शनकारी हड़ताल कर रहे थे और हमें काफी समय बाहर लग गया और आदरणीय सदन में हम ३६ मिनट तक शामिल नहीं हो सके, जब कि हम उस समय यहां उपस्थित होना चाहते थे। तो यह बहुत ही अनुचित हुआ है और इसलिये इस पर मैं विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि सदन इस पर विचार करे।

श्री अध्यक्ष--आप विशेषाधिकार का प्रश्न उठाते हैं। उसके बारे में प्रश्न तो उठ सकता है, लेकिन किसके विरुद्ध आप उठाना चाहते हैं यह आपके प्रस्ताव में स्पष्ट होना चाहिये। यदि माननीय सदस्य उन लोगों के नाम भी दें कि जिनके विरुद्ध वह सदन की ओर से कार्यवाही करना चाहते हैं तो मैं उस पर विचार कर लेता, लेकिन चूंकि उन्होंने नाम नहीं दिये हैं इसलिये इस पर सदन में विचार नहीं हो सकता।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--अध्यक्ष महोदय, मैं गृहमंत्री माननीय सम्पूर्णानन्द जी के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहता हूं। जो हमारे सदस्यगण अभी बाहर हैं या थे वह निर्विवादरूप से आ सकें, इसके लिये माननीय गृह मंत्री जी जिम्मेदार हैं। आज बड़ी मनोरंजन घटनाएं हुईं और काफी प्रयत्न करने पर लोग गेट के अन्दर आ सके हैं, यहां तक कि श्री चतुर्भुज शर्मा जी को चहारदीवारी लांघ कर आना

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

पड़ा है और हमारे विरोधी दल के नेता श्री राजनारायण जी और श्री नारायण दत्त जी अभी तक बाहर रुके हुये हैं। इस सबको रोकने में माननीय गृह मंत्री जी बिलकुल असमर्थ रहे हैं और उनके विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने के काफी उपयुक्त कारण हैं। आप आज्ञा देंगे तो फैक्ट्स जरूरत पड़ने पर बाद में दिये जा सकते हैं।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)--अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय त्रिपाठी जी ने माननीय सम्पूर्णानन्द जी के खिलाफ़ और दूसरे लोगों ने विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है उसके बारे में मैं इतना अवश्य कहूंगा कि जिम्मेदारी गृह मंत्री जी की अवश्य प्रतीत होती है। इस सम्बन्ध में मैं इतना अवश्य कहूंगा कि विद्यार्थियों के मामले में इस प्रकार का तमाशा हुआ था उस समय तो गृह मंत्री जी ने बहुत जोर से क़दम उठाया था और इस समय भी अगर माननीय गृह मंत्री जी चाहते तो वह ऐसा तरीक़ा निकाल सकते थे कि जिससे सदस्यों को यहां पहुंचने में दिक्कत न होती। इसलिये माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी का जो सुझाव है उसका समर्थन करते हुये मैं कहूंगा कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न अवश्य है ताकि सदस्यों को जो आपत्ति हुई है वह दूर हो। बहुत से सदस्यों के कूदकर आने के बावजूद भी जो लोग आन्दोलन कर रहे हैं उनको लांघ कर आना उचित नहीं था और अब तक भी बहुत से सदस्य नहीं आ पाये हैं। इसलिये मैं सुझाव करता हूं कि आज सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष--यह प्रश्न तो आप बाद में उठा सकते हैं।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)--विशेषाधिकार के प्रश्न में जो त्रुटि रह गई है कि किसके विरुद्ध वह है, तो उसके लिये मैं आपके सामने श्री हरदेव सहाय का नाम प्रस्तुत करना चाहता हूं जो इस मूवमेंट के लीडर हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहां जो श्री बाबूराम जी एटा के एम० एल० ए० हैं उनके साथ भी बहुत सख्ती हुई है और जिसके फलस्वरूप उनकी कमीज़ भी फट गई है और उनको आने से बुरी तरह रोका गया है और दूसरे सदस्य श्री मथुरा प्रसाद जी के सम्बन्ध में भी इस तरह की बातें हुई हैं। इसलिये मैं इस मूवमेंट के लीडर श्री हरदेव सहाय का नाम सदन के सामने रखता हूं कि उनके खिलाफ़ विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जाय, ताकि माननीय सदस्य जो बाहर रह गये हैं वह आ सकें और कोई रुकावट उनके आने में न हो। आज जो स्थिति हुई है वह सब आपके सामने है और मैं समझता हूं कि इस तरह से सदन का अपमान हुआ है।

श्री अध्यक्ष--सब लोग अपने-अपने अनुभव पेश करना चाहेंगे तो मैं इजाजत नहीं दूंगा। (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य के खड़े होने पर) मैं जानना चाहता हूं कि जो विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया गया है उस सम्बन्ध में आप कुछ कहना चाहते हैं?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)--मैं, श्रीमन्, सूचना के लिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे पास २ सवालों के जवाबों के सम्बन्ध में फाइल थी मैंने किसी तरह से उनको अन्दर भिजवा दिया था। माननीय राजस्व मंत्री जी पहले आ चुके थे और उनके जवाब दे दिये गये और कौंसिल में भी सवालों का आज उनका दिन था, फाइल का भी आना मुश्किल था, लेकिन किसी तरह से मैंने उसको तो भिजवा दिया था तो इस तरह से गेट का बन्द हो जाना और हमारा बाहर पड़े रहना.....

श्री अध्यक्ष--आप तो विवाद कर रहे हैं, आपका कोई प्वाइंट आफ़ आर्डर है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--मैं तो आपकी सूचना के लिये निवेदन करना चाहता था।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)---जो विशेषाधिकार का प्रश्न माननीय राम नारायण त्रिपाठी जी ने उठाया है मैं समझता हूं वह बिलकुल असंगत है।

श्री अध्यक्ष---अब मैं फैसला दिये देता हूं। यहां दो विशेषाधिकार के प्रश्न उठाये गये हैं। पहला प्रश्न तो यह उठाया गया है कि बाहर से आने में जिन लोगों ने रोका उनके खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जाय और उनमें से एक सज्जन का नाम श्री शिवकुमार शर्मा ने पेश किया है जो श्री हरदेव सहाय जी का है। मैं इसके बारे में निवेदन करूंगा कि इसके बारे में नियम है कि विशेषाधिकार का प्रश्न कैसे उठाया जाता है। जब सदन में कोई विशेषाधिकार की अवहेलना हो तब तो सदन फौरन उस पर विचार कर सकता है, लेकिन अगर बाहर कोई बात गुजरती है तो नोटिस सेक्रेटरी को किस तरह से देना चाहिये यह उस नियम में दिया है। अगर मैं इस उठाये हुए प्रश्न को केवल मेरे लिये या सदन के लिये सूचना समझूं तो अनुचित न होगा। अगर माननीय सदस्य इस तरह का प्रश्न उठाना चाहते हैं तो अगर उसमें थोड़ा सा समय व्यतीत हो जाय, सेक्रेटरी को सूचना देने में तो इस वक्त सदन को सूचित कर देने के कारण म्याद खतम नहीं होगी प्रश्न के उठाने के संबंध में लेकिन यह प्रश्न इस तरह से अभी नहीं उठाया जा सकता। दूसरे माननीय गृह मंत्री जी के बारे में जिक्र किया गया उसके लिये भी वही बात वैसे तो लागू है, मैं उस पर निर्णय तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं इतना अवश्य माननीय त्रिपाठी जी से कहना चाहता हूं कि वह विशेषाधिकार का प्रश्न मंत्री जी के विरुद्ध तभी उठा सकते हैं कि जब इस बात का उनके ऊपर आरोप करें कि जानबूझ कर उन्होंने कोई बात कराई है जब सीधा आरोप इस प्रकार का होगा तब तो प्रश्न उठ सकता है वर्ना वह नहीं उठाया जा सकता। विशेषाधिकार का प्रश्न उसके ऊपर आ सकता है जिसने प्रत्यक्ष किसी सदस्य को आने से रोका हो। मंत्री जी की जिम्मेदारी का प्रश्न तो तभी उठ सकता है जबकि जानबूझकर मेलाफाइडी तरीके से उन्होंने किसी सदस्य को रुकवाया हो, इस प्रकार का आरोप किया जाय। अब मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहूंगा कि क्या वह इस घटना पर कुछ प्रकाश डालना चाहते हैं?

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, जहां तक कि विशेषाधिकार की बात है मुझे उसके सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है और जहां तक कि यह बात है कि शांति कायम रखने की जिम्मेदारी सरकार पर है या सब पर है उस जिम्मेदारी को भी मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य जो परिस्थिति है उस पर विचार करें। स्टूडेंट आंदोलन का जिक्र किया गया। लेकिन जिन लोगों ने उस आंदोलन को देखा है उनको यह भी मालूम है कि कम से कम सदन के सदस्यों के साथ उस आंदोलन के जमाने में ऐसी कोई चीज नहीं की गयी जो कि आज की जा रही है। जो लोग इस आंदोलन को कर रहे हैं वे दुनियां के सामने धर्म की दुहाई दे रहे हैं। वे सबके सामने यह कह रहे हैं कि वे हिन्दू धर्म के नाम पर काम कर रहे हैं। जरूर माननीय सदस्यों को कुछ कष्ट हुआ। इसका हम सबको अफसोस है, लेकिन मैं समझता हूं कि वे इस बात को स्वयं पसन्द करेंगे कि यह अच्छा हुआ कि जो आज प्रदर्शन हुआ है उसको माननीय सदस्यों ने भी देखा और लखनऊ की जनता ने भी देखा कि धर्म के नाम पर किस प्रकार का अधर्म किया जा रहा है कि लोगों को खड़ा कर देना, स्त्रियों को खड़ा कर देना, कपड़े फाड़ देना। यह कहां तक संगत है इसको सब लोग जानते हैं और मैं समझता हूं कि यह सदन इस बात का समर्थन करेगा कि हमने थोड़ी सी शांति से काम लिया, उन लोगों के साथ कोई सख्ती नहीं की ताकि वे अपनी धर्मशीलता का लोगों के सामने पूरे तौर से परिचय दे दें। इससे एक फायदा और भी होगा। मैं समझता हूं कि यदि इसके बाद हमको किसी प्रकार का कोई कदम उठाना ही पड़े, जिसमें कि इस प्रकार की अधर्म की बातों को रोकना हो तो उसमें सारी जनता का और निश्चय ही माननीय सदस्यों का हमको समर्थन प्राप्त होगा।

श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---अध्यक्ष महोदय, जिस प्रश्न को लेकर विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया गया था उसके सम्बन्ध में हमें सिर्फ यही बात कहनी है कि माननीय सदस्यों के जो सवाल आज रहे हैं और पहुंच नहीं पाये हैं कम से कम वे प्रश्न फिर कल ले लिये जायं तो अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष---सब प्रश्न ले लिये गये, कोई नहीं छोड़ा गया।

श्री रामसुन्दर पांडेय---श्रीमन्, हम लोग तो नहीं रहे।

श्री अध्यक्ष---लेकिन आप अपने उपनेता से पूंछिये, उन्होंने सबके जवाब ले लिये। अगर कोई सवाल छूट जाता तो मैं उसे कल ले लेता।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे जो सरकारी अफसर और हमारे बाकी लेजिस्लेचर्स जो बाहर पड़े हुये हैं आज की उनकी हाजिरी समझी जाय, उनको गैरहाजिर न माना जाय इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि जो सदस्य बाहर रह गये हैं मैं सदस्यों के बारे में ही कहना चाहता हूं जो सचिवालय के कर्मचारी हैं उनके बारे में तो मैं स्वयं फैसला कर दूंगा। वे अगर यह कह दें कि वे आये थे और इस तरह से बाहर ही रोक लिये गये तो उनको आज हाजिर माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सदन की कार्यवाही स्थगित करने का प्रस्ताव

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)---अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की आज की कार्यवाही तब तक के लिये स्थगित कर दी जाय जब तक यहां का आने जाने का मार्ग सुलभ न हो जाय। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने धर्म अधर्म की कुछ चर्चा की है। धर्म और अधर्म तो व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर निर्भर है। मगर यह एक वास्तविक बात है कि इस प्रदर्शन के कारण बहुत से सदस्य यहां नहीं आ पाये हैं और विशेष कर ऐसे सदस्य जोकि अधर्म का कदम नहीं उठाना चाहते थे वे नहीं आ पाये हैं। इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरा यह प्रस्ताव सदन के सामने रख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---मैं एक यह सूचना दे देना चाहता हूं कि एक तरफ का फाटक साफ हो जाने से बहुत से माननीय सदस्य आ गये हैं और अब उनके सदन में आने में कोई रुकावट नहीं है। बहुत सी गिरफ्तारियां करके रास्ता साफ कर दिया गया है।

श्री मलखान सिंह (जिला अलीगढ़)---अभी हमारे साथी राजनारायण जी का फोन मेरे पास आया है कि उन्होंने कोई पत्र आपके पास साढ़े ११ बजे लिखकर भेजा और वे सब लोग बाहर बैठे हुए हैं। उनके लिये कोई रास्ता नहीं है। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि जब तक हमारे सदस्य यहां न आ जायं तब तक के लिये इस सदन की कार्यवाही स्थगित कर देनी चाहिये। वे बाहर गेट पर मौजूद हैं।

श्री अध्यक्ष---मैं यह व्यवस्था करता हूं कि वहां पर मैं किसी को भेज दूंगा, क्योंकि एक रास्ता खुल गया है और जो माननीय सदस्य रह गये हैं वे उस रास्ते से आ जायेंगे।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं देख रहे हैं कि इस समय सदन में काफी सदस्य बैठे हुये हैं। फिर हम लोगों के आने के समय भी गेट के ऊपर उन लोगों ने ज़बर्दस्ती रोकने की कोशिश की और हमारे बहुत से साथियों के कपड़े भी फाड़ डाले और गिरा भी दिया। लेकिन अब ५ नम्बर का जो गेट है वहां पर सब लोग गिरफ्तार कर लिये गये हैं और रास्ता खुल गया है .....

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय बालेन्दुशाह जी के प्रस्ताव का विरोध करता हूं इसलिये कि आज हमारे कांग्रेस के मेम्बरान ने वह नमूना दिखला दिया जो महात्मा गांधी ने हमको सिखलाया था।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि यह सब कहने की जरूरत नहीं है।

श्री शिवनारायण---जी अच्छा। श्रीमान् जी सदन का नियम है कि इतने सदस्य जब मौजूद हो जायं तो सदन की कार्यवाही हो सकती है। इस वक्त सदन भरा है। अगर १०-२० मेम्बर रह गये हैं तो उसके लिये हमने श्रीमान् जी से निवेदन किया है कि उनको हाजिर समझा जाय। सदन की कार्यवाही रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---श्रीमन्, नियम तो स्पष्ट नहीं है कि ऐसी परिस्थिति में क्या हो, लेकिन आप जानते हैं कि कुछ माननीय सदस्य बाहर हैं और वे सदन के अन्दर अगर मौजूद हों तो यहां की कार्यवाही में विशेष अन्तर पड़ सकता है तो ऐसी विशेष परिस्थिति में इतना तो मैं नहीं कहूंगा कि दिन भर के लिये सदन की कार्यवाही मुल्तवी कर दी जाय, लेकिन जब तक आप अपनी व्यवस्था या इन्तजाम के जरिये से उन माननीय सदस्यों के आने का रास्ता साफ न करा दें या उनको उचित सूचना देकर यहां बुला न लें तब तक कार्यवाही स्थगित रखी जाय। मेरी राय है कि ऐसी परिस्थिति में अगर सदन की कार्यवाही जारी रहेगी तो वह गैरकानूनी होगी, अवैध होगी, अगर्चे कोरम पूरा है। यह अफसोस की बात है कि कुछ सदस्य बाहर फाटक पर खड़े रहें और अन्दर न आ पायें और उसके बाद भी सदन की कार्यवाही जारी रहे। तो जो प्रस्ताव है उसमें मेरा एक संशोधन ही मान लिया जाय कि जब तक रास्ता बिल्कुल साफ न हो जाय तब तक के लिये कार्यवाही रोक दी जाय।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न थोड़ा सा वैधानिक भी उठाया है माननीय रामनारायण जी ने उसको मैं साफ कर देना चाहता हूं। वैधानिक प्रश्न उठता है तो उसको उठाने का वह मौका था जब सदन की कार्यवाही प्रारम्भ हुयी थी। उसी वक्त इस प्रश्न को उठाना चाहिये था। प्रश्नों के बारे में भी यह सवाल उठ सकता था कि प्रश्न करने वाले बहुत से सदस्य मौजूद नहीं थे और वे पूरक प्रश्न पूछ सकते थे और क्योंकि उनके एवज में जो दूसरे लोग प्रश्न पूछते थे उनको मालूमात नहीं हैं। इसलिये प्रश्न भी लेना उचित नहीं है। इस प्रकार की प्रारम्भ में कोई आपत्ति नहीं उठायी गयी। इसलिये भी अब इस सम्बन्ध में कोई वैधानिक आपत्ति उठाई नहीं जा सकती। दूसरे इसलिये भी नहीं उठायी जा सकती, क्योंकि कोरम पूरा है। कुछ माननीय सदस्यों को अगर रास्ते में ऐक्सीडेंट हो जाय और वे न आ सकें तो गैरहाजिर वे हो जाते हैं और जब गैरहाजिर हो जाते हैं और वहां से यदि उन्होंने तार कर दिया कि चूंकि हम नहीं आ सकते हैं और चूंकि ऐक्सीडेंट जो हमारे हाथ के बाहर की बात है इसलिये सदन का कार्य बन्द हो जाना चाहिये तो उस वक्त में ऐसी अवस्था में आपके मतानुसार सदन का कार्य बन्द कर दिया जाना उचित होगा और इस मत के अनुसार अध्यक्ष की आज्ञा से ही कार्य स्थगित हो जाना चाहिये। मेरा इससे भिन्न मत है। मेरे मत में यह उचित न होगा कि ऐसी अवस्थाओं में अध्यक्ष अपनी आज्ञा से सदन का काम इस तरह से रोक दे। नियमों में कोई ऐसी वैधानिक बात नहीं पायी जाती है जिससे सदन का कार्य जारी रखने के बारे में वैधानिक आपत्ति हो सके। जब सवाल यह है कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर सदन यदि खुद चाहे कि कार्यवाही स्थगित कर दी जावे तो वह उचित हो सकता है। सदन यह तय कर सकता

[श्री अध्यक्ष]

था कि चूंकि हमारे यहां काफी सदस्य नहीं आ सके हैं इसलिये हम इस समय नहीं बैठेंगे । तो सदन को पूर्ण अधिकार है। लेकिन यदि बैठना उचित समझे तो आपत्ति उसमें नहीं उठायी जा सकती । सदन की इच्छा के ऊपर निर्णय निर्भर है जबकि कोरम पूरा हो। इस निर्णय को सामने रख कर माननीय सदस्य यदि चाहें भाषण दें वैधानिक आपत्ति उठाकर न दें। सदन की कार्यवाही चलाने या न चलाने के केवल औचित्य या अनौचित्य के विषय में भाषण हो सकते हैं ।

सिंचाई उप-मंत्री (श्री राममूर्ति)--अध्यक्ष महोदय, माननीय रामनारायण जी ने अभी यह फरमाया कि उनके कुछ साथी बाहर रुक गये हैं और ठाकुर मलखानसिंह ने अभी जिक्र किया कि उनके पास टेलीफोन आया है कि उनके रास्ते बन्द हैं, उनके आने के लिये इसलिये वह नहीं आ पाये हैं । मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे बहुत से साथी सामने के दरवाजे से आये हैं । वह बतला रहे हैं कि रास्ता बिलकुल साफ है । कोई भी आना चाहे तो आ सकता है । माननीय मलखान सिंह जी अपने साथियों को टेलीफोन कर दें कि फौरन आ जायं ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--अध्यक्ष महोदय, यह सूचना गलत है । वह सत्याग्रहियों को लांघ कर आये हैं । यह हम नहीं करना चाहते ।

श्री अब्दुल मुईज़ खां (जिला बस्ती)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अभी अभी बाहर से आ रहा हूं । यह सही है कि दारुलशफा की तरफ जो फाटक है वह बन्द थे उनके सामने आदमी लेटे हुए थे । लेकिन वहां पर यह खबर मिली कि पूरब रुख का जो फाटक है वह खुला हुआ है । जिन्होंने चाहा, हम लोग बहुत से साथी उधर से आये, वहां न कोई लेटा हुआ था न कोई रास्ता रोक रहा था । अब उधर किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है ।

श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ठीक ग्यारह बजे पहुंचा । अभी मेन गेट पर जब मैं खड़ा था तो माननीय ए० डी० पांडेय प्राइवेट सेक्रेटरी टु दि चीफ मिनिस्टर जा रहे थे, उन्होंने कहा कि आप यहां कहां खड़े हुए हैं। बैकडोर खुला हुआ है उससे मैं आया । उस पर कोई रुकावट नहीं है । उससे आदमी आ सकता है । लेकिन जहां तक यह कहा जाय कि रास्ता पूर्ण रूप से खुला हुआ है ऐसा नहीं है । यह कहना सर्वथा निराधार है। दूसरी बात यह है कि आपके सेक्रेटेएट के बहुत से लोगों को यह पता नहीं है जो कि मेन गेट पर खड़े हुए हैं । किसी को भेजवा कर कहला सकते हैं कि पीछे का गेट खुला हुआ है । अगर आप यह सूचना दिलवा दीजिये तो सभी आ सकते हैं ।

श्री मलखान सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने यह कहा कि आरम्भ में ही प्रश्न उठाया जाना चाहिये था, जब आरम्भ में हम किसी तरह से आ ही नहीं सके, और जैसे ही मैं आया हूं उसी वक्त मैंने यह प्रश्न उठा दिया, तो आरम्भ का सवाल.....

श्री अध्यक्ष--आप तो मेरे निर्णय के ऊपर वादविवाद कर रहे हैं । मैं उस पर विवाद की इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री मलखान सिंह--बहुत अच्छा । एक प्रश्न और मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । यहां पर बहुत से माननीय सदस्य दीवार और फाटकों को फांद फांद करके आये हैं । यह क्या उन्होंने उचित कार्यवाही की है ? यह नियम के अनुकूल है ?

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)--अध्यक्ष महोदय, वाकये के तौर पर यह सवाल आया है कि हम यहां आ नहीं सकते, तो कुछ देर जरूर ऐसा रहा है कि हम अन्दर, बिला कुश्ती लड़े हुए नहीं दाखिल हो सकते थे । उसके बाद, तकरीबन बारह बजे से कुछ पहले से ऐसा हो गया कि एक रास्ता हमको आने का मिला । जहां तक प्रैक्टिकल तरीके का सवाल

है वह तो किसी न किसी तरीके से हल हो गया। लेकिन मुझे कुछ संदेह है कि इस मौके पर जबकि एक कानूनी एवान के रास्ते में आने जाने की आजादी न हो अगर किसी दिक्कत के बाद चले भी आये हैं तो कानूनी तरीके पर अगर एक भी मेम्बर इस ऐवान का किसी वजह से रोक लिया जाय तो क्या ऐसी हालत में, चाहे अमलन दिक्कत न हो, फिर भी कानूनन यह उसके जवाज की कोई वजह नहीं हो सकती। मेरे ख्याल में ऐसे वक्त में एक कानूनी मसला हमारे सामने आता है कि रास्ते में एक दिक्कत हुयी और उस ऐवान में जिसमें कानून बनाये जाते हैं, उसका कोई मेम्बर अपनी ख्वाहिश के मुताबिक न आ सके तो उस वक्त मेरी राय में असेम्बली में जितनी कार्यवाही होगी वह. . . .

श्री अध्यक्ष––उसके बारे में तो मैं फैसला दे चुका हूं कि कोई कानूनी दिक्कत उसमें नहीं है।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी––यह कार्यवाही आपको ठीक रहेगी ?

श्री अध्यक्ष––सदन करना चाहे तो बैठक को स्थगित कर सकता है, न करना चाहे तो न भी करे। और अगर सदन में कोई कार्यवाही होगी तो वह अवैध नहीं होगी।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)––जो माननीय बालेन्दुशाह जी का प्रस्ताव है उसका विरोध इसलिये करता हूं कि उपस्थिति करीब करीब पूरी है और कार्यवाही होती रहनी चाहिये। ऐसा कोई आब्स्ट्रक्शन है तो अध्यक्ष महोदय किसी को भेज कर दिखा सकते हैं। कार्यवाही रुकनी न चाहिये, चलती रहनी चाहिये।

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)––मैं इस प्रश्न के दूसरे पहलू की ओर आपका ध्यान आर्कषित करना चाहता हूं और चाहता हूं कि जिन माननीय सदस्य ने यह प्रस्ताव रक्खा था कि आज की कार्यवाही बन्द कर दी जाय वह इस पर दृष्टिपात करने की चेष्टा करें की कितने मेम्बर यहां आ गये हैं। दो, चार या छः जो नहीं आ सके हैं वे भी आसानी से आ सकते थे, भले ही किसी गेट पर रुकावट हो लेकिन कोई न कोई गेट खुला हुआ है ही और उससे लोग आये। अगर सदन की कार्यवाही रोकने की बात कही तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक ऐसा बुरा नमूना होगा जो सदन के लिये हमारे रास्ते में रुकावट बन जायगा और यह सदन की शान और गौरव के विरुद्ध होगा। कोई भी व्यक्ति कानून के विरुद्ध कार्यवाही करे और उसको करके ऐसी अड़चनें डाली जायं और उसके कारण सदन की कार्यवाही रोकी जाय तो अगर एक दिन भी ऐसा हुआ फिर किसी भी दिन कोई भी दल या ग्रूप उसी तरह की कार्यवाही कर सकता है, दो चार आदमी न आयें, या न आना चाहें या न आ सकें हों उनके कारण सदन की कार्यवाही रोक दी जाय तो उनका जो लक्ष्य है जिसको दृष्टि में रख कर उन्होंने वह कार्य शुरू किया उसमें उन्हें सफलता मिल जायगी। अगर हमारा कोरम न होता जिससे सदन की कार्यवाही न हो पाती तो यह हमारे लिये एक अप्रतिष्ठा की बात होती। यह अच्छी बात हुयी कि इतने सदन के माननीय सदस्य यहां आ गये और ठीक ११ बजे कार्यवाही शुरू हो गयी। कानूनी दृष्टि से जो कुछ कार्यवाही सरकार को करनी होगी वह उनके विरुद्ध करेगी लेकिन यह सदन के लिये गौरव की बात है कि वह अपना अधिवेशन जारी रक्खे और उसको रोकना उसकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध होगा। जो सदस्य नहीं आ सके हैं उन्हें सूचना दे दी जाय ताकि वह यहां आ जायं लेकिन सदन की कार्यवाही चलती रहे।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह––माननीय मंत्री जी ने जो भाषण दिया उन्होंने शायद मेरा प्रस्ताव समझा नहीं। मेरा प्रस्ताव इतना ही था कि बैठक उस समय तक स्थगित की जाय। जब तक बाकी सदस्य जो आना चाहें उनको सूचना मिल जाय कि फाटक खुल गये हैं। क्योंकि जो आना भी चाहते हों और सूचना न हो कि फाटक खुल गया है तो वह आ न सकेगा, इसलिये यह आवश्यक है कि उनको सूचना दे दी जाय। दूसरा प्रश्न यह है कि यहां कोरम हो गया है। तो कोरम यहां सदैव रहेगा लेकिन उससे यह मतलब न होना चाहिये कि

[महाराजकुमार बालेन्दुशाह]

जो विरोधी दल के सदस्य न आ सके हों और आना चाहें लेकिन चूंकि बहुमत की वजह से कोरम पूरा है इसलिये विरोधी दल के सदस्यों की आवश्यकता ही न समझी जाय। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय का यह मतलब न रहा होगा हालांकि शिव नारायण जी का मतलब यही रहता है कि बहुमत का बोलबाला है, बहुमत दल से अगर कोरम पूरा हो जाय तो फिर विरोधी दल की कोई फिक्र न होनी चाहिये। विरोधी दल के नेता माननीय राजनारायण और राजा वीरेन्द्रशाह नहीं आ सके हैं, इसलिये सूचना दे देना कि फाटक खुल गये हैं बहुत आवश्यक है।

श्री शिवनारायण--मैं प्रश्न उपस्थित करने की अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--बालेन्दुशाह जी ने अंतिम उत्तर दे दिया है अब प्रश्न उपस्थित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--यह पर्सनल एक्सप्लेनेशन था, अंतिम उत्तर नहीं....

श्री अध्यक्ष--मैंने अंतिम उत्तर के लिये ही वक्त दिया था, पर्सनल एक्सप्लेनेशन के लिये नहीं। इस पर काफी वादविवाद हो चुका है। जहां तक बालेन्दु शाह जी ने यह कहा कि माननीय राजनारायण जी तथा अन्य सदस्यों को जो बाहर रोके गये हैं सूचना दे दी जाय तो मैंने राजनारायण जी तथा अन्य सदस्यों को सूचना करवा दी है। मेरे पास चिट्ठी आयी है जिससे मुझे मालूम हुआ है कि दरवाजों पर सदस्यगण और विरोधी दल के लोग रुके हुए हैं। और यहां यह सुझाव था कि उनके पास सूचना भेज दी जाय कि एक रास्ता अब साफ हो चुका है उसके द्वारा वे अन्दर आ जावें इस सुझाव के अनुसार कार्य हो गया। दूसरा उनका यह सुझाव है जैसा कि उन्होंने अपने भाषण में स्पष्ट किया कि सदन की कार्यवाही तब तक के लिये स्थगित कर दी जाय जब तक कि वे आ न जायं। यह सुझाव मैं सदन के सामने रख कर उसके ऊपर राय ले लेता हूं।

प्रश्न यह है कि सदन की कार्यवाही तब तक के लिये स्थगित की जाय जब तक कि माननीय कुछ सदस्य जो कि बाहर दरवाजे पर रुके हैं और सत्याग्रह के कारण नहीं आ सके वे सदन में आ न जायं।

(मत विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी)

श्री रामनारायण त्रिपाठी--श्रीमन्, मत विभाजन का परिणाम घोषित करने से पहले मैं एक वैधानिक प्रश्न आप की सेवा में उठाना चाहूंगा।

(मत गणना समाप्त होने पर)

श्रीमन्, मत विभाजन की घोषणा करने के पूर्व मैं यह वैधानिक प्रश्न उठाना चाहता हूं कि हमने मत विभाजन की मांग की और आप ने उसके लिये घंटी बजवाई। अब वैधानिक प्रश्न यह है कि यहां घंटी बज रही है और कुछ माननीय सदस्य सड़क पर बाहर खड़े हैं। वे घंटी सुन रहे हैं लेकिन अन्दर नहीं आ सकते हैं। तो इस किस्म का वोटिंग नियमित होगा या अनियमित होगा मैं यह जानना चाहता हूं। सर सीताराम की अध्यक्षता में भी एक बार ऐसी ही परिस्थिति उत्पन्न हो गयी थी। उस समय उन्होंने कहा था कि मैं विभाजन के फल की घोषणा नहीं करूंगा जब तक कि सदस्य कमरे में न आ जायं। इसी प्रकार की परिस्थिति आज है कि माननीय सदस्य जब तक यहां पर न आ जायं तब तक यह परिणाम घोषित नहीं होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--माननीय राम नारायण त्रिपाठी ने एक वैधानिक प्रश्न उठाया है कि जो लोग बाहर खड़े हैं वे जब तक अन्दर न आ जायं तब तक घंटी बजा कर मत विभाजन का परिणाम घोषित करना उचित होगा या अनुचित और इस कार्य को वैधानिक रीति से हुआ समझा जायगा या नहीं। इसके ऊपर मैं एक फैसला दे चुका हूं कि अगर सदन यह निर्णय करता है कि सदन का कार्य चले तो चलेगा। उस समय भी वह गैरहाजिर थे अर्थात् जिस समय निर्णय का प्रश्न आया था तो जब उस समय भी वह गैर-हाजिर थे तो भी सदन का कार्य चला। अब अगर सदन यह निर्णय करता है कि सदन की कार्य-वाही चले तो इसके माने यह स्पष्ट है कि उनकी गैरहाजिरी में भी सदन की कार्यवाही चलेगी। अगर सदन अपनी राय उसके बाद बदलता और अपना कार्य स्थगित करता तो कर सकता था लेकिन जब मेरे निर्णय के अनुसार सदन की दिन भर की कार्यवाही भी वैधानिक ही रहती है तो जहां तक इस वोटिंग का सवाल है यह तो केवल दो मिनट की ही कार्यवाही है कि घंटी बजने पर कुछ लोग नहीं आ पाये। इसलिये यह कार्यवाही अवैधानिक हो जाय और वोट लेना ही अवैधानिक हो जाय यह बात तर्क से समझ में नहीं आती है। इस कारण मैं समझता हूं कि यह आपत्ति वैधानिक आपत्ति नहीं हो सकती है।

दूसरा प्रश्न घंटी बजाने के सम्बन्ध में है। यहां पर यह घंटी सहूलियत के ख्याल से बजायी जाती है। मेरा कोई फर्ज नहीं है कि इसको विभाजन के समय बजाना ही चाहिये। घंटी बजा कर जो लोग बाहर होते हैं उनको बुला लिया जाता है। बहुत से लोग लाबी में बैठते और अगर वह सोना चाहते हैं तो वहां पर सोते भी हैं। किसी प्रश्न पर राय लेते समय घंटी बजायी जाती है। अगर न भी घंटी बजायी जाय तो भी विभाजन के समय की सदन की कार्य-वाही वोट लेने के सम्बन्ध में भी वैधानिक कार्यवाही समझी जायगी चाहे कोई सदस्य लाबी में सोता है वह सोता ही रहे। वास्तव में हर एक सदस्य का फ़र्ज है कि वह सदन में हाजिर रहे। अगर वह लाबी में जा कर बैठता है और वोट लेते समय यहां पर हाजिर नहीं रहता है उसके लिये घंटी भी नहीं बजायी जाती है तब भी वैधानिक प्रश्न उठाया नहीं जा सकता। अगर इस सदन की राय यह है कि सदन बै तो सदन की कार्यवाही चलेगी और वह सब कार्य-वाही वैधानिक समझी जायगी। सदन को पूर्ण अधिकार है कि जिस प्रकार चाहे उस प्रकार से अपने लिये निर्णय करे और उस निर्णय के सम्बन्ध में कोई वैधानिक आपत्ति नहीं उठायी जा सकती।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--श्रीमन्, यह दरवाजे बन्द हैं और कुछ लोग बाहर खड़े हैं तो इस वोटिंग में शामिल होने के लिये उनको अन्दर बुला लिया जाय और इस मत-विभाजन के परिणाम को रोक कर उनसे भी वोट दिला दिया जाय।

(श्री अध्यक्ष के आदेश पर दरवाजे खोले गये।)

श्री अध्यक्ष--आप चाहते हैं कि दोबारा वोटिंग करा दी जाय?

श्री रामनारायण त्रिपाठी--जी हां, मेरा सुझाव है कि जब तक इस पर दोबारा घंटी न बजा दी जाय तब तक पहली वोटिंग का फल घोषित न हो, क्योंकि अब कुछ सदस्य बाहर से आ गये हैं।

श्री अध्यक्ष--अच्छा मैं घंटी दोबारा बजवा देता हूं।

(घंटी पुनः बजायी गयी।)

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--माननीय अध्यक्ष, मैं प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं कि जिस कारण से वोटिंग स्थगित की गयी थी यानी माननीय राजनारायण जी.....

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, सबके कारण स्थगित की गयी थी।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (प्रतापगढ़)---सब लोग तो अन्दर आ गये हैं अब वोटिंग न कराया जाय।

श्री अध्यक्ष---मैं इस आपत्ति को ठीक नहीं समझता।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि सदन की कार्यवाही तब तक के लिये स्थगित की जाय जब तक कि कुछ माननीय सदस्य, जो कि बाहर दरवाजे पर रुके हैं और सत्याग्रह के कारण नहीं आ सके हैं वे सदन में आ न जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

*इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधयक, १९५४

*श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)---अध्यक्ष महोदय, मैं कल इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा की गयी महान् सेवाओं का जिक्र कर रहा था। मैंने माननीय सदस्यों और सदन के सामने यह रखने की कोशिश की थी कि हमारे इस बिल के द्वारा जो इस समय हमारे सामने पेश है उससे विश्वविद्यालय के पूर्व का करेक्टर नष्ट होने वाला है और वह विश्वविद्यालय जैसी सेवा अब तक करता आया है वैसी सेवा करने में भविष्य में असमर्थ होगा। मैंने कल इस पर प्रकाश डालने की कोशिश की थी कि इसमें जो प्रावीजन ऐसोशियेटेड कालेजेज का रक्खा गया है वह आगे आने वाले समय में यह दिक्कत पैदा करेगा कि हम शिक्षा के स्तर को उतना नहीं रख सकते जितना कि पिछले वर्षों में उसने रक्खा है। कोई भी कालेज जो मान्यता चाहता है, यह निश्चित है कि उस का वह स्टेंडर्ड नहीं हो सकता। सब जानते हैं कि किसी भी कालेज में अध्यापक की वह स्थिति नहीं हो सकती, उसे वह वेतन नहीं मिल सकता जो कि यूनिवर्सिटी में मिलता है, उनकी सिक्योरिटी आफ सर्विस (tenure) भी उतनी नहीं हो सकती। दूसरे इन कालेजेज के पुस्तकालय भी उतने सुसज्जित नहीं हो सकते जितने कि डिग्री देने वाले कालेजेज के होने चाहिये, तीसरे उसकी जो लेबेरोटरी होगी वह भी इल इक्विप्ड होगी और इस प्रकार यूनिवर्सिटी की भांति शिक्षा के स्तर को नहीं पहुंचाया जा सकता। उसका वातावरण बहुत ही संकीर्ण होगा और संकीर्ण वातावरण वाले कालेज में डिग्री के लिये शिक्षा नहीं दी जा सकती। इसके साथ ही साथ कोई भी विश्वविद्यालय जिसमें कि कालेजेज का ऐफिलियेशन होगा, उनके संगठन की देखभाल नहीं कर सकता। इस कारण से हमारी शिक्षा का स्तर गिरेगा और विशेष कर हमारी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के नाम को क्षति पहुंचेगी और वह इस प्रकार से देश की सेवा नहीं कर सकेगा जैसे कि उसने भूत काल में की है।

दूसरा प्रश्न इस प्रावीजन के रख देने से यह पैदा होता है कि आज तो हम केवल कायस्थ पाठशाला और क्रिश्चियन कालेज को ही मान्यता देने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कल के दिन १० कालेजेज ऐसे हो सकते हैं जो उन कंडीशन्स को पूरी करेंगे तो फिर जो नियम हम इसके लिये बनायेंगे उनको पालन करने वाले १० और निम्न कोटि के कालेजेज भी मान्यता पाना चाहेंगे, भला फिर उन्हें हम किस प्रकार से रोक सकेंगे। जब नियम एलाउ करते हैं तो कौन शक्ति ऐसी है जो उनको रोक सके और उस हालत में रोकना भी ग़लती होगी। इसलिये माननीय शिक्षा मंत्री जी जो कि विश्वविद्यालयों की शिक्षा का स्तर बढ़ाना चाहते हैं, उनको इस पर पुनः विचार करना चाहिये। इसके साथ ही साथ इससे एक बड़ा भारी दुर्गुण यह भी पैदा होगा कि जब एक ही यूनिवर्सिटी से एक ही हाल मार्क लगे हुए डिग्री प्राप्त करने वाले दो तरह की योग्यता वाले विद्यार्थी

---

*प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक २३ अगस्त, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

निकलेंगे तो उनके नाम और स्तर को कायम कर सकना असम्भव हो जायगा । इसका फल होगा 'Bad coin will drive away the good from the market.' जिस यूनिवर्सिटी की अब तक इतनी प्रतिष्ठा रही, जिसका इतना नाम रहा उसकी डिग्री की कोई मान्यता भविष्य में नहीं रहेगी । इसलिये मैं माननीय मंत्री जी को पुन: विचार करने की प्रार्थना करता हूं ।

कल माननीय मंत्री जी ने इस पर भी कुछ कहा था कि सरकार इस ओटोनोमी को क्यों करटेल करना चाह रही है । उसका कारण उन्होंने यह बताया कि यूनिवर्सिटीज ने खर्च बहुत बढ़ा रक्खा है । मैं नहीं समझता कि उन्होंने ऐक्स्ट्रावेगेंट कहा हो, लेकिन हमारे माननीय सदस्य इस बात को स्वीकार करेंगे कि सन् ४० में महंगाई के कारण उनको टीचर्स की तनख्वाह और डीअरनेस आदि में बढ़ोत्तरी करनी पड़ी । इसके अतिरिक्त मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि जो ब्लाक ग्रान्ट उनको पहले मिलती थी क्या उसको रिवाइज किया गया । जबकि हमारे विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या २ हजार से ६ हजार हो गयी, उनकी बिल्डिंग में विस्तार हो गया, टीचर्स बढ़ाये गये तो क्या यह उचित नहीं था कि उनकी ब्लाक ग्रान्ट बढ़ाई जाती । लेकिन ऐसा नहीं किया गया और हमें यह बतलाया जाता है कि उनका खर्चा ऐक्स्ट्रावेगेंट रहा । लेकिन विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए, कंडीशन्स को देखते हुए खर्च का बढ़ना अनिवार्य था और हमें इस प्रश्न को हल करना ही चाहिये था और यही कारण था कि उन्होंने ज्यादा खर्चा किया ।

तीसरा कारण माननीय मंत्री जी ने यह पेश किया कि वहां पर गुटबंदी बढ़ी हुई है । ठीक है, खेद की बात है कि हमारे उन प्रकाश मन्दिरों में गुटबन्दी हो लेकिन इंसान है, वहां गुटबन्दी तो हो ही सकती है और होनी ही चाहिये, लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जिस कोर्ट की मीटिंग का जिक्र किया था उसके बारे में मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं कि क्या उस कोर्ट के किसी विशेष सदस्य ने यह नहीं कहा था कि--

"It is these five or six persons (heads of the department) who are responsible for all the evils of this University and they are practising atrocious tyranny on the teachers."

कोर्ट के एक सम्मानित सदस्य ने यह कहा था तो मेरा ख्याल है कि वह तो माननीय मंत्री जी को याद होगा ही और हम लोगों को भी मालूम हुआ और जिन्होंने पेपर देखा होगा उनको भी मालूम होगा, लेकिन बावजूद इसके उस पर कोई ऐक्शन नहीं लिया गया । मेरा ख्याल है कि आप सब जानते हैं और सभी सदस्य जो इंटरेस्ट लेते हैं वे जानते हैं कि वहां जो खराबियां हैं वे किस कारण से हैं । ५, ६ इनडिवीजुअल्स हैं जिनकी वजह से सारी खराबी है लेकिन उन पर कोई ऐक्शन नहीं लिया जाता । उनका कोई निराकरण नहीं किया जाता । यह कहना बिलकुल ग़लत है कि वहां के जो जूनियर टीचर्स हैं वे भी इसमें शामिल हैं । वे वहां पर ईमानदारी से अपना काम करते हैं और वहां फिर से विश्वविद्यालय के मान बढ़ाने के लिये प्रयत्नशील हैं ।

अब प्रश्न यह पैदा होता है कि उनकी आटोनोमी कायम रहनी चाहिये या नहीं । आपकी इजाजत से मैं जो युनिवर्सिटी एजूकेशन के लिये कमीशन कायम किया गया था उसके कुछ उद्धरण उपस्थित करना चाहता हूं । राधाकृष्णन कमीशन ने यह कहा है--

We don't believe that non-control from outside is the way to achieve reform On the contrary a great many of the present evils arise from the fact that most of our Universities have no real Autonomy whatever and have proved incapable of resisting pressure from outside.

श्री अध्यक्ष--इसका सारांश हिन्दी में कह दें ।

श्री तेज प्रताप सिंह---उसमें कहा गया है कि बाहर से कोई यूनिवर्सिटी का रिफार्म करना चाहे तो यह असम्भव है, बल्कि उसके खिलाफ उसमें और खराबियां पैदा होंगी, यह उसका अभिप्राय है। हमने चाहा कि युनिवर्सिटी में तरक्की हो और उसके लिये मेरे जैसे व्यक्ति जो कि एक्सपर्ट नहीं हैं उन्होंने एक कमीशन स्थापित करने की बात सोची कि एक्सपर्ट बुलाये जायं और उनके सामने यह प्राब्लम रखी जाय कि युनिवर्सिटी एजूकेशन में कैसे तरक्की हो सकती है, किस तरीके से उसमें सुधार करें। वह कमीशन अपनी रिपोर्ट में राय भी जाहिर कर चुका है लेकिन हम उसे मानना नहीं चाहते हैं। अगर ईमानदारी से मानना चाहते हैं तो फिर उसमें दिक्कत क्या है? जब एक सिद्धान्त की बात है, निष्पक्ष रूप से इस बात का निर्णय होता है कि बाहरी हस्तक्षेप यूनिवर्सिटी में न होना चाहिये तो फिर ऐसी बात क्यों हमारे सामने आती है? क्यों हम ऐसा स्टेप लें? हम कोई ऐक्सपर्ट नहीं हैं, माननीय मंत्री जी को इस प्रदेश का विश्वास प्राप्त है, यह ठीक है लेकिन वे युनिवर्सिटी एजूकेशन के बारे मे एक्सपर्ट नहीं हैं और उसके लिये जो कमीशन बैठाया गया था उसकी बात मानना चाहिये। जब डाक्टर कोई प्रिस्क्रिप्शन देता है तो उसके प्रिस्क्रिप्शन को मानना चाहिये। हम घर के मुखिया हैं, उसके जिम्मेदार व्यक्ति हैं और मरीज हमारे घर में है कोई फेमिली मेम्बर हमारा बीमार है तो हमारे लिये उचित है कि हम डाक्टर को बुलावें और डाक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन करे वही दवा उस मरीज को दें। लेकिन इसके विपरीत यदि उस प्रिस्क्रिप्शन को बदलते हैं, उसकी दवा को बदलते हैं तो क्या होगा अध्यक्ष महोदय, यह मैं उन्हीं के ऊपर छोड़ता हूं कि इस पर विचार करें और गम्भीरता से विचार करें। दूसरे माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि इनट्रीग वहां पर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। इनट्रीग को दूर करने का क्या यही सही तरीका है कि उनकी आटोनामी को छीन लिया जाय? अध्यक्ष महोदय, इनट्रीग का स्थान बदला जा रहा है, Only venue of intrigues is being changed. इन्ट्रीग्स जो विश्वविद्यालय में होती थीं वह अब वहां न होकर जहां सत्ता केन्द्रीभूत की जा रही है वहां होने की सम्भावना है। इस तरह से इसका हल नहीं निकल सकता है। यूनिवर्सिटी में टीचर्स के सहयोग से ही कोई तरीका निकल सकता है। मूयम कमेटी की भी यही फाइन्डिंग्ज हैं कि "Ultimately University will be what its teachers make it."

यह असम्भव है कि सहयोग के बगैर हम आशा करें कि युनिवर्सिटी की तरक्की हो। इलाहाबाद युनिवर्सिटी के टीचर्स ने खास तौर से सबसे पहले इस बात का प्रयास किया कि सरकार के नोटिस में यह चीजें आ जायं कि यह खराबियां हमारे यहां पैदा हो गई हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। अब उन्हीं टीचर्स की स्वतंत्रता का अपहरण कर के अब कैसे आशा की जाय कि आगे विश्वविद्यालय तरक्की करेंगे। अब मैं आपकी इजाजत से वहां के अफसरान और अथारिटीज के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। चांसलर के बारे में राधाकृष्णन कमेटी की रिपोर्ट है, (जो यूनिवर्सिटी एजूकेशन कमीशन था) उसने लिखा है कि: "Where there is one University in a province it may work well. But in provinces where there are many Universities the Governor himself will feel he can not give to all of these as much personal contact as is desirable. So it is left to the States concerned."

इसके बारे में भी बहुत स्पष्ट राय उन्होंने दी कि जहां एक युनिवर्सिटी है वहां चांसलर अच्छा काम करते रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन जहां जिन सूबों में यह भार आ रहा है कि वह ३-४ विश्वविद्यालयों को देखें, तो वह कहां तक निजी दिलचस्पी दे सकते हैं और कहां तक उनके लिये सम्भव हो सकता है। यह बहुत ही स्पष्ट शब्द हैं और इस तरह से स्पष्ट होने के बाद भी हम देखते हैं कि चांसलर के लिये हमारी वही पुरानी व्यवस्था रखी गयी है। मैं समझता हूं कि हमारे यहां के चांसलर और गवर्नमेंट को इस पर विचार करना चाहिये कि क्या यह सम्भव है कि वह जरूरी दिलचस्पी के साथ इतनी यूनिवर्सिटीज की देखभाल कर सकते हैं? इतना भार उन पर छोड़ दिया गया है उनको हमारी

सरकार ने Super human मानकर यह व्यवस्था रखी है। यह कहां तक ठीक है। क्या यह सम्भव है? अब सदन के सामने यह विचार है कि हम विचार करें कि चांसलर को हम किस प्रकार रखें, कौन व्यक्ति किस प्रकार चांसलर हो, किस प्रकार उसको छांटा जाय। मैं यह नहीं समझ सका कि चांसलर को इतनी पावर क्यों बढ़ाई गई। एक व्यक्ति कितना काम कर सकता है, क्या-क्या सुधार कर सकता है और कितनी खूबियां उसके व्यक्तित्व में निर्धारित हों, अगर वास्तव में एक व्यक्ति में इतनी खूबियां हों तो वह कर सकता है लेकिन अधिकतर एक व्यक्ति पर हमें आधारित नहीं होना चाहिये और उसी के भरोसे पर हर चीज छोड़ी जाय यह बात हमारे तर्क में नहीं उतरती है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस पर विचार करेंगे कि किस प्रकार इस समस्या का निराकरण किया जाय। दूसरे डाक्टर अमर नाथ झा ने जो चांसलर के बारे में कहा है वह भी मैं सुनाना चाहता हूं। वह इस प्रकार है:—

"I do not want to give to the Chancellor complete power because things being what they are under the Constitution, the Governor has no individual discreation. The Governor means the Government. Chances are that politicians will have an excess."

श्री अध्यक्ष—आप इसका अभिप्राय हिन्दी में कहिये।

श्री तेजप्रताप सिंह—डाक्टर अमरनाथ झा ने कहा है कि मैं चांसलर को इतनी विशाल शक्तियां नहीं देना चाहता, उसको नहीं मिलनी चाहिये, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हैं अपने संविधान के मुताबिक, गवर्नर अपना कोई व्यक्तिगत डिस्क्रीशन नहीं रख सकता। और गवर्नर के माने हैं, गवर्नमेंट, यह भी संविधान से प्रकट है। तब ऐसी अवस्था पैदा हो जाती है, मैं आक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन मैं जरूर बतलाना चाहता हूं कि क्या यह संभावना नहीं है कि पोलीटिशियन्स हमारी युनिवर्सिटी के क्षेत्रों में घुस सकें? जरूर ऐसी सम्भावना है।

तो अध्यक्ष महोदय, हमारे मंत्री जी ने कहा कि हमने जो कमीशन बैठाया था और ऐक्सपर्ट्स की जो ओपीनियन थी, उन्हीं पर आधारित हमने सारी बातें रखीं। लेकिन मुझे कहीं नहीं दिखलाई पड़ा सिर्फ दो एक जगह, वह भी जहां नामीनेशन करना हो जहां इलेक्शन कम करना हो, बाकी मुझे कहीं यह प्रतीत नहीं हुआ कि उनकी बातें मानी गईं, उन ऐक्सपर्ट्स की।

तो चांसलर के सम्बन्ध में मैं एक बात और बतला देना चाहता हूं कि जहां डिसिप्लिनरी ऐक्शन की बात रखी गयी है टीचर्स के ऊपर, वहां ऐक्शन चांसलर लेगा। उसकी व्यवस्था ऐसी की गई है। तो ऐक्शन में जब ओरिजनली डिस्प्यूट पैदा हो और उस पर ऐक्शन चांसलर ले और फिर धारा ४७ के मुताबिक निर्णायक (Umpire) वही स्थापित करे, यह कहां तक उचित है। लेकिन ऐसी व्यवस्था रखी गई है। मैं चाहता हूं कि इस पर पुनः विचार होना चाहिये। इससे आगे बहुत ही काम्प्लीकेशन्स बढ़ने की संभावना है।

अब मैं थोड़ा वाइस चांसलर के बारे में कहना चाहता हूं। इसके बारे में राधाकृष्णन कमीशन ने कहा है :—

"Vice-Chancellor should not be externally appointed. It is really a part of the Universities' duty to learn how to choose its own Vice-Chancellor wisely and that therefore to deprive it of this duty would be a counsel of despair."

यह युनिवर्सिटी का फ़र्ज होना चाहिये कि वह अपने वाइस चांसलर को चुने। आखिर हमारे विश्वविद्यालय अपने वाइस–चांसलर को, अपने उप-कुलपति को नहीं चुन सकते हैं, ऐसी

[श्री तेजप्रताप सिंह]

योग्यता नहीं है उनमें, तो फिर किससे आशा की जा सकती है। यह उन्हीं पर छोड़ना चाहिये। लेकिन उसमें भी जब उनमें मतभेद हो, ऐक्जीक्यूटिव काउन्सिल में मतभेद हो और वह तीन नाम भेजे। ऐसी सम्भावना है, मतभेद हुआ करता है, तो चांसलर उसको नामीनेट करेगा। यहां पर अध्यक्ष महोदय, कोई मतभेद हो विश्वविद्यालय में बस वहां पर चांसलर उसमें हस्तक्षेप करेगा। ठीक है, अगर मतभेद दूर हो सकता है उसमें कोई अच्छाइयां हो सकती हैं, तो मानने वाली बात हो सकती है। लेकिन उसको प्रगति मिले तब यह कहां तक सम्भव है, मैं जब यह बतला रहा था कि इस तरह का हस्तक्षेप खराब होगा, इंट्रीग्ज बढ़ेगी, उस समय मैं यह कहना भूल गया था कि जो लोग पद लोलुप होंगे क्या वह इस व्यवस्था के बाद चापलूसी नहीं सीखेंगे? चांसलर नहीं इनवाइट करेगा, लेकिन सम्भावना तो है कि कोई बाहर का जो पदलोलुप हो वह आकर आपकी चापलूसी करे। यह सारी सम्भावनाएं यहां पर मौजूद हैं। इनको प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये। मनुष्य गलती कर सके, लेकिन वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके, हिम्मत उसमें हो तो इस कैरेक्टरिस्टिक को नहीं हटाना चाहिये। ऐसा हमेशा ध्यान रखने की आवश्यकता है। नहीं तो हमारा राष्ट्र कभी उन्नति नहीं कर सकता है, नहीं तो हमारी संस्थायें उन्नति नहीं कर सकतीं। यह भी हमारे विधेयक में एक बात रह गयी है और इसलिये पुनर्विचार करना चाहिये। वाइस चांसलर की पावर्स बहुत बढ़ा दी गयी है। बिल का जो ओरीजिनल ड्राफ्ट था उसमें यह व्यवस्था रखी गयी थी कि कंसल्टेटिव कमेटी रहेगी किसी प्रोफेसर या टीचर पर डिसिप्लिनरी ऐक्शन लेने के लिये लेकिन जो प्रवर समिति से लौटकर अब आया है विधेयक उसमें उसको हटा दिया गया है और अब वह सारी पावर्स वाइस-चांसलर में वेस्ट करेंगी। तो इस हिसाब से इन पावर्स को नहीं बढ़ाना चाहिये। आप देखते हैं कि आये दिन अभी जब यह पावर्स नहीं हैं इस ऐक्ट में तब भी डिसिप्लिनरी ऐक्शन के लिये कार्यवाही हो रही है। हम सभी जानते हैं कि एक ऊंचे ज्योलोजिस्ट का ट्रायल हुआ और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बोटेनी डिपार्टमेंट के एक ऊंचे प्रोफेसर का ट्रायल हुआ। यह सारी बातें अब भी हो रही हैं जबकि वह ऐक्ट में नहीं हैं। यह दशा हमारे टीचर्स और प्रोफेसर्स की है। जब कल को यह सारी पावर्स दे दी जायंगी तो क्या हालत होगी। क्या उस समय कोई विद्वान् पसन्द करेगा वहां रहना, जहां पर उनके खिलाफ इस तरीके से डिसिप्लिनरी ऐक्शंस लिये जा सकें। अध्यक्ष महोदय, मुझे ज्ञात हुआ है कि एनानीमस लेटर्स पर यह कार्यवाही शुरू कर दी जाती है। पता नहीं है कि यह कहां तक सही है। लेकिन अगर इस तरह से ऐनानीमस लेटर्स पर कार्यवाही हो तो कोई टीचर्स वहां रहना पसन्द करेगा और फिर आप आशा करें कि वहां लोगों को प्रकाश मिले और योग्यता का स्तर बढ़े, यह असम्भव सा है। टीचर्स के ऊपर डिसिप्लिनरी ऐक्शन होगा, उसकी व्यवस्था रखी गयी है, उसकी ऐक्जीक्यूटिव कौंसिल के पास अथारिटी है, वाइस-चांसलर उसमें कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन अब यह बात नहीं है कि वाइस-चांसलर के हाथ में उसका अधिकार है। तो यह भी मेरी राय में उसके प्रतिकूल है। इससे टीचर्स के सम्मान को धक्का लगेगा और उनके करेक्टर की भी दुरुस्ती नहीं होगी।

ट्रेजरर के बारे में अब मैं कहना चाहता हूं। ट्रेजरर की इतनी शक्ति बढ़ा दी गयी है कि वहां डाइआर्की कायम हो रही है। अगर कोई ट्रेजरर यह समझता है कि यह खर्चा ठीक नहीं हो रहा है तो वह उसको तत्काल रोक सकता है और वाइस-चांसलर और ऐक्जीक्यूटिव कौंसिल के खर्चे को भी रोक सकता है। मैं नहीं समझता कि कल इससे क्या परिस्थिति पैदा हो सकती है। ऐसी डाईआर्की, डुएल अथारिटी हमें नहीं कायम करना चाहिये। ऐक्जीक्यूटिव कौंसिल के बारे में मुझे खेद है कि रिपोर्ट में तो यह कहा गया है कि हम पैरिटी समानता रखें लेकिन इस विधेयक के देखने से मालूम होता है कि उसमें समानता का सिद्धांत नहीं रखा गया है। ऐक्सटर्नल मेम्बर्स ज्यादा हैं, इंटरनल कम हैं। उसे रखना चाहिये था लेकिन नहीं रखा गया है। उसके सम्बन्ध में पैरिटी रखना चाहिये और इसमें यदि कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो इंटरनल साइड में ही बैलंस का झुकाव होना चाहिये।

अब मैं कोर्ट के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । यहां भी यूनिवर्सिटी ऐजूकेशन कमीशन ने समानता के सिद्धांत को माना है । उसे आपने यहां भी नहीं माना । मूथम रिपोर्ट को भी नहीं माना । डोनर्स को तो बहुत अधिक स्थान दिया गया है जबकि उनके प्रतिनिधियों की संख्या निर्धारित कर देनी चाहिये थी । यहां तो क्लास सेकंड में डोनर्स लाइफ मेम्बर होंगे ही, जो २०,००० रुपया देते हैं और क्लास थर्ड में तो दो जगह आपने डोनर्स को रखा है । आपने यहां रकम का भी ब्योरा नहीं रखा है, पता नहीं क्या मंशा है । डोनर्स को इतना प्रतिनिधित्व नहीं मिलना चाहिये, यह सिद्धांत के विरुद्ध है । इस प्रकार कोर्ट के बारे में सब अनिश्चित सा है । दूसरे कोर्ट में टीचर्स का रिप्रेजेंटेशन भी ठीक नहीं है । वह जो सुप्रीम अथारिटी है उसमें इन सिद्धांतों की अवहेलना की गयी है । फिर हम कैसे आशा कर सकते हैं कि वह विश्वविद्यालय पनपेगा और आगे बढ़ेगा । कोर्ट के बारे में जहां एक्जीक्यूटिव कौंसिल के चुनाव की बात आयी है कि नान टीचर्स का चुनाव कैसे किया जाय तो वही वोट कर सकेंगे जो नान टीचर्स हैं तो हम यह एक डिसइंटीग्रेशन पैदा करते हैं कि आप अलग से वोट देंगे । सब मेम्बर्स हिस्सा नहीं ले सकेंगे यह कहां तक उचित है (एक आवाज–मूथम की रिपोर्ट में यही कहा गया है) यहां कह दिया गया होगा, लेकिन बाकी जगह नहीं कहा गया है ।

अध्यक्ष महोदय, मैंने काफी समय लिया और जरूरत से ज्यादा लिया है । मैं जिस बात को कह रहा था उसमें कुछ अड़चन पड़ती है ।

श्री अध्यक्ष––आप बड़ी शांति के साथ कहिये ।

श्री तेजप्रताप सिंह––जो डिसइंटीग्रेशन है उसमें नहीं लाना चाहिये । टीचर्स के लिये यही व्यवस्था रहनी चाहिये कि नान टीचर्स को लाने में वह हिस्सा ले सकें । आखिर में हमें मिल जुल कर काम करना चाहिये । वाटर टाइट कम्पार्टमेंट करने से हम कैसे काम कर सकते हैं । इस प्रकार कैसे सहयोग से काम चल सकता है । वह खड़े नहीं हो सकते हैं यह प्रतिबन्ध तो ठीक है और होना भी चाहिये, दूसरे कोर्ट के मेम्बर्स में १२५ की व्यवस्था रखी गयी है, ठीक है, १०० से अधिक है, ठीक ही है । लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आया कि हम कहां तक पैरिटी रखने में सफल हो सकेंगे । इसमें कोई सिद्धांत प्रतिपादित नहीं है । चाहे डोनर्स ज्यादा हो जायं, चाहे दूसरे ज्यादा हो जायं । यह कहां का सिद्धांत है ।

अध्यक्ष महोदय, जब यह प्रवर समिति बनी थी तो उस समय मुझे यह आशा हुयी थी कि ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी बनेगी और कुछ विशेषज्ञ जो शिक्षा के माहिर हैं, उनकी सलाह ली जायगी । लेकिन ऐसा नहीं किया गया । पता नहीं उसका क्या कारण है । माननीय मंत्री जी जानते होंगे । लेकिन जब मीटिंग हो रही थी तो इंफारमली ऐमीनेंट एजूकेशनिस्टस की सलाह ली जा सकती थी लेकिन ऐसा भी नहीं किया गया । लेकिन शायद यह सख्त होगा मेरे लिये यह कहना कि इस तरह की जो अवहेलना हुयी इससे मैं समझता हूं कि बहुत सी खामियां हमारे बिल में रह गयी हैं ।

श्री अध्यक्ष––आप कितना समय और लेना चाहते हैं ?

श्री तेजप्रताप सिंह––केवल दो तीन मिनट ।

श्री अध्यक्ष––समय काफी हो चुका है ।

श्री तेजप्रताप सिंह––मैं स्वयं समझ रहा हूं । केवल दो तीन मिनट लगेंगे अंत में मैं माननीय सदस्यों से यह अपील करना चाहता हूं कि विश्वविद्यालयों के प्रति ध्यान दें और आज मेरे प्रस्ताव का आप लोग समर्थन करें और इस पर पुनः विचार किया जाय । आज जिन सिद्धांतों पर आधारित हमारा यह विधेयक बना है उससे हमारा भविष्य उज्ज्वल होने वाला नहीं है । हमारे उत्तर प्रदेश का भविष्य हमारे विश्वविद्यालयों ने ही उज्ज्वल किया है । मैं अपने साथियों से अपील करना चाहता हूं और मुझे महान् दुख है कि मुझे जो आशा थी वह पूरी नहीं हुयी और इसलिये मजबूरी हालत में मुझे यह प्रस्ताव लाना पड़ा कि इस पर पुनः विचार किया

[श्री तेजप्रताप सिंह]

जाय और मंत्री जी भी इसको बिना किसी पार्टी पोलिटिक्स के स्वतंत्र छोड़ देंगे ताकि इस पर विचार हो सके और फिर कोई ऐसा समय आ सके जबकि हम गौरव के साथ अपनी सेवायें विश्वविद्यालय को अर्पित कर सकें।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १७ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविंद पंत, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी।)

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---श्रीमन्, मैंने अपना एक संशोधन दिया था कि यह जो प्रवर समिति से आया हुआ विधेयक आज यहां विचारार्थ प्रस्तुत हो रहा है उसको संयुक्त प्रवर समिति में भेज दिया जाय। उसमें हमारी दलील इस बात की थी कि जिस वक्त सेलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव यहां आया था उस समय कौंसिल मीट नहीं कर रही थी। उस समय यह कहा गया कि अगर ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में भेजने के लिये प्रस्ताव होगा तो उसमें विलम्ब होगा। आप जानते हैं जैसा कि माननीय मंत्री जी ने खुद ही इसको महसूस किया है और जो सेलेक्ट कमेटी में भेजने के प्रस्तावक महोदय हैं उन्होंने भी बताया कि विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिये अगर इसमें थोड़ी बहुत टेक्नीकैलिटी भी कहीं पड़ती हो, श्रीमन्, तो मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि उस टेक्निकैलिटी के सवाल को आज आप हमारे प्रस्ताव के पक्ष में हटा दीजिये और इसको संयुक्त प्रवर समिति में अवश्य भिजवाइये और माननीय शिक्षा मंत्री जी भी, जहां तक हमको मालूम हुआ है रिसेस टाइम में, हमारे इस प्रस्ताव से सहमत हैं।

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविंद सिंह)---यह बिल्कुल गलत है।

श्री उपाध्यक्ष---यह तो मैं नहीं जानता कि प्रवर समिति में क्या-क्या बातें हुयीं, शायद वहां की बातें गुप्त होती हैं। उनको जानने की भी चेष्टा मुझे नहीं करनी चाहिये। परन्तु इतना मैं कह देना चाहता हूं कि जो सवाल एक मर्तबा प्रवर समिति में चला जाता है उसके संयुक्त प्रवर समिति में जाने के लिये हमें कहीं नियम नहीं मिला है। हमारी प्रक्रिया नियमावली के नियम १०५ में इसका जिक्र आता है। उसमें भी ऐसा कोई प्राविजन नहीं है। इसके अलावा १३ तारीख को इसी सदन में जमींदारी एबालिशन ऐक्ट में संशोधन के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय, एक रूलिंग दे चुके हैं कि प्रवर समिति में जो बिल चला जाता है उसको फिर संयुक्त प्रवर समिति में नहीं भेजा जा सकता। इसलिये मैं लाचार हूं, मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल (जिला हरदोई)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं जिसे माननीय शिक्षा मंत्री ने उपस्थित किया है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट को पास हुए लगभग ३३ वर्ष हो चुके हैं और इन ३३ वर्षों में कोई महत्वपूर्ण संशोधन इस ऐक्ट में नहीं हुआ है। इस अवधि में कई कमेटियां इस बात की बनीं कि यूनिवर्सिटी की शिक्षा में किस प्रकार से सुधार किया जाय और उनकी रिपोर्ट भी आयी। हमारी प्रांतीय सरकार ने भी सन् १९३८ में एक कमेटी बनायी और उस कमेटी की रिपोर्ट भी पेश हुयी लेकिन कांग्रेस के गवर्नमेंट से इस्तीफा देने के कारण उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। इसी प्रकार से गवर्नमेंट आफ इंडिया ने भी एक यूनिवर्सिटी कमीशन सन् १९४८ में नियुक्त किया और उसकी भी रिपोर्ट तैयार हुयी। इसी बीच में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रशासन को सुधारने के लिये तथा कुछ बातों की जांच के लिये प्रादेशिक सरकार ने जस्टिस मूथम की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की और उस कमेटी की रिपोर्ट भी तैयार हुयी। इन सब कमेटियों और कमीशनों की रिपोर्टों के आधार के ऊपर यह बिल तैयार हुआ है। यह सही है कि इस बिल में कोई महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं किया गया और ऐसा दावा सरकार या शिक्षा मंत्री ने भी नहीं किया है। जिस विशेष परिस्थिति में यह बिल लाया गया उसकी पृष्ठभूमि का सिंहावलोकन कल शिक्षा मंत्री ने स्वयं कर दिया है और मैं उसका दोबारा उल्लेख

करना नहीं चाहता। मैं शिक्षा मंत्री को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि उन्होंने जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कमियां देखीं, जो कठिनाइयां पायीं और जो दोष मिले उनको दूर करने के लिये सहानुभूतिपूर्वक प्रयत्न किया है। उन प्रयत्नों में वह कितने सफल हुए यह तो भविष्य ही बतला सकता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बड़ी ऊंची परम्परायें हैं। वह हमारे देश का एक प्रमुख विश्वविद्यालय है। इस विधेयक में इस बात का सतत् प्रयत्न किया गया है कि यूनिवर्सिटी की शैक्षिक स्वतंत्रता बनी रहे, उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप न हो सके। इसी प्रकार से इस बात की कोशिश की गयी है कि फाइनेंशल विजीलेन्स भी रहे। यह कहना ठीक नहीं होगा कि कोई फाइनेंशल कंट्रोल करने की चेष्टा इस बिल में की गयी है। सिर्फ इस बात का प्रयत्न किया गया है कि वित्तीय मामलों की देख-रेख रहे और वह परिस्थिति फिर न आ पाये जिस परिस्थिति का शिकार आज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है कि करीब ३० लाख रुपए के ऋण यूनिवर्सिटी के ऊपर है जिसका केवल ब्याज ही न मालूम कितना हो जाता है। तीसरा लक्ष्य जो इस विधेयक का है वह यह है कि चुनावों को जहां तक हो कम किया जाय। शिक्षा संस्थायें कोई राजनीतिक संस्थायें नहीं हैं। इसलिये इन संस्थाओं में जहां तक चुनाव कम हो सकें उतना ही शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिये अच्छा है। यह सही है कि जो एकल हस्तांतरणीय मत (सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट) की व्यवस्था इस बिल में की गयी है मैं कुछ उससे बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हूं। इसमें गुटबन्दी बढ़ती है। यह भविष्य ही बतलायेगा कि सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट की नींव जो इस विधेयक के द्वारा डाली गयी है वह यूनिवर्सिटी के चुनावों में कहां तक सफल होगी। इसका लाभ सिर्फ इतना अवश्य है कि यूनिवर्सिटी के प्रत्येक दल को प्रतिनिधित्व (रिप्रेजेन्टेशन) मिलने का एक अवसर मिलता है। इसके साथ ही साथ इस विधेयक में अनुशासन को बड़ा भारी महत्व दिया गया है। बहुत भारी एम्फेसिस दी गयी है। इसके अतिरिक्त इस बिल में अध्यापकों की नियुक्ति में निष्पक्षता लाने का प्रयत्न किया गया है। मूथम कमेटी की रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि अध्यापकों के सेलेक्शन में जो निष्पक्षता होनी चाहिये वह नहीं होती है और सबसे बड़ी चेष्टा जो इस बिल में की गयी है वह है कि शिक्षा के स्तर को कैसे ऊंचा उठाया जाय, स्टैन्डर्ड आफ टीचिंग को क्योंकर ऊपर उठाया जाय। इस अमेंडिंग बिल में इस बात का भी प्रयत्न किया गया है कि यूनिवर्सिटी के प्रबन्ध में प्रशासन में सुधार हो। अतः इस बिल में जो भी प्राविजन्स रक्खे गये हैं वे इन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये रखे गये हैं।

कल श्री तेज प्रताप सिंह ने एक चीज पर आपत्ति उठायी जिससे थोड़ा सा मैं भी सहमत हूं और मैं समझता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी भी उससे सहमत होंगे वह यह कि एसोशियेटेड कालेजेज की वजह से यूनिवर्सिटी का यूनिटरी एवं रेजीडेंशियल कैरक्टर नहीं रहता। इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं। साथ ही साथ इससे शिक्षा का स्तर नीचे गिरता है। जो बात यूनिवर्सिटी के वातावरण में पैदा हो सकती है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और आचरण यूनिवर्सिटी के वातावर ण में प्राप्त हो सकता है वह इन कालिजों में नहीं प्राप्त हो सकता। इतना संतोषजनक अवश्य है कि इन कालिजों के अध्यापकों की नियुक्ति भी उसी सेलेक्शन कमेटी के द्वारा होगी जो यूनिवर्सिटी के टीचर्स को नियुक्त करेगी, जिसमें ऐक्सपर्ट्स होंगे, प्रोफेसर्स होंगे, वाइस-चांसलर होंगे। जो लोग यूनिवर्सिटी के टीचर्स का एप्वाइन्टमेंट करेंगे और वही इन शिक्षालयों के शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे। यह ठीक है कि हमने इस बिल में विद्यार्थियों और टीचर्स की जो परिभाषा दी है उसमें हमने ऐसोसियेटेड कालेजेज के विद्यार्थी और टीचर्स को सम्मिलित नहीं किया है। इसलिये इन विद्यार्थियों और टीचर्स का वह स्टेटस नहीं रहता है जो कि यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों और अध्यापकों का रहता है। और वस्तुस्थिति यह है कि ऐसा हो भी नहीं सकता क्योंकि यदि हम उन लोगों को वही स्टेटस दे देते हैं जो यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों और टीचर्स का है तो उससे बहुत सी पेचीदगियां कांप्लीकेशन्स पैदा हो जायंगी। मैं तो चाहूंगा कि बजाय इसके कि इस यूनिवर्सिटी से एसोसियेटेड कालेजेज को मान्यता (रिकगनीशन) मिले, आगरा यूनिवर्सिटी से ही उनको ऐफ्लियेटेड कर दिया जाय। क्योंकि आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट में इस बात का विधान रख दिया गया है कि अलग-अलग कालेजेज जिस प्रकार से चाहें अपना-अपना विकास करें। ऐसे कालेजों को

[[श्री राधाकृष्ण अग्रवाल]

उस ऐक्ट में ऐटानामस कालेज की स्टेट्स मिल सकती है, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सम्भव नहीं है ।

एक बात और इस बिल में यह की गयी है कि विद्यार्थियों की संख्या को सीमित कर दिया गया है। इसकी बड़ी आवश्यकता थी क्योंकि आजकल हमारी यूनिवर्सिटीज में विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है और हम उनका प्रबन्ध नहीं कर पा रहे हैं। न तो उनके लिये पर्याप्त क्लास, न अध्यापक ही पर्याप्त हैं, होस्टल में भी उनके रहने के लिये स्थान नहीं है, उनके खाने-पीने का भी ठीक प्रबन्ध नहीं है । न खेल का स्थान ही पर्याप्त, न लाइब्रेरी में ही पर्याप्त स्थान, इन सब बातों को देखते हुए यह आवश्यक था कि विद्यार्थियों की संख्या को सीमित कर दिया जाता। अतः विद्यार्थियों की संख्या सीमित हो जाने से लाजिमी तौर पर शिक्षा का स्तर ऊंचा उठेगा और यूनिवर्सिटी का वातावरण भी सुधरेगा।

जो पुराना ऐक्ट है उसमें जो विधान था वह यह था "The Chancellor shall be the govern or of the U. P." यह बहुत ही गलत चीज थी। चांसलर गवर्नर नहीं होता, बल्कि गवर्नर चांसलर होता है। वह भी सुधार कर दिया गया है । कुछ आपत्ति यह उठायी गयी कि गवर्नर को चांसलर नहीं होना चाहिये। गवर्नर को तो नान-पार्टी मैन होना चाहिये। यह बात ठीक हो सकती है, परन्तु आज जिन लोगों ने इस प्रकार का सुझाव दिया है कि चीफ जस्टिस को चांसलर होना चाहिये, तो क्या यह मुनासिब होगा कि यूनिवर्सिटी की पौलिटिक्स में, उसके नित्यप्रति के काम में चीफ जस्टिस हस्तक्षेप करे। इससे तो मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस के पद की मर्यादा बहुत ही गिरती है और वह भी राजनीति का शिकार हो सकता है । इससे तो गवर्नर को ही चांसलर होना अच्छा है ।

एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन जो इस बिल में किया गया है वह उपकुलपति की नियुक्ति का है। परिवर्तन इस रूप में किया गया है कि उपकुलपति चूंकि यूनिवर्सिटी का एक मुख्य अधिकारी है इसलिये उसकी नियुक्ति जहां तक सम्भव हो एकमत से हो और जब ऐसा न हो सके तो ऐसी अवस्था में चांसलर को यह अधिकार दिया गया है कि वह एक्जीक्यूटिव द्वारा भेजे गये तीन नामों में से एक नाम चुन लें । श्रीमन्, किसी भी यूनिवर्सिटी का संचालन ठीक प्रकार से उपकुलपति के ऊपर अवलंबित होता है । अगर उपकुलपति ठीक है तो यूनिवर्सिटी ठीक तरह से चलेगी । उसका व्यक्तित्व इतना ऊंचा होना चाहिये कि सब को प्रभावित कर सके। यदि उपकुलपति उपयुक्त व्यक्ति नहीं है तो कोई भी यूनिवर्सिटी ठीक तरह से नहीं चल सकती।

एक चीज जिससे मैं बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूं और वह यह है कि उपकुलपति को दुबारा चुनाव में खड़े होने का अधिकार नहीं दिया गया है और उसका कारण माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बता दिया था कि वह भी इसको नहीं चाहते थे, लेकिन विशेष परिस्थितियों के कारण उनको यह करना पड़ा। मैं समझता हूं कि बार-बार नये उपकुलपति का चुनाव होना किसी यूनिवर्सिटी के विकास के लिये श्रेयकर नहीं है । किसी भी यूनिवर्सिटी की ख्याति उसके वाइस-चांसलर और प्रोफेसरों से होती है। यदि वहां के प्रोफेसर या उपकुलपति रोज-रोज बदलते जायं तो वह यूनिवर्सिटी ठीक तरह से विकसित नहीं हो सकती। हमारे देश में प्राचीन समय में जो विश्वविद्यालय अथवा गुरुकुल थे, उनकी ख्याति उनके उपकुलपतियों अथवा ऋषियों के नाम से थी और उसमें सुदूर विदेशों के विद्यार्थी भी पढ़ने आया करते थे। यह ठीक हो सकता है कि आज की परिस्थिति में वाइस-चांसलर को दुबारा चुनाव में खड़े होने का अधिकार न दिया जाय, परन्तु मैं आशा करता हूं कि शीघ्र वह समय आयेगा जबकि यह प्रतिबन्ध हट जायगा।

इस विधेयक के द्वारा उपकुलपति के अधिकार विस्तृत कर दिये गये हैं और मैं समझता हूं यह ठीक ही है। क्योंकि यूनिवर्सिटी अनुशासन बनाये रखने (डिसिप्लिन मेन्टेन करने) की, यूनिवर्सिटी में शिक्षा का ठीक तरह से स्टैन्डर्ड बनाये रखने की जिम्मेदारी सारी उपकुलपति

की है और जब सारा उत्तरदायित्व उसका है तो उसके अधिकार भी विस्तृत होने चाहिये। वह यूनिवर्सिटी का होल टाइम आफिसर होता है। उसके अधिकार जितने ही अधिक हों, उतना ही अच्छा है।

मूल विधेयक में एक कनसल्टेटिव कमेटी की योजना थी। उस कनसल्टेटिव कमेटी की योजना को बहुत सशंकित दृष्टि से देखा गया और इसलिये सेलेक्ट कमेटी ने सुधार कर दिया है अगर किसी अध्यापक के विरुद्ध ऐसे गम्भीर आरोप हों जिससे उसे निकालना हो या उसके ऊपर कोई जुर्माना करने की बात हो तो उसकी जांच के लिये वाइस चांसलर एक हाई कोर्ट के जज को अपने साथ ऐसोशियेट कर लेगा और वह दोनों मिल कर के तीसरे आदमी को कोआप्ट कर लेंगे और वह तीनों मिल कर के उसकी जांच करेंगे। कल इस प्राविजन पर आपत्ति की गयी थी। लेकिन मैं समझता हूं कि वह ठीक नहीं है। जब वाइस चांसलर को अनुशासन सम्बन्धी पूर्ण अधिकार प्राप्त है तो वह अपने हाथ मजबूत करने के लिये हाई कोर्ट के एक जज को शामिल कर लेता है और फिर वह दोनों एक तीसरे व्यक्ति को कोआप्ट कर लेते हैं और वह तीनों मिल करके जांच करते हैं और उसी जांच के आधार पर किसी यूनिवर्सिटी के टीचर के ऊपर कोई कार्यवाही की जाती है। मैं तो समझता हूं कि इससे अध्यापकों के हितों की रक्षा होती है, न कि किसी प्रकार से उनका हनन।

कोर्ट के संगठन में काफी परिवर्तन किया गया है और संख्या भी निर्धारित कर दी गयी और मैं समझता हूं कि इस परिवर्तन से कोई एक रिप्रेजेन्टेटिव बाडी हो जाती है। अभी तक कोर्ट इतना अनवील्डी था कि वह इफेक्टिव बाडी नहीं हो सकता था, और अब वह एक इफेक्टिव और रिप्रेजेन्टेटिव बाडी हो जाता है और उसकी बात का महत्व बढ़ जाता है। कोर्ट के संगठन में यूनिवर्सिटी से संबंधित जो लोग हैं और जो बाहर के हैं उनमें एक पैरिटी रखने की कोशिश की गयी है। इसी प्रकार से यूनिवर्सिटी की ऐक्जीक्यूटिव काउन्सिल के संगठन में भी काफी सुधार किया गया है और इस बात का प्रयत्न किया गया है कि जो यूनिवर्सिटी से संबंधित लोग हैं और जो बाहर के हैं उनमें समानता रखी जाय।

एक्जीक्यूटिव काउन्सिल के संगठन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तब्दीली यह भी की गयी है कि विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करने के लिये एक आफिसर को भी उसमें कोआप्ट करने की गुंजाइश रखी गयी है। इस से विद्यार्थियों के वास्तविक रूप में हितों की रक्षा हो सकेगी। इसी प्रकार से वार्डन्स का एक रिप्रेजेन्टेटिव भी एक्जीक्यूटिव काउन्सिल में होगा। यह बहुत ही जरूरी है क्योंकि इतने सारे लड़कों की रहने की, खाने की और उनकी अन्य समस्यायों की जानकारी एक्जीक्यूटिव कौन्सिल को कराते रहना बहुत ही आवश्यक है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार है।

कमेटी आफ रिफ्रेंस का भी पुनर्संगठन किया गया है और इस कमेटी आफ रिफ्रेंस को वित्त के ऊपर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया है उसके माने यह नहीं है कि गवर्नमेंट जो चाहेगी वह होगा। बल्कि यह कमेटी विविध मदों में खर्च की सीमा निर्धारित कर देगी, जिसके बाहर फिर खर्चा नहीं किया जा सकेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि कमेटी आफ रिफ्रेंस की आवश्यकता नहीं रहे यदि यूनिवर्सिटी की तरफ से यह मांग हो और गवर्नमेंट इस मांग को स्वीकार कर ले कि यूनिवर्सिटी को जो रुपया दिया जाय वह ब्लाक ग्रान्ट के रूप में दिया जाय। मैं समझता हूं कि यह आवश्यक है। उदाहरण के रूप में आज यूनिवर्सिटी की तरफ से यह मांग है कि लेक्चरर्स का ग्रेड ३०० अथवा ३५० से ८५० या ९०० रु० तक हो और जो तीन तरह के टीचर्स हैं उनको हटा करके केवल दो तरह के रखे जायं यानी लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स, यदि कोई यूनिवर्सिटी यह करना चाहे तो आज की स्थिति में नहीं कर सकती। मगर किसी भी यूनिवर्सिटी को इस बात की आजादी होनी चाहिये कि अगर वह ऐसा करना चाहे तो कर सके और यह तभी हो सकता है जब यूनिवर्सिटी को ब्लाक ग्रान्ट दिया जाय। मैं समझता हूं कि यूनिवर्सिटी की बहुत सी पार्टी पौलिटिक्स तीन ग्रेड को हटा कर दो ही ग्रेड रखने से दूर हो सकती है। यह भी आवश्यक नहीं है कि जब कोई प्रोफेसर रिटायर हो जाय तो

[श्री राधाकृष्ण अग्रवाल]

लाजिमी तौर पर दूसरा प्रोफेसर रख ही दिया जाय। जब ऐसा प्रोफेसर मिल सके जिसकी ख्याति अन्तर्राष्ट्रीय हो, तभी उसकी नियुक्ति की जाय। यूनिवर्सिटी के लेक्चरर्स को इस बात का अवसर मिलना चाहिये कि ३०० रु० से जब शुरू करें तो कम से कम ८५० रु० तक तो पहुंच जायं। अर्थात् उन्हें वह ग्रेड मिले, जो कि सरकार अपने यहां के गजटेड अफसरों को देती है। गवर्नमेंट ने जो डिग्री कालेजेज नैनीताल और ज्ञानपुर में खोले हैं उनमें भी जो ग्रेड रखा गया है वह यूनिवर्सिटी के टीचर्स से अधिक है जब कि वहां का शिक्षा स्तर इतना ऊंचा नहीं है जितना कि यूनिवर्सिटी का। यूनिवर्सिटी के लेक्चरर को काम अधिक पड़ता है, उसको रिसर्च करना पड़ता है। तो कोई यूनिवर्सिटी अपनी इच्छानुसार सुधार तभी कर सकती है जब कि ब्लाक ग्रान्ट की व्यवस्था गवर्नमेंट मंजूर कर ले।

यूनिवर्सिटी सेलेक्शन कमेटी के संगठन में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है और इस बात की व्यवस्था की गयी है कि चाहे लेक्चरर का ही अप्वाइन्टमेंट क्यों न हो दो एक्सपर्ट्स रहें उस सेलेक्शन कमेटी में। ऐसे ही ऐसोशियेटेड कालेजेज के टीचर्स के अप्वाइन्टमेंट में भी ऐक्सपर्टस रहेंगे और जब तक कि एक्सपर्ट सहमत न हों तब तक अप्वाइंटमेंट न हो सके। यह बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है। इससे यूनिवर्सिटी के अध्यापकों की नियुक्ति में लोगों का विश्वास बढ़ेगा और लोग यह समझेंगे कि निश्पक्षता से काम होता है।

एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है वह यह है कि परीक्षा के काम (Examination work) की सीमा निर्धारित कर दी है। यह कोई बहुत ही अच्छी चीज नहीं है जैसा कि शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि गवर्नमेंट कानून के द्वारा इस तरह की सीमा निर्धारित करे। लेकिन जो यूनिवर्सिटी के टीचर्स को आजादी प्राप्त है, जब उसका दुरुपयोग होता है तो लाजिमी है कि गवर्नमेंट हस्तक्षेप करे। इसलिये सीमा निर्धारित करने की व्यवस्था इस ऐक्ट में की गयी है।

एक और चीज जो संशय पैदा करती है वह है यूनिवर्सिटी के टीचर्स के रिकार्ड रखने की व्यवस्था। यह शंका है कि इस तरह का रिकार्ड रखने से टीचर्स अनुशासन के डर से आजादी के साथ काम नहीं कर सकेंगे। हो सकता है कि इस भ्रम में कुछ तत्व हो। लेकिन मैं समझता हूं कि यह भ्रम निर्मूल है और इसलिये कि जब तक आप यूनिवर्सिटी के टीचर्स का कोई रिकार्ड नहीं रखते हैं, तो जिस समय उनको प्रमोशन देना होगा, एफिशियेंसी बार क्रौस करना होगा, उस समय किसी रिकार्ड के न होने की वजह से आटोमेटिकली एफिशियेंसी बार क्रौस कर जायेंगे और प्रमोशन पा जायेंगे जो नोट आफ डिसेंट हमारे माननीय मित्रों ने सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में दिया था उसमें उन्होंने कहा है कि किसी टीचर के अपौइन्टमेंट के बाद जब कनफर्मेशन होता है वह कनफर्मेशन as a matter of course न हो केवल काम और योग्यता के आधार पर प्रमोशन मिले या एफीशियेंसी बार क्रास हो तो उसके लिये यह लाजिमी चीज है कि प्रत्येक अध्यापक के काम का रिकार्ड रखा जाय किसी रिकार्ड के अभाव में एफीशियेंसी बार क्रास करना या प्रमोशन को रोका नहीं जा सकता। इसलिये बहुत जरूरत है कि प्रत्येक अध्यापक के काम का रिकार्ड मेनटेन किया जाय। इस रिकार्ड का उपयोग दूसरे काम में अध्यापक के विरुद्ध नहीं किया जायगा। न इसकी कोई सम्भावना ही है और न ऐसी कोई आशा ही की जा सकती है।

एक बात और यह है कि एकेडेमिक कौंसिल की संख्या सीमित कर दी गयी है। जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कल कहा था कि एकेडेमिक कौन्सिल की एक कमेटी बन जाने से यह एक ऐसी संस्था हो जायगी जो इफेक्टिव हो सकती है और नित्य प्रति के काम को सुचारु रूप से कर सकती है।

यह जो विधेयक बना है, वह केवल वर्तमान समस्यायों का समाधान करता है। यह विधेयक शिक्षा के सिस्टम में कोई आमल परिवर्त्तन नहीं करता है। यह कहा जाता है कि

हमारे विश्वविद्यालय हमारे सामाजिक ढांचे में खप नहीं पाये हैं। ऐसी शिकायतें बहुत पुरानी चली आती हैं और इसका कारण यह है कि हमारी शिक्षा का माध्यम अभी तक विदेशी भाषा रही है और जो लोग इन विश्वविद्यालयों में शिक्षा पाते रहे हैं उनकी वेशभूषा कुछ ऐसी रही है कि जो हमारे देश की नहीं थी बल्कि विदेशी थी। जो स्नातक इनसे निकलते थे वह ज्यादातर सरकारी नौकरियों में चले जाते थे और वहां जाने के बाद वह हमारे समाज से अलग हो जाते थे जिससे समाज इन यूनिवर्सिटीज को अपना नहीं पाया और यह कमी हमेशा बनी रही। हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिये कि जो यूनिवर्सिटीज हैं वह हमारे सामाजिक ढांचे में ढल सकें। जो हमारा नित्य प्रति का जीवन है उसमें उनका असर पड़ सके। यदि हमारी यूनिवर्सिटीज पाश्चात्य और पूर्वी सभ्यता का समन्वय कर पातीं तो फिर जो विशेष परिस्थिति आज उत्पन्न है वह पैदा नहीं हो पाती। लेकिन इसमें यूनिवर्सिटीज का कोई दोष नहीं है। यदि यह कहा जाय कि यूनिवर्सिटीज ने महत्वपूर्ण कार्य नहीं किये तो यह भी गलत चीज होगी आज हमारी यूनिवर्सिटीज की शिक्षा राष्ट्रीय जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अतः यहां पर किसी प्रकार की ऐसी टीका टिप्पणी या नुक्ताचीनी नहीं होनी चाहिये, जिससे यूनिवर्सिटीज में शिक्षा देने में जो लोग संलग्न हैं वह किसी प्रकार से हतोत्साहित हों। हमारे सुझाव रचनात्मक होने चाहिये। आज हमारी यूनिवर्सिटीज की जो शिक्षा है या अन्य शिक्षा का भी मुख्य दृष्टिकोण यही है कि किसी प्रकार परीक्षा में सफलता हो। हमारी सारी इनर्जी उसी पर लगी रहती है कि हमारे विद्यार्थी किस प्रकार परीक्षा में सफलता प्राप्त करें या कम्पटीटिव एक्जामिनेशन में पोजीशन ला सकें। इसका परिणाम यह होता है कि किसी भी शिक्षार्थी को अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने का अवसर नहीं मिलता है उसके लिये न तो उसको साधन ही प्राप्त हैं और न उसका कोई मूल्यांकन ही हो पाता है। उसके पास साधन नहीं हैं कि वह अपना चरित्र कैसे बनाये, अपना स्वाथ्य कैसे ठीक करे आदि यह बड़ी भारी त्रुटि है और इसको दूर करने की बड़ी आवश्यकता है। परीक्षा की जो विधि है वह भी बड़ी दोषपूर्ण है। इस विधि में संयोग की अधिक संभावना है। जो एलीमेंट आफ चांस है उसकी बहुत बड़ी जगह है। परीक्षक की मानसिक स्थिति कैसी है। वह किस सनक में है। उसकी ह्विम (whim) क्या है, इस सब का आज की परीक्षा की विधि में बहुत बड़ी गुंजाइश है। यदि परीक्षा को रखना लाजिमी है तो जितनी कम परीक्षायें हो सकें उतनी कम की जायं।

इस बात का भी प्रयत्न किया जाय कि विद्यार्थी को अपने सम्पूर्ण व्यक्तित्व को विकसित करने का अवसर मिल सके। इस बात की चेष्टा करने की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। यूनिवर्सिटीज में विद्यार्थियों को अपने व्यक्तित्व के विकसित करने के लिये जो अनुकूल वातावरण मिलना चाहिये वह आज मिल नहीं पाता। आज यूनिवर्सिटी कैम्पस के भीतर वह सब साधन उपलब्ध नहीं हैं जो कि उसके व्यक्तित्व के विकास के लिये आवश्यक होते हैं। परिणाम यह होता है कि वह इधर उधर भटकता है, जैसा कि लखनऊ के विद्यार्थियों के लिये कहा जाता है कि शाम से वह निकल जाते हैं और साढ़े नौ बजे रात तक हजरत गंज में घूमते रहते हैं, जब तक यूनिवर्सिटी कैम्पस में विद्यार्थियों को उपयोगी चीजों में व्यस्त रखने के साधन उपलब्ध नहीं होंगे तब तक यह लाजमी है कि वह दूसरे तरीके से अपनी इनर्जी को फ्रिटर अवे करेंगे। वह बच नहीं सकता। रेजिडेंशल यूनिवर्सिटीज के लिये आवश्यक है कि शिक्षकों के साथ विद्यार्थियों का सम्पर्क अधिक हो यही चीज आक्सफोर्ड कैम्ब्रिज और दूसरी बाहर की यूनिवर्सिटीज में हैं। लेकिन हमारे यहां यूनिवर्सिटी के अध्यापकों और विद्यार्थियों में सम्पर्क बहुत ही कम है। एक तो यूनिवर्सिटी टीचर्स की संख्या इतनी कम है कि उसमें इस तरह विद्यार्थी और टीचर्स का अधिक सम्पर्क सम्भव नहीं। इसका परिणाम यह होता है कि सम्पर्क न होने की वजह से अनुशासन में कमी आती है। इसलिये आवश्यक है कि हर जगह चाहे वह क्लास रूम हो या खेल का मैदान, चाहे मेस हो, हर जगह शिक्षार्थी और शिक्षक का अधिक सम्पर्क बढ़ना चाहिये। तभी यूनिवर्सिटी की टीचिंग का स्टैन्डर्ड बढ़ सकता है और विद्यार्थी रेजीडेन्शल यूनिवर्सिटी का पूरा लाभ उठा सकते हैं।

[श्री राधाकृष्ण अग्रवाल]

हमारे विद्यार्थियों में अधिकांश का आर्थिक स्तर बड़ा दयनीय है। उनके पास इतने साधन नहीं हैं कि वह अपने पौष्टिक भोजन की व्यवस्था कर सकें, साफ-सुथरे कपड़े पहनने की व्यवस्था कर सकें, अपनी किताबें ही खरीद सकें। अधिकांश युनिवर्सिटी के विद्यार्थियों की यही दशा है। अमेरिका में १५ करोड़ की आबादी में लगभग साठ लाख स्नातक हैं, करीब करीब २६ फीसदी। इन स्नातकों में से करीब करीब ७१ फीसदी पूर्णतया या अंशतः स्वावलम्बी होते हैं क्योंकि वहां का सामाजिक और आर्थिक संगठन इस तरह का है कि कोई भी विद्यार्थी अपने को यदि पूर्णतया नहीं तो अंशतः तो जरूर स्वावलम्बी बना सकता है। लेकिन हमारे यहां सिवा इसके कि विद्यार्थी ट्यूशन कर ले दूसरा कोई अवसर नहीं है और मैं जानता हूं कि बहुत से विद्यार्थी ट्यूशन के लिये घूमते रहते हैं। लेकिन उनको ट्यूशन भी नहीं मिलता। मिलता भी है ट्यूशन तो इतने कम पैसे मिलते हैं जिससे वे कोई लाभ नहीं उठा पाते हैं। इंग्लैन्ड में सन् ३४–३५ में विश्वविद्यालयों में ४२ फीसदी विद्यार्थी ऐसे थे जिनको किसी न किसी रूप में सहायता सरकार से या कहीं और से मिलती थी और इस समय वहां ६८ फीसदी विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको कहीं न कहीं से सहायता मिलती है। केवल आक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में ८२ फीसदी विद्यार्थी एसिस्टेड हैं लेकिन हमारे यहां हाफ फ्रीशिप और फ्रीशिप के अलावा विद्यार्थियों को और कोई सहायता मिलने की गुंजायश नहीं है। मैं नम्र निवेदन माननीय शिक्षा मन्त्री से करता हूं कि बजाय फ्रीशिप और हाफ फ्रीशिप विद्यार्थियों को देने के उन्हें बर्सरीज दी जायं। यूनिवर्सिटीज में केवल उन्हीं विद्यार्थियों को लिया जाय जो पढ़ने लिखने में योग्य हों और जो यूनिवर्सिटी की शिक्षा से कुछ लाभ उठा सकें और उन्हें आर्थिक सहायता दी जाये। एकदम कोई भी विद्यार्थी जो युनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता हो उसको भर्ती कर लिया जाय तो उसका अवश्य परिणाम यह है कि युनिवर्सिटी का स्तर गिरेगा।

एक चीज जो हमारे ही देश में नहीं है और देशों में भी है वह यह है कि टेक्निकल एजूकेशन को आजकल बड़ी प्रधानता दी जाती है। जो ह्यूमेनिटी की शिक्षा है उसकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। जो अच्छे विद्यार्थी नहीं होते और अधिक समय पढ़ने लिखने में व्यतीत नहीं करना चाहते वही उन विषयों को लेते हैं जो ह्यूमेनिटीज से सम्बन्धित हैं और जो अच्छे विद्यार्थी हैं वे टेक्निकल एजूकेशन की तरफ भागते हैं। यह कोई रुख बहुत अच्छा नहीं है। आज इंग्लैन्ड, अमेरिका और जर्मनी जो कि टेक्निकल एजूकेशन में सब के आगे हैं वहां पर जो सर्वेज हुए हैं उनका परिणाम यह निकला है कि टेक्निकली आगे बढ़ने के लिये यह भी आवश्यक है कि विद्यार्थियों को ह्यूमेनिटीज की भी शिक्षा मिले। इसलिये हमारे यहां का जो करीक्यूलम है वह इस प्रकार का बने कि टेक्निकल और साइंटिफिक एजूकेशन के साथ-साथ ह्यूमेनिटीज की शिक्षा भी मिल सके।

एक बात जिसकी बड़ी नुक्ताचीनी की गई है वह यह है कि इस विधेयक के द्वारा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज पर अपना कंट्रोल करना चाहती है, मैं समझता हूं कि इसमें कोई बहुत ज्यादा तत्व नहीं है। मैंने उस विधेयक को कई बार, जब यह सिलेक्ट कमेटी में था, पढ़ा। मैं समझता हूं कि उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, जो विधेयक बना है और जिन लक्ष्यों की पूर्ति के लिये बना है उनका उल्लेख मैं पहले ही कर चुका हूं। इस विधेयक में कोई ऐसा विधान नहीं है जिससे गवर्नमेंट का सीधा कंट्रोल बढ़ता हो। इंगलैन्ड में जहां बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें से अधिकांश पहले पब्लिक एंडोमेंट्स से ही बनीं। लेकिन अब इंगलैंड में पब्लिक ऐन्डोमेंट से इतनी अधिक सहायता नहीं मिलती है जिससे युनिवर्सिटीज का विकास हो सके और अब वहां भी यूनिवर्सिटीज ज्यादातर गवर्नमेंट एड पर निर्भर हैं। उन यूनिवर्सिटीज पर गवर्नमेंट का कंट्रोल निरन्तर बढ़ता ही जा रहा है। जब गवर्नमेंट पैसा ज्यादा देती है, तो अपना कंट्रोल भी उसी मात्रा में बढ़ा रही है। लेकिन वह अपना कंट्रोल सीधा नहीं बढ़ाती है, बल्कि यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमेटी के द्वारा बढ़ाती है। मैं समझता हूं कि हमारी गवर्नमेंट

का भी यही उद्देश्य है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी यही उद्देश्य है कि यूनिवर्सिटी में कंट्रोल बढ़ाया जाय तो यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमेटी के द्वारा ही बढ़ाया जाय।

एक चीज जिसका कि भारी डर है और वह यह कि यूनिवर्सिटी के ऊपर सरकारी कंट्रोल बढ़ने से, रेजीमेन्टेशन की सम्भावना रहती है कि सब यूनिवर्सिटी एक ही ढांचे में ढल जायं। मैं समझता हूं कि यह चीज ज्ञान की खोज, ज्ञान के संचय और ज्ञान के प्रसार में रुकावट डालेगी। मुझे आशा है कि यह डर बहुत ही कमजोर नींव पर है, इसमें कोई ज्यादा तत्व नहीं है, लेकिन यदि किसी ऐसी बात की सम्भावना हो तो मैं समझता हूं कि एक गणतंत्र सरकार को इस बात की कोशिश करनी चाहिये जिससे कि युनिवर्सिटी में किसी तरह से रेजिमेंटेशन न हो सके। प्रत्येक विश्वविद्यालय को अपनी रुचि और अपने जीनियस के अनुरूप विकसित होने का अवसर मिलना चाहिए। एक ही ढांचे में ढालना हर यूनिवर्सिटी के लिये आवश्यक नहीं है। हमारे विश्वविद्यालयों में ऐसे स्नातक तैयार हों जो समाज के लिये आदर्श हों और जो विभिन्न क्षेत्रों में समाज के अगुवा बन सकें, जिनका शरीर स्वस्थ हो, जिनका मस्तिष्क विकसित हो, जिनका हृदय विशाल हो, उदार हो और मानवता से ओत-प्रोत हो। मैं विश्वास करता हूं कि हमारे विश्वविद्यालयों से ज्ञान की ऐसी आभा फूटेगी जो जन साधारण में प्रसारित होगी और जिसके द्वारा हमारा मानव-जीवन ऊंचा उठ सकेगा, जो नित्य प्रति के संघर्ष हैं वे कम हो सकेंगे और हमारा जीवन और अधिक उपयोगी हो सकेगा। इन शब्दों के साथ जो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने प्रस्ताव पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री जटाशंकर शुक्ल (जिला उन्नाव)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रत्येक वक्ता के लिये २० मिनट का समय निर्धारित करने की कृपा करें।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--यह प्रस्ताव अनियमित है।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल (जिला इलाहाबाद)--उपाध्यक्ष महोदय, इस समय सामान्य विवाद हो रहा है इसलिये यह उचित नहीं होगा कि ऐसे विषय पर यह सदन विचार करे। इसलिये मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सेक्शन २९-बी है जिसके ऊपर बहस हो रही है उसका आधा तो ब्रेकेट में है और आधा बिना ब्रेकेट के है इसका मतलब यह है कि इसको डिलीट कर दिया गया है। तो अगर डिलिट कर दिया गया हो तो हम उसके मुताबिक बहस करें और न डिलिट किया गया हो तो उसके मुताबिक बहस करें, इसको जरा माननीय मंत्री जी बतला दें।

श्री उपाध्यक्ष--यह तो सामान्य विवाद हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष--जो सवाल माननीय मदन मोहन उपाध्याय जी ने उठाया है उस के बारे में मंत्री जी बतला दें अगर बतलाना चाहें।

श्री हरगोविंद सिंह--जी हां, वह डिलीटेड है।

श्री अमरेशचन्द्र पांडेय (जिला मिर्जापुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का बड़ा ही अनुगृहीत हूं कि आप ने मुझे इस भवन के समक्ष निवेदन करने का अवसर दिया। जो प्रस्ताव हमारे सामने माननीय तेज प्रताप सिंह जी ने पेश किया है कि इस प्रस्तुत विधेयक को प्रवर समिति में पुनः भेजा जाय, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हू। किसी वस्तु को संतुलित या मूल्यांकित करने के लिये उचित मापदंड की आवश्यकता होती है और वह अत्यधिक अपेक्षित हो जाता है जब उसका सम्बन्ध जनता की उच्च-शिक्षा से होता है। यदि हम औचित्य के मापदंड से इस विधेयक का विवेचनात्मक विश्लेषण करें तो यह विधेयक प्रगतिशील नहीं दिखलाई पड़ता। प्रयाग विश्वविद्यालय का विद्यार्थी होने के

[श्री अमरेशचन्द्र पांडेय]

नाते यह मेरा धर्म हो गया है कि मैं इस विधेयक का आंशिक विरोध करूं और इस प्रकार अपने क्षोभ का प्राकट्य करूं। इसके पूर्व कि मैं इस विधेयक के औचित्य या अनौचित्य के बारे में सदन में कुछ निवेदन करूं, मैं यहां पर युनिवर्सिटी अटानामी के सम्बन्धमें निवेदन करना चाहता हूं। श्रीमन्, राजनीतिज्ञों और विद्वानों में बड़ा अन्तर होता है। जब देशों में आपदायें आती हैं, जब उन पर काले बादल मंडराते हैं, जब उनकी प्रगति अवरुद्ध होती है और उत्थान के सारे मार्ग बन्द हो जाते हैं तो ऐसे समय में राजनीतिज्ञों से कहीं अधिक उस देश के विद्वान उस देश का मार्ग प्रदर्शन करते चले आये हैं। जब वीरों की तलवारों का पानी उतर गया, उस समय भी तुलसी के कमंडल का जल नहीं सूखा। श्रीमन्, देश का बड़ा दुर्भाग्य नहीं होता, यदि उस देश का शिक्षा मंत्री mediocre हो, देश का बड़ा दुर्भाग्य नहीं होता, यदि उस देश का शिक्षा मंत्री, शिक्षा के मौलिक सिद्धान्तों को न जानता हो, परन्तु श्रीमन्, उस देश का बड़ा भारी दुर्भाग्य होता है, यदि उस देश के विश्वविद्यालय के शिक्षक अपनी योग्यता से नहीं, प्रत्युत सिफारिशों से रखे जांय, यदि उस देश के विश्वविद्यालय के शिक्षक उच्च स्तर के न हों और यदि उस देश के विश्वविद्यालय के शिक्षक प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधीन हों। यह सत्य है "One who pays the piper, Calls for the tune". परन्तु सरकार का हस्तक्षेप या नियन्त्रण अप्रत्यक्ष होना चाहिये, प्रत्यक्ष नहीं University autonomy के अन्तर्गत ही विश्वविद्यालयों का सर्वतोन्मुखी विकास होता है और युनिवर्सिटी अटानामी की छाया में ही विश्वविद्यालय ज्ञान के संवर्द्धन में प्रगतिशील होते हैं। श्रीमन्, यह विधेयक प्रतिगामी है, रिएक्शनरी है और हमारी जनतांत्रिक प्रादेशिक सरकार की मर्यादा के सर्वथा प्रतिकूल है। श्रीमन्, हमारे विश्वविद्यालय कोई किंडर गार्टन नहीं हैं, हमारे विश्वविद्यालय कोई क्लब नहीं हैं, हमारे विश्वविद्यालय कोई पोलिटिकल पार्टी नहीं हैं और विश्वविद्यालय प्रचार के कोई साधन नहीं हैं। हम चाहते है कि वह ज्ञान के परिमार्जन में प्रगतिशील हों। हचिन्स ने कहा था कि "A University is the Community of Scholars" श्री विन्सटन चर्चिल के शब्दों में "The first duty of a Univeresity is to teach wisdom, not a trade".

श्रीमन्, देखना यह है कि यदि यह विधेयक इसी रूप में पारित हो गया तो क्या यह ऐसी परिस्थितियों को पैदा करेगा कि जिनसे प्रयाग विश्वविद्यालय ज्ञान के मार्ग में प्रगतिशील हो सकेगा। मुझे इस सम्बन्ध में गहरी आशंका है क्योंकि दुर्भाग्य से जब हमारे पास प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा का कोई निश्चित सिद्धान्त नहीं है, तो उच्चतम शिक्षा का प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता। यह विधेयक निश्चित रूप से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक अनिश्चित वातावरण उत्पन्न करेगा, जिसका परिणाम बड़ा भयानक होगा। श्रीमन्, हमें बड़ी गम्भीरता के साथ यह विचार करना है कि क्या हम अपने विश्वविद्यालयों को रूस की तरह सरकार का माउथपीस बनाना चाहते हैं, बड़ी गम्भीरता के साथ विचार करना यह है कि क्या हम अपने विश्वविद्यालयों को इटली की तरह सरकार की छायामात्र बनाना चाहते हैं? और श्रीमन्, बड़ी गम्भीरता के साथ विचार करना है कि क्या हम जर्मनी की तरह अपने विश्वविद्यालयों को सरकार का प्रतिबिम्ब बनाना चाहते हैं? मुझे पूरा विश्वास है कि इस भवन में बैठे हुये कोई भी सदस्य चाहे इधर बैठे हों और चाहे उधर बैठे हों यह कभी नहीं चाहेंगे कि यूनिवर्सिटी अटानामी की हत्या की जाय या उस पर कुठाराघात किया जाय। हम यही चाहते हैं कि हमारे विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी अटानामी की छत्रछाया में फलें फूलें और ज्ञान का परिवर्द्धन करते हुये ऐसे नवयुवकों का वह निर्माण करें जिनसे देश का निर्माण हो। श्रीमन्, हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों पर यह भी आरोप लगाया जाताहै कि वे आज कल अनियंत्रित हो गये हैं और मर्यादा का अतिक्रमण करते हैं। मैं अपने विचार तो इस सम्बन्ध में इस समय प्रकट नहीं करना चाहता लेकिन एक दृष्टान्त एक पाश्चात्य विद्वान के कथन से देना चाहता हूं। मैं उसका बाद में अनुवाद भी कर दूंगा। राबर्ट एम० हचिन्स साहब कहते हैं:—

"I have heard a great many times in recent years that more and more students were getting more and more Red. In Universitties that are inte-

lligently conducted, I do not believe it. In Universities which permit students to study and talk as they please, I see no evidence of increasing Redness. The way to make students Red is to suppress them. This policy has never failed to have this effect. The vigorous and intelligent student resents the suggestion that he is not capable of considering anything more important than fraternities and football. Most of the University Reds I have heard about have been produced by the frightened and hysterical regulations of the Universities. They are not Reds at all;they are in revolt against being treated like children"

अब मैं इसका अनुवाद भी किये देता हूं :—

"मैंने आज कल बहुत मरतबे यह कहते हुये सुना है कि आज कल के विश्वविद्यालय के विद्यार्थी मर्यादा का अतिक्रमण करते हैं और रेड्स होते जा रहे हैं। उन विश्वविद्यालयों में जहां योग्यता से कार्य का संचालन होता है, वहां ऐसी बात उपस्थित नहीं होती। उन विश्व-विद्यालयों में जहां विद्यार्थियों को स्वच्छन्दता के साथ अच्छे स्तर की शिक्षा की व्यवस्था होती है वहां ऐसी त्रुटियों को स्थान नहीं मिल पाता। विद्यार्थियों को उद्दंड बनाने का कारण यह है कि उन्हें दबाया जाता है। यह दबाने वाली नीति बड़ी ही घातक सिद्ध होती है। विद्वान् और प्रगतिशील विद्यार्थी इस भावना का विरोध करते हैं कि विश्वविद्यालय में उनका कार्य-क्षेत्र केवल पढ़ने और खेल खेलने का है और संसार की अन्य बातों से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। विश्वविद्यालयों के बहुत अधिक विद्यार्थी जो रेड हो जाते हैं वह इन्हीं कारणों से होते हैं। वे वास्तव में रेड नहीं होते, केवल वे इसका विरोध करते हैं कि उनके साथ नासमझ बच्चों सा व्यवहार किया जाता है।"

श्रीमन्, इस विधेयक को प्रस्तुत करते हुये माननीय मंत्री जी ने इस भवन के समक्ष निवेदन करते हुये उन्होंने इस विधेयक की पृष्ठभूमि का सिंहावलोकन किया है। यह विधेयक जो प्रस्तुत है वह सन् १९२१ में Sadd'e commission के आधार पर बनाया गया था। सन् १९२१ के बाद ऐसी परिस्थितियां आईं जिनकी दृष्टि में यह आवश्यक समझा गया कि इस विधेयक का संशोधन किया जाय और इसके सम्बन्ध में मूथम कमेटी बैठी थी। इंडियन गवर्नमेंट ने राधाकृष्णन् कमीशन को भी बैठाया था। इसमें भी बहुत अंशों में उन कमीशनों के कथन पर कार्य नहीं किया गया है बल्कि आंशिक रूप में मूथम कमेटी की सिफा-रिशों पर ध्यान दिया गया है। श्रीमन्, मेरा प्रथम निवेदन यह है कि हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो स्वरूप है वह यूनिटरी और रैजिडेंशल है और यह संख्या यूनिटरी और रेजिडेंशल की इस संशोधन विधेयक में भी दी गई है लेकिन Associated colleges की व्यवस्था से यह स्वरूप बिगड़ जाता है। आगरा यूनिवर्सिटी रूल्स के अन्तर्गत नियम है कि कोई भी कालेज ऐफीलियेट हो सकता है और ऐटानामस कालेज का सच्चा स्वरूप ग्रहण कर सकता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिये भी ऐफीलियेटेड कालेजेज के लिये अधिनियम बनाना यह अनौचित्य पूर्ण है।

क्योंकि इससे प्रयाग विश्वविद्यालय का Unitary और Residential character विकृत हो जाता है। Associated colleges की व्यवस्था से शिक्षा के स्तर पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। हमारे प्रयाग विश्वविद्यालय का शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा रहा है इसीलिये इस व्यवस्था का मैं विरोध करता हूं।

यह अवश्य प्रसन्नता की बात है कि वाइस-चांसलर के चुनाव में जो अखाड़ेबाजी हुआ करती थी उसको दूर किया गया है और इसके लिये मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। लेकिन एक्जीक्यूटिव कौंसिल का निर्माण ग़लत तरीक़े से होगा। उसमें २० सदस्य होंगे जिनमें १२ नान-टीचर्स होंगे और ८ टीचर्स होंगे और अगर वाइस-चांसलर Dean of students को नामीनेट करेगा तो ११ नान-टीचर्स हो जायेंगे और ९ टीचर्स होंगे। कोर्ट में भी यह व्यवस्था की गई है कि जो टीचर्स हैं उनको एक्जीक्यूटिव कौंसिल की सदस्यता

[श्री अमरेशचन्द्र पांडेय]

में भाग लेने से मनाही कर दी गई है। वह न तो वोट ही दे सकते हैं और न खड़े ही हो सकते हैं। यह डेमाक्रेसी के प्रतिकूल है। टीचर्स को इसमें भाग लेने की सुविधा होनी चाहिये।

श्रीमन्, एक कंसल्टेटिव कमेटी बनाई गई है जो वाइस-चांसलर को डिसिप्लिन के मामलों में सलाह देगी। एक्जीक्यूटिव कौंसिल के ऊपर यह चीज मुनासिब नहीं है.....

(शिक्षा मंत्री जी ने बैठे ही बैठे समाप्त करने के लिये कहा।)

शिक्षा मंत्री जी चाहते हैं कि मैं जल्दी से समाप्त करूं। इसलिये मैं इन शब्दों के साथ इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं क्योंकि विधेयक में बहुत सी त्रुटियां रह गई हैं इसलिये यह विधेयक फिर से पेश किया जाय जिसके परिवर्तन की आवश्यकता है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने यह कहा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी के कहने पर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी को ऐसा अधिकार है ? आप इस पर अपनी व्यवस्था देने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही।

श्री हरगोविंद सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि बिना मेरे पूछे मेरे ऊपर आक्षेप लगा दिया जाय, यह सभ्यता के विरूद्ध है।

श्री राजनारायण--आप सफाई दे दें।

श्री हरगोविंद सिंह--मैं क्यों सफाई दे दूं ?

श्री रामनारायण त्रिपाठी--मैं समझता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी को अपने यह शब्द वापस लेने चाहिये कि यह सभ्यता के विरुद्ध है। मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया तो यह आप का काम था कि आप पूछते। लेकिन इसमें सभ्यता का कोई सवाल नहीं उठता। इसलिये आप व्यवस्था दें कि शिक्षा मंत्री का यह कहना कहां तक उचित है।

श्री उपाध्यक्ष --मैं समझता हूं कि जो बात माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कही उसमें अनुचित कोई बात नहीं थी। वह बराबर बैठे रहे और उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमें ऐसा लगता है कि इस विधेयक पर शायद व्यवस्था हो गई है कि जब अपोजीशन के लोग बोलें तो समय का प्रतिबन्ध लगा दिया जाय तो वह अन्याय होगा। क्योंकि एक प्रश्न आ चुका है। अगर कोई ऐसी परिस्थिति आएगी तो हमें उसका विरोध होगा।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि पहले दो दिन से विरोधी दल के भाषण हुये थे।

श्री राजनारायण--अभी एक भी भाषण नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष--अभी केवल तीसरा व्यक्ति बोल रहा है। मैं ४-५ आदमियों को बुला सकता हूं। लेकिन मैं हमेशा मौका देता हूं।

श्री शिवनारायण--उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि चेयर के ऊपर जो राजनारायण जी ने आक्षेप किया है उसको उन्हें वापस लेना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--मैं उसे आक्षेप नहीं समझता हूं।

श्री नरदेव शास्त्री (जिला देहरादून)---श्रीमान् उपाध्यक्ष जी, कल श्रीमान् शिक्षा मंत्री जी ने हम सब लोगों के सन्मुख इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विषय में अपनी स्पष्ट सम्मति दी है और इस बात की मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने अपना मत देने में जो भीतर की त्रुटियां हैं उनकी तरफ भी निर्भय हो कर सभासदों का ध्यान दिलाया है। मैं उस प्रस्ताव का जो कि उधर के मेम्बर की ओर से आया है कि फिर यह प्रवर समिति के पास भेजा जाय या संयुक्त प्रवर समिति के पास भेजा जाय विरोध करता हूं और जो विधेयक सम्मुख प्रस्तुत हुआ है इसी का समर्थन करता हूं और साथ ही २--४ सुझाव देना चाहता हूं। यह जो विश्वविद्यालय शब्द है यह तो कोई आधुनिक गढ़ा हुआ शब्द है। हमारे प्राचीन साहित्य में इस प्रकार का विश्वविद्यालय शब्द इन संस्थाओं के लिये उपयुक्त नहीं होता था। पाणिनी ने जो कि संसार के एक विचित्र व्याकरण शास्त्र के प्रेणता हुये हैं उन्होंने तक्षशिला का जिक्र किया है। तक्षशिला रावलपिंडी से कोई ४० मील के अन्तर पर है और किसी समय में इस तक्षशिला में २० हजार विद्यार्थी पढ़ते थे और २ हजार प्रोफ़ेसर थे। इसी प्रकार नालन्दा के पास भी एक विश्वविद्यालय था जिसमें १० हजार विद्यार्थी पढ़ते थे और १,००० प्रोफेसर थे, वहां छात्रों को लेने की यह प्रक्रिया थी कि जो छात्र जिस विषय का विशेष पंडित बनना चाहता था वह विश्वविद्यालय के द्वार पर जाता था। वहां ७--८ पंडित रहते थे जिनको कि द्वार पंडित कहा जाता था। उन द्वार पंडितों के पास जाकर जब वह छात्र यह कहता था कि मैं भीतर जाना चाहता हूं और अमुक विषय का अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहता हूं तो वे द्वार पंडित लोग उसकी परीक्षा लेते थे और कुछ काल वहीं द्वार पर उसे रख कर इस बात की जांच करते थे कि वास्तव में यह शिक्षा लेने के योग्य विद्यार्थी है कि नहीं, इसकी मेधा शक्ति इतनी है कि नहीं कि जिस विषय का यह अध्ययन करना चाहता है उसका भलीभांति अध्ययन कर सकता है या नहीं। जब उनकी अनुमति मिल जाती थी तब वह भीतर प्रवेश करता था और उन पंडितों के पास भेजा जाता था जिनका विषय वह अध्ययन करना चाहता था। एक इस विधेयक में प्रश्न आया है कि छात्र बहुत हो गये हैं और छात्रों की संख्या कम करनी चाहिए। उपाध्यक्ष जी, मुझे यह बात अच्छी नहीं जंची क्योंकि हमारे प्राचीन साहित्य में कुलपति के लक्षण लिखे हुये हैं कि जो २० हजार छात्रों को अन्न, वस्त्र और विद्याध्ययन करा सके उसका नाम कुलपति है। विधेयक में कहीं भी कुलपति का लक्षण नहीं लिखा है। गवर्नर कुलपति हो सकता है या जिसको प्रोफेसर लोग चुनें वह हो सकता है, तो यह हमारे प्राचीन साहित्य में दिये हुये अर्थ से मेल नहीं खाता है। हमें तो जितनी छात्रों की संख्या बढ़े उतना ही हर्षित होना चाहिये था। अभी हमारे एक मित्र कनाडा गये थे। मैंने उनसे पूछा कि वहां क्या विचित्र बात देखी। तो उन्होंने एक स्कूल बतलाया, वह विश्वविद्यालय रहा होगा, जिसके विषय में उन्होंने कहा कि बहुत अद्भुत वस्तु देखी जिसमें ६ हजार कमरे थे और ३ हजार बरान्डे थे। मैं कल्पना ही नहीं कर सका उनके पत्र से कि ६ हजार कमरे और ३ हजार बरान्डे कितनी विस्तृत भूमि प्रदेश में होनी चाहिये और एक एक कमरे में अगर ३० विद्यार्थी और एक-एक अध्यापक बैठे तो कितने विद्यार्थी होने चाहिये। मेरे ख्याल से ३०--३० विद्यार्थी तो एक-एक कमरे में पढ़ते ही होंगे। इस प्रकार यह बात मेरी समझ में नहीं आयी क्योंकि छात्रों की संख्या घटायी जाय, क्यों न उसको बढ़ने दिया जाय। इतना होना चाहिये कि जो विशेष अध्ययन के लिये आयें, तो पुराने ढंग की तरह, विज्ञ प्रोफेसरों या विद्या-विशारदों को रखा जाय, और अच्छी तरह से जांच करके विद्यार्थी को अन्दर छोड़ दिया जाय। हमारे विश्वविद्यालय आज न ऐसी स्थिति में हैं कि बाहरी देशों से विद्यार्थी पढ़ने चले आयेंगे। लेकिन यहां जो तक्षशिला और नालंदा के विश्वविद्यालय थे, जिनके अब सिर्फ अवशेष रह गये हैं, उनमें सारे संसार के लोग विद्याध्ययन के लिये आते थे। इसीलिये मनु ने भी लिखा है कि ऐ, संसार के लोगों, अगर तुम्हें चरित्र की शिक्षा प्राप्त करनी है तो भारत वर्ष में आओ और यहां आ कर मनुष्य कैसे बनता है इसकी शिक्षा प्राप्त करो। एक पाश्चात्य विद्वान नोटोविच हुआ है जो तिब्बत तक आया था। उसने लिखा है कि जीसस क्राइस्ट जिसके जीवन के १६ वर्षों का पता नहीं है कि कहां बिताया, उसको कोई पाली भाषा

[श्री नरदेव शास्त्री]

में ग्रंथ मिला है, उसके आधार पर उसने लिखा है कि जीसस क्राइस्ट नालंदा में आया था। उसने वहां शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। फिर उसने अपने देश में जा कर प्रचार किया। जो ईमान की सब से बड़ी बात ईसा मसीह की मानी जाती है – "सर्व धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज। अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।।" मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ा दूंगा। मुझ पर दृढ़ विश्वास करो।

इस विधेयक में एक बात की कहीं भी चर्चा नहीं है। छात्रों और अध्यापकों या प्रोफेसरों या विद्या-विशारदों के बीच में सौमनस्य लाना और परस्पर द्वेष का न होना, और जैसे दुर्दृश्य आज देखने को मिलते हैं, उनके निवारण का कौन सा ऐसा नियम है। कुलपति होंगे गवर्नर, उपकुलपति का चुनाव होगा। फिर यह भी विशेषता बतलायी गयी कि इस विधेयक में इस बात का ध्यान रखा जाय कि कम से कम विश्वविद्यालय जो चुनाव के अखाड़े बन गये हैं, अध्यापकों की नहीं विद्यार्थियों तक की यूनियनें बनती जा रही हैं, तो सौमनस्य लाने के लिये और शिक्षा प्रणाली में जो बुराइयाँ फैल रही हैं, अच्छाइयां जो हैं वह तो अच्छी ही हैं। अगर इसमें अच्छाइयां न होतीं तो शिक्षा दीक्षा देने वाले डेढ़ सौ वर्ष हमारे ऊपर कैसे बैठे रहते। फिर सर्वदा अंग्रेजी शिक्षा को दोष नहीं दे सकते। महात्मा गांधी जिन्होंने सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया वह यूनिवर्सिटी की देन है। लेकिन ऐसे लोग गिने चुने हैं। हरएक यूनिवर्सिटी को गांधी और तिलक जैसे छात्र नहीं मिल सकते। ऐसे महापुरुषों का मिलना ऐसा ही है जैसे कि मैं दृष्टांत दे रहा हूं। जिन्हों ने सांपों को पकड़ा है, या जिन्हों ने सांपिनी को देखा है वह यह कहते हैं कि जो सांपिनी अंडा देती है और अंडा बड़ा हो जाता है तो कुंडली बनाती है सांपिनी बीच में अंडा रखती है। जब अंडा फूट जाता है और सांप का जो बच्चा कुंडली से बाहर निकल गया वह तो बच गया। और जो कुंडली के बीच में रहा उसे सम्पनी खा जाती है। ऐसे ही तिलक और गांधी जैसे महापुरुष मिले हैं जो सांपिनी के बच्चों की तरह से इस कुंडली में से निकल गये थे। इसीलिये वह भारतीय सभ्यता के सामने आये थे। इस विधेयक में यह दोष है। धीरे-धीरे वह दूर हो जायगा क्योंकि मनुष्य जब चाहता है तो वह दूर हो जाता है। शिक्षा का इतना जटिल विषय है कि इसके लिये राधाकृष्णन् ने संसार के सारे विश्वविद्यालय देख डाले। उन्होंने कितनी बड़ी-बड़ी पोथियां लिख डालीं, कितनी-कितनी कमेटियां बनीं लेकिन इस बात का कोई हल न निकल सका जिसमें यह बतलाया गया होता कि छात्रों और गुरुओं में सामंजस्य कैसे हो, जो यह खाई है, त्रुटि है वह कैसे दूर हो। पहले हमारे गुरु और शिष्य एक साथ बैठते थे और एक मंत्र पढ़ते थे यह नहीं कि जाते ही एक दम हाजिरी ले ली गयी और पढ़ाना शुरू कर दिया। जो जो विषय वे पढ़ते थे उसके लिये अलग-अलग शान्ति पाठ होते थे। जैसे ग्रामर पढ़नी शुरू की तो उसके लिये अलग शान्ति पाठ होता था। सामान्य शासन पढ़ते थे तो गुरू और शिष्य एक साथ बैठते थे और उसके लिये अलग शान्ति पाठ होता था:–

योगेन वित्तस्य पदेन वाचा,
मलं शरीरस्य च वैद्यकेन।

इस मंत्र में मुख्य बात यह है कि हम एक दूसरे से द्वेष न करें। चौथे चरण में शिष्य कहता है "हे गुरु" और गुरु कहता है "हे शिष्य"। गुरु और शिष्य दोनों के लिये एक कायदा होना चाहिये। गुरु तो चुस्त हो और शिष्य आलसी हो तो इससे काम बनेगा नहीं। गुरु तो सबेरे से शाम तक पढ़ाने के लिये तैयार हो और कहता हो कि आज हम नहीं पढ़ेंगे, इसलिये दोनों की प्रवृत्ति एक सी होनी चाहिये।

सह नाववतु सहनौ भुनक्तु,
तेजस्विनावधीतमस्तु
सहवीर्यं करवावहै
मा विद्विषावहै।

इसका अर्थ है कि एक दूसरे की रक्षा करें । गुरु भी शिष्य की रक्षा करे और शिष्य भी गुरु की रक्षा करे। यह छात्र शब्द इसलिये है कि जिस तरह छत्री वर्षा से बचाती है उसी तरह से छात्र रूपी छत्र गुरु को बचाये, उसकी रक्षा करे, उसके ऊपर कोई आक्षेप न आने दे और सब प्रकार से रक्षा करे। विद्यार्थी तभी सफल होता है जब दोनों का परिश्रम बराबर हो। हम परिश्रम करें और तुम न करो या हम न करें तो यह ठीक नहीं होता। सफलता की कुंजी यही है कि जो पढ़ाने वाला है और जो पढ़ने वाला है उन दोनों में किसी प्रकार का द्वेष न हो। ये जितनी बातें उठती हैं उनका एक मात्र कारण यह निःशुल्क शिक्षा का न होना है। विद्यार्थी सोचता है कि वह तीस तीस रुपये फीस देता है, अतः वह अध्यापकों को नौकर समझता है और अध्यापक समझता है कि उसे ३०० रुपये मिलते हैं, हस्ताक्षर कर दो फिर चाहे बैठो या न बैठो। इस प्रकार की प्रवृत्ति का यह परिणाम होता है कि न गुरू शिष्य की तरफ ध्यान देता है और न शिष्य गुरु की तरफ ध्यान देता है। एक अनाचार, अविश्वास और एक अजीब वातावरण है । इतनी बड़ी-बड़ी योजनायें बनीं लेकिन भारतवर्ष के गुरू और छात्रों के हृदय के बीच में जो अंधकार है वह वैसा का वैसा ही बना रहेगा तो मैं सोचता हूं कि ये योजनायें कैसे कार्यान्वित होंगी, इनसे क्या फायदा होगा। मूल चीज मनुष्य को बनाने वाली शिक्षा है। मैं तो चाहता हूं कि छात्रों की संख्या ५ हजार न हो कर १० हजार हो और इसके साथ एफिलियेट कालेज या स्वीकृति दिये हुये कालेज का प्रतिबन्ध न रखिये। मैं तो प्राचीन ढंग की बात कर रहा हूं मानिये या न मानिये, हाथ आपकी तरफ ही उठेगा। तो मेरा यह सुझाव है कि विद्यार्थी विश्वविद्यालय के द्वार पर जाय और वहां जा कर परीक्षा दे और कहे कि मैं प्राचीन शास्त्र या फिलास्फी पढ़ना चाहता हूं और आप देखें कि वह योग्य है तो उसे वह शिक्षा दी जाय। चाणक्य कौटलीय अर्थ शास्त्र का बनाने वाला कितना बड़ा हो गया है। हम सब उसके सामने अपना सिर नीचा करते हैं। वह तक्षशिला का पढ़ा हुआ था। आज इस प्रकार के छात्र हमारे यहां से निकलते नहीं हैं, जो जाते हैं विलायत जाते हैं। इसके लिये कोशिश नहीं होती कि इतने विश्वविद्यालय न खोल कर एक ऐसा विश्वविद्यालय हो जहां पढ़ने के लिये दूर-दूर के संसार के कोने-कोने से विद्यार्थी आयें। संस्कृत के विषय में यह अब भी है अन्य विषयों के बारे में चाहे जो कुछ हो। जब मैं काशी के अन्दर पढ़ता था तब वहां पर एक रूस का विद्वान आया था। तो उसने मुझसे संस्कृत में पूछा कि यहां पर संस्कृत विषय की पुस्तकें बेचनेवाली दुकानें कहां पर हैं। उसने मुझे बतलाया था कि उसको साहित्य दर्पण लेना है। मैंने कहा कि चलो मैं बतला दूं। उसको साहित्य दर्पण की आवश्यकता थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप इसका क्या करेंगे। उसने बतलाया कि मैं संस्कृत का प्रोफेसर हूं और साहित्य विषय का ही प्रोफेसर हूं। इसलिये साहित्य दर्पण पढ़ने के लिये मैं काशी आया हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि काशी में आने पर मनुष्य एक स्वाभिमान का अनुभव करता है कि मैं पढ़ने के लिये काशी आया हूं। उसका बड़ा भारी सम्मान समझा जाता है। इस प्रकार से मैंने यह कहा कि संस्कृत के विषय में अभी तक लोगों के हृदय में इस प्रकार की भावना है।

अब जहां तक एफिलियेटेड कालेज की बात है वहां पर भी ऊपर से ही प्रभाव पड़ता है। ऊपर से जब रद्दी वस्तु आयेगी तो नीचे सब रद्दी ही होती जायेगी वहां पर अच्छी कहां से आयेगी। यही कारण है कि जिस प्रकार का वातावरण हम चाहते हैं वह नहीं बन पाता है । इस कारण हमारे माननीय मंत्री जी और जो शिक्षा शास्त्री है उनको इस पर बड़ी गम्भीरता से विचार करना चाहिये। एक बात पर मुझे यहां पर बड़ा आश्चर्य हुआ करता है जब से मैं यहां पर विधान सभा में आया हूं मैं प्रायः कम बोलता हूं। मैं पहले भी कहता था कि मुझ जैसा पुरातन शिक्षा शास्त्री वहां पर जाकर क्या करेगा। लेकिन फिर भी मैं कभी कभी यहां पर बोल लेता हूं। मुझे यहां पर सन्त तुकाराम जी का एक वाक्य स्मरण आया। उसक अर्थ यह है कि जो-जो होता रहे उसको देखते जाओ और चुप बैठकर क्या होता है इसको देखते जाओ। मुझे यह बात बहुत अच्छी मालूम हुई किन्तु मैं तो कभी-कभी यहां पर कुछ बोल ही लेता हूं फिर भी देखता ही रहता हूं। मैं प्रायः यह सोचता रहता हूं कि यहां पर जो बिल आते हैं, विधेयक आते हैं तो वह चिरकाल तक रहने नहीं पाता है । यह उसी प्रकार से है जैसे कोई

[श्री नरदेव शास्त्री]

इंजीनियर मकान बनावे और फिर उसको बनाकर यह समझने लगे कि नहीं इधर एक दरवाजा होना चाहिये, इधर खिड़की ठीक नहीं है, इधर नया दरवाजा होना चाहिये, और इधर एक रोशन-दान होना चाहिये। ऐसी ही यहां पर कानून बनाने वालों की गति हो रही है। मगर यह बात समझ में नहीं आती है। यहां पर जो विधेयक प्रवर समिति से आता है उसके विषय में वही लोग जो प्रवर समिति में रहे हों वही उसके लिये फिर कहते हैं कि यह प्रवर समिति के पास भेजा जाय। मेरी सम्मति में कम से कम उन लोगों को चुप रहना चाहिये। यह किस प्रकार से सोचते हैं तो यह एक अजीब बात मालूम होती है। पहला वाचन जब होता है तो वह लोग बोलते हैं, दूसरे वाचन के समय भी बोलते हैं और जब तृतीय वाचन होता है तब तो एक हद ही हो जाती है। कम से कम तृतीय वाचन के समय तो मनुष्य को कुछ नियंत्रण रखना ही चाहिये।

मैंने यह २, ४ बातें कहीं हैं मुझे आशा है कि हमारे देश के शिक्षा शास्त्री इस विषय पर गम्भीरता से विचार करेंगे। हमारे प्राचीन शिक्षा शास्त्री जो होते थे उनके सामने इस प्रकार के प्रश्न रहते थे। मनु ने भी इस विषय में कहा है कि यदि कोई शिक्षाशास्त्री राजा का अन्न खा ले तो उसका तेज नष्ट हो जाता है, ब्राह्मण ही एक ऐसा होता है जो दूसरों को बल देता है और अगर उसके पास तेज नहीं होता है तो फिर अन्य प्रजाजनों में किस प्रकार से बल आयेगा। इसलिये स्वतंत्र वातावरण में बैठकर इस प्रकार के विषय पर चिन्तन करना चाहिये। इसी कारण कहा गया है कि 'मा विद्विषा व है' आज कल समझ में नहीं आता कि शिक्षा शास्त्रियों का न जाने क्या उसूल है। एक शिक्षा शास्त्री से पूछा गया कि अच्छी शिक्षा कैसे हो तो उन्होंने बताया कि बड़ी-बड़ी बिल्डिग हों, भला बड़ी-बड़ी बिल्डिग् से पठन-पाठन का क्या संबंध है। किसी के पास बड़ी-बड़ी बिल्डिग्स हों और अध्यापक अच्छे न हों। किसी के पास सब साधन हों लेकिन अध्यापक और विद्यार्थी थर्ड क्लास के हों। यदि विद्यार्थी खड़े होकर पढ़े तो क्या हानि होगी। कहा जाता है विद्यार्थियों को मार कर नहीं पढ़ाना चाहिये, पहले विद्यार्थियों को मारते थे यह ठीक नहीं है। कोई कहता है १०–५ बेंत अलग ले जाकर मार देने चाहिये जिससे दूसरे विद्यार्थियों पर उसका असर न पड़े। इस प्रकार के अनेक नियम बनते हैं लेकिन सौमनस्य पढ़ाने का कोई प्रबन्ध नहीं किया जा रहा है। मेरा विचार है कि चाहे जो कोई प्रबन्ध क्यों न हों लेकिन अध्यापक और विद्यार्थी में सौमनस्य नहीं होता तो अध्यापन का कार्य ठीक प्रकार से चल नहीं सकता।

एक और बात है। आजकल लोगों को धर्म के नाम पर अत्यन्त चिढ़ हो गयी है। जब आप सत्य को मानते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप धर्म को नहीं मानते। जब आप अहिंसा को मानते हैं तो क्या आप धर्म को नहीं मानते। इस विषय में एक लोकोक्ति कहना चाहता हूं। नगर की सीमाओं के बाहर प्रभात कुटीर (चुंगीघर) म्युनिसिपैल्टीज की होती है जो बाहर से नगर में आने वाली सड़कों के किनारे होती हैं। यहीं से मोटर, गाड़ियां आदि जाती है और यहां पर उनसे टैक्स लिया जाता है एक किसान बाहर से ५ बजे गाड़ी भर कर चला और वह इस प्रभात कुटीर पर आया। उसने सोचा किसी प्रकार से इस टैक्स से बचना चाहिये यद्यपि उसे पता न था कि किसी भी प्रकार उससे नहीं बच सकता क्योंकि जो सड़क जाती है उसके प्रत्येक कोने पर वह कुटी पड़ती थी तथा वह सरक्यूलर रोड पर चल पड़ा उसने अपनी गाड़ी को दूसरी ओर को मोड़ दिया। रात भर वह गाड़ी चलती रही और अन्त में उसने देखा कि वही कुटी उसके सामने थी। इसी प्रकार से हमारे शिक्षा शास्त्री हैं जो कि धर्म के नाम पर डरते हैं। जब आपकी शिक्षा का कोई उद्देश्य ही नहीं है तो फिर क्या उससे कभी आपको न्याय प्राप्त हो सकता है। सौभाग्य से जवाहर लाल जी ने अभी कहा कि हमें B. A.'s. की आवश्यकता नहीं है। हमें तो उद्योग धंधे जानने वाले लोगों की आवश्यकता है। इस प्रकार से मैंने अपनी बात को थोड़े से शब्दों में कह दिया जो भी इसमें अनुचित हो उसको मैं आशा करता हूं कि आप लोग क्षमा करेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी —श्रीमन्, प्रश्न यह है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी विधेयक पर विचार किया जाय और श्रीमन्,इस प्रश्न में यह भी प्रश्न निहित है कि इस प्रदेश और देश की उच्च शिक्षा के संगठन पर विचार किया जाय। इसमें मेरे माननीय मित्र श्री तेज प्रताप सिंह ने यह संशोधन उपस्थित किया है कि इस विधेयक को पुनः प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। श्रीमन् मुझे यदि यह आशा होती कि प्रवर समिति में भेज कर यूनिवर्सिटी की उस स्वतंत्रता की रक्षा हो सकेगी जिसका हरण इस बिल द्वारा किया गया है, अगर मुझे इस बात का विश्वास होता कि माननीय शिक्षा मंत्री जी के विचारों में कुछ परिवर्तन हो सकेगा जो कि उन्होंने कल ही इस सदन के सन्मुख उपस्थित किये हैं, अथवा प्रवर समिति में भेज कर इस विधेयक के स्वरूप को कुछ बदला जा सकेगा, तो मैं अवश्य उनके प्रस्ताव का समर्थन करता लेकिन मुझे कोई ऐसी आशा अब नहीं रही और इसीलिये मैं इस सदन के माननीय सदस्यों के ऊपर और अपने माननीय मित्र श्री अमरेश चन्द्र पांडेय और श्री नरदेव शास्त्री जैसे मित्रों के ऊपर जो निष्पक्ष रूप से विधान सभा में विचार रख चुके हैं और जो उच्च शिक्षा को इस देश में वास्तविक दृष्टि से, सफल बनाना चाहते हैं उनके ऊपर ही छोड़ना चाहता हूं। इस सदन में जो संशोधन प्रस्तुत है वह विधेयक मूल अधिनियम को वास्तविक रूप देने और यूनिवर्सिटी में सुधार करने के दृष्टिकोण से इस विधेयक को इसी अधिवेशन में पारित किये जाने हेतु प्रस्तुत है। श्रीमन्, मैं आपसे क्या कहूं मैं कोई शिक्षा का बड़ा विद्वान् नहीं हूं। अपेक्षा तो इस बात की थी, बाहर से भी इस प्रकार की आलोचना हुई है कि इस सदन में एकमेडिशियन कोई नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं ऐसा कोई विद्वान् हूं लेकिन इस सदन में उच्च शिक्षा के प्रति प्रेम रखने वाले, निष्ठा रखने वाले बहुत बड़े-बड़े व्यक्ति अवश्य मौजूद हैं। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि जहां तक मेरा प्रश्न है,मैं इतना बड़ा विद्वान नहीं हूं कि मैं कोई अधिकारपूर्ण चेष्टा करूं कि उच्च शिक्षा के माध्यम और इसके संगठन के ऊपर कोई अधिक निष्ठापूर्वक बात कह सकूं। फिर भी एक महत्वपूर्ण समस्या जब इस सदन के सामने प्रस्तुत है तो मैं इस सदन की आज्ञा से यह जरूर चाहूंगा कि अगर कुछ अधिक समय भी मैं ले लूं तो मुझे आशा है कि आप और इस सदन के माननीय सदस्य मुझे क्षमा प्रदान करेंगे। श्रीमन्, इस विश्वविद्यालय के सुधार करने का जो प्रश्न है उसके लिये सरकार को जो इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा है वह सन् २१ के बाद पहली बार ही आया है तो मैं सरकार से कह देता हूं और आज भी माननीय मंत्री जी और सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि यह जो विधेयक उन्होंने प्रस्तुत किया है वह ऐसा नहीं होना चाहिये कि उन्हें उस पर आने वाले दो तीन सालों के अन्दर ही दूसरा कोई संशोधन विधेयक इस सदन के अन्दर लाना पड़े। इसके अन्दर ऐसी कोई गलती नहीं होनी चाहिये। यह विधेयक ऐसा होना चाहिये जो सर्वांगीण और सम्पन्न हो, जिसमें जहां तक हो सके कोई त्रुटि न हो। माननीय मंत्री जी ने स्वयं अपने भाषण में कहा है कि उनको कुछ अन्दाजा नहीं है कि प्रोपोर्शनल एलेक्शन का जहां तक सवाल है वह कहां तक सफल होगा नई आटोनामी कहां तक सफल होगी। इससे साफ स्पष्ट है कि वे स्वयं अपनी राय बनाने में स्पष्ट नहीं हैं इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इस विधेयक का मन्तव्य कितना अपूर्ण है। आखिर हम इस सदन के सदस्य होने के नाते विधान सभा के नाते युनिवर्सिटी बिल में संशोधन क्यों करते हैं। 'हम एक पुलिस ऐक्ट' की तरह, कोई 'टैक्स लगाने विधेयक' की तरह किसी म्युनिसिपैलिटी विधेयक, के समान ही किसी युनिवर्सिटी विधेयक में कहां तक संशोधन कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी को इस बात का पूरा मौका है कि वह अपना सुधार स्वयं कर सकती है, हम युनिवर्सिटी पर कोई सुधार लाद नहीं सकते। अगर हम लादना चाहें तो निश्चय है कि देश का दुर्भाग्य ही होगा कि हम इस प्रकार अपने समाज, अपनी यूनिवर्सिटीज और अपनी यूनिवर्सिटीज के विद्वानों में अविश्वास प्रकट करें। अगर इस तरह से सुधार लादा जाय तो वह देश कभी पनप नहीं सकता है। जो हमारे 'जिनियस' हैं जो हमारे मानव मस्तिष्क की पराकाष्ठा है उन पर अविश्वास करना और लांछन लगाना मैं समझता हूं कि हमारे लिये उनके प्रति कृतघ्नता प्रकट करना है। यहां पर श्रीमन् मैं गीता के द्वितीय अध्याय का एक श्लोक पढ़ देना चाहता हूं.....

श्लोकः— वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि,
तथा शरीरांणि विहाय जीर्णन्यन्यनि संयाति नवानि देही ।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

अर्थात् मनुष्य जिस प्रकार अपना दैहिक स्वरूप बदलता है और शरीर का पुनः रूप धारण होता है उसी तरह से यूनिवर्सिटी ही अपने कलेवर को, अपनी व्यवस्था को स्वयं बदल सकती है, युनिवर्सिटी ही जब खुद चाहे कि हमारा विधान बदलना जरूरी है तभी यूनिवर्सिटी का विधान बदलना चाहिये। जितना विधान उसके मतानुसार बदला जाना चाहिये उतना मात्र ही बदलना आवश्यक है। गीता का श्लोक मैंने इसलिये नहीं पढ़ा कि मैं कोई संस्कृत में इसकी व्याख्या करना चाहता था बल्कि उसका कारण यह है कि जो विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत है उसको इसी दृष्टिकोण से देखना है। जहां तक मूथम इन्क्वायरी कमेटी का सवाल है वह सरकार द्वारा आर्थिक विश्लेषण के लिये ही नियुक्त की गयी थी, श्रीमन्, मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि जब आर्थिक विश्लेषण के लिये उस कमेटी को नियुक्त किया गया था तो उस के टर्म्स आफ रिफ्रेन्स में एकेडेमिक प्रश्न क्यों रखे गये। ऐसे प्रश्न जिन पर राधाकृष्णन कमीशन की राय जानी जा सकती थी उन्हीं पर फिर दोबारा इस कमेटी को एकेडेमिक प्रश्नों पर जाने देना मैं समझता हूं वास्तविकता तथा औचित्य के प्रतिकूल था। फिर भी मैं मूथम कमेटी के सदस्यों का अभिवादन करता हूं कि उन्होंने एक अत्यन्त कठिन प्रश्न के संबंध में इतनी मेहनत कर एक ऐसी रिपोर्ट दी जिसके आशय को हम स्वीकार कर सकते हैं। प्राथमिक रूप से एसोसियेटेड कालेजेज को यूनिवर्सिटी में मिलाने की बात है और यह कहना कि उसके बाद अब भी यह हमारी रेजीडेंशियल टीचिंग यूनिवर्सिटी हैं तो मैं समझता हूं कि यह तो एक ऐसा विरोधाभास है कि ऐसा करने पर भविष्य हमें न जाने क्या कहेगा। उन्होंने हमें कहीं पर इसकी परिभाषा तक नहीं बताई। जहां तक उच्च शिक्षा प्रणाली का सवाल है उसके अनुसार रेजीडेंशियल टीचिंग युनिवर्सिटी की एक ही परिभाषा है कि जिस विद्यालय में एक ही क्षेत्र में निवास स्थान और पठन-पाठन स्थान होने के द्वारा शिक्षा देने वाले और शिक्षा प्राप्त करने वाले लोगों का निरन्तर शिक्षा सम्पर्क होता हो और उस सम्पर्क के द्वारा ही शिक्षा दी और ग्रहण की जाती हो वह रेजीडेंशियल टीचिंग युनिवर्सिटी है। फिर भी वह कहते हैं कि प्रिएम्बिल में यह आदर्श ही रखा गया है, उसका विरोध तो आगे चल कर करूंगा जहां उन्होंने एसोसियेटेड कालेजेज को स्थान दिया है। मैं थोड़ा सा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के विधान का इतिहास आपके सामने रखना चाहता हूं। यहां का पहला युनिवर्सिटी ऐक्ट सन् १८८७ में बना था। उस समय इलाहाबाद युनिवर्सिटी एक टीचिंग और अफिलियेटिंग यूनिवर्सिटी थी। फिर दोबारा लार्ड कर्जन ने उसमें सुधार कराया। उस समय भी वह अफिलियेटिंग टीचिंग यूनिवर्सिटी थी। लेकिन पहले ही से शिक्षा विशारद सोचते थे कि इस तरह की युनिवर्सिटी देश की युनिवर्सिटियों के लिये ही नहीं बल्कि संसार की तमाम युनिवर्सिटियों के लिये एक हानिकारक चीज होगी। सन् १९१९ में सेडलर कमीशन ने यही एक नया संदेश दिया। उस समय भी उस में बड़े-बड़े अंग्रेज व भारतीय विद्वान थे, उन्होंने भी सिफारिश की थी कि यहां पर एफिलिएटिंग युनिवर्सिटी नही होनी चाहिये और भविष्य में टीचिंग युनिवर्सिटी ही होनी चाहिये। उस समय इलाहाबाद, यू० पी०, राजपूताना, मध्य भारत आदि प्रदेशों की युनिवर्सिटी थी। लखनऊ की नई यूनिटरी आधार पर यूनिवर्सिटी भी उसी समय बनी थी, इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी का उसी समय रिकांस्ट्रक्शन हुआ। यह इतिहास सन् २१ का पुराना इतिहास है। मैं आपकी आज्ञा से एक छोटा सा उद्धरण देना चाहता हूं जो श्री सी० वाई० चिन्तामणि ने सन् २१ में दिया था। उस समय एक संशोधन आया था कि कायस्थ पाठशाला और इविंग क्रिश्चियन कालेज भी प्रयाग विश्वविद्यालय के अंग माने जायं। यह संशोधन व्रजनन्दन प्रसाद मिश्रा ने उपस्थित किया था। वह इस प्रकार है :—

This amendment can only be accepted by those who are opposed to the establishment of a Unitary Teaching University at Allahabad. To allow Associated colleges as defined in this Bill to be situated in the city of Allahabad is to negative the very idea of a Unitary Teaching University. Those members who now think that Colleges at Allahabad may be integral parts of the University or may not be, that they may exist under the conditions that at present

obtain, are really opposed to the idea that underlies this bill. The Council, when they allowed the Bill to go to a Select Committee without a division, and my friend, the member for Pilibhit in consenting to serve on the Select Committee and only dissenting from certain recommendations, have shown that they are in favour of the establishment of a Unitary Teaching University. The member for Partabgarh has illustrated his case by refernece to the Kayasth Pathshala. It may interest him to know that the Principal of this institute as well as the President of the Committee of the Pathshala have whole-heartedly supported this bill and the idea of a Unitary Teaching University and are going to come into the scheme as a college as defined in this Bill, realizing that it will not be to the detriment of the institution but toits advantage.

इसका अर्थ यही है कि सी० वाई० चिन्तामणि महोदय ने स्पष्ट कहा है कि जो भी संशोधन वह इलाहाबाद युनिवर्सिटी की टीचिंग और यूनिटरी कैरेक्टर को बदलता है उसको वे मुनासिब नहीं समझते और कायस्थ पाठशाला कालेज और ईविंग क्रिश्चियन कालेज दोनों ने इस बात को सर्वसम्मति से स्वीकार किया था कि इस प्रकार की टीचिंग यूनिवर्सिटी वह होनी चाहिये। और के० पी० युनिवर्सिटी कालेज व हालैन्ड हाल के रूप में वे विश्वविद्यालय में शामिल हुये तो श्रीमन्, मैं आपसे कहूंगा कि जहां कहीं भी इस प्रदेश के बाहर के विद्वानों ने भी इस बात को सुना है तो उन्होंने इसका विरोध किया है। डाक्टर अमरनाथ झा और डाक्टर हृदय नाथ कुंजरू, इन विद्वानों का नाम मैं नहीं लेना चाहता जिनका जिक्र सदन में आ चुका है लेकिन मैं एक और केवल एक ही उदाहरण यहां देना चाहूंगा। बड़ौदा यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर, श्रीमती हंसा मेहता, जब उन्होंने सुना कि इस तरह का यह संशोधन हो रहा है तो उन्होंने कहा :—

"From the Allahabad University Committee Report one gathers that the reason for this change was the existence of private colleges in Allahabad and the increase in the number of students seeking higher education. It would have been better if the private colleges had been affiliated to the Agra University which is an affiliating University rather than change the charater of the Allahabad University, as was suggested both by Pandit Hridaynath Kunzru and Dr. Amarnatha Jha; and as per the previous resolution of the University Court."

तो श्रीमन्, मिसेज हंसा मेहता जो सेंट्रल युनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन व सेकेंड्री शिक्षा कमीशन की सदस्या रहीं हैं उनका भी स्पष्ट मत है। जब बाहर की यूनिवर्सिटीज के वाइस-चांसलर्स तक आज संशोधन को किसी हालत में स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हैं तो ऐसी हालत में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्यों इस प्रकार की व्यवस्था लादना चाहते हैं। मैं सरकार पर एक आरोप लगाना चाहता हूं कि कहां तो सरकार के लिये यह आवश्यक था कि वह इलाहाबाद युनिवर्सिटी को एक आदर्श के रूप में देश के सामने उपस्थित करती, वह कहती कि इलाहाबाद युनिवर्सिटी को सही माने में टीचिंग यूनिवर्सिटी बनायेंगे, उसके विद्यार्थी होस्टलों में रहेंगे और डेलीगेसी को खत्म कर देंगे, और एक ऐसा आदर्श विश्वविद्यालय उसको बनाते जो कैम्ब्रिज और आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज का मुकाबिला कर सकती और इलाहाबाद ही एक ऐसी यूनिसर्सिटी है श्रीमन्, उसका स्टैन्डर्ड ऐसा रहा है, उसका शिक्षा स्तर ऐसा रहा है जो इस प्रदेश की समस्त यूनिवर्सिटीज में अग्रणी रहा है और जिस युनिवर्सिटी ने प्रदेश का नाम ऊंचा किया है, बजाय इसके कि उसको और सहायता देते इसलिये कि उसका कार्य टीचिंग हो और उसको व्यवस्थित करें कि उसको आदर्श युनिवर्सिटी बनाया जाय, आज उसको एक ऐफीलियेटिंग करेक्टर दिया जा रहा है। मैं तो सरकार पर एक दूसरा आरोप लगाऊंगा कि सरकार ने पिछले तीन चार सालों में लगातार इस बात की कोशिश की कि इलाहाबाद युनिवर्सिटी को बाध्य किया जाय कि वह टीचिंग करेक्टर को छोड़े और श्रीमन् इस बात के सबूत हमारे पास हैं। हमारी सरकार और हमारे मंत्री जी इस बात का दावा करते हैं कि वह

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

युनिवर्सिटी 'ऐटानामी' में हाथ नहीं लगाना चाहते और उसको अक्षंण रखना चाहते हैं। मूथम इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट इस बात की साक्षी है कि ईविंग क्रिश्चियन कालेज और कायस्थ पाठशाला इंटर कालेज दोनों को युनिवर्सिटी में एफिलियेट सा करने के लिये और उनको अपना एसोसियेटेड एफीलियेटेड कालेज बनाने के लिये युनिवर्सिटी ने अत्यन्त विवशतापूर्वक मंजूर किया। मैं मूथम इन्क्वायरी कमेटी रिपोर्ट के पेज १३८ से दो लाइन इस संबंध में आपकी सेवा में रखना चाहता हूं:—

"Having considered the letter of the Secretary of the Education Department, U. P. the Court resolves, that while maintaining the present Unitary, teaching and residential character of the University, the Ewing Christian College and the K. P. College be accorded permission to start B. A. Classes also under such conditions as the Executive Council may deem fit to impose in order to maintain the high standards of efficiency."

श्री हरगोविंद सिंह—दि कोर्ट रिजाल्व ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, जो पहली बार वाइस चांसलर की कान्फ्रेंस हुई वहां पहली बार पुराने शिक्षा मंत्री जो के सभापतित्व में कान्फ्रेंस ने मंजूर किया था कि युनिवर्सिटीज अपने यूनिटरी और टीचिंग के सिद्धांत को छोड़ दें। एक्जीक्यूटिव कौंसिल्स व कोर्ट ने श्रीमन् लगातार प्रस्ताव पास किये कि हमको मजबूर मत कीजिये और हमपर जोर मत दीजिये लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई और अन्त में सेक्रेट्री एजूकेशन डिपार्टमेंट ने एक चिट्ठी लिखी और उसके मुताबिक संभवत: कायस्थ पाठशाला और ईविंग क्रिश्चियन कालेज को ऐफीलियेटेड करने के संबंध में लिखा गया.....

श्री हरगोविंद सिंह—उस चिट्ठी में यह बात नहीं थी।

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमन्, मंत्री जी अगर कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर उठाना चाहते हों तब तो बात दूसरी है लेकिन इस तरह से बीच में रोकना उचित नहीं है।

श्री हरगोविंद सिंह—मैं समझता हूं कि यह अधिकार मुझे होना चाहिये कि अगर गलत बातें कही जायं तो मैं उसको रोक दूं।

श्री उपाध्यक्ष—जब व्यवस्था का प्रश्न उठे तो माननीय सदस्य को बैठने की जरूरत होती है। नहीं तो बीच में बोलना गड़बड़ पैदा करता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—और श्रीमन्, माननीय मंत्री कानून की दृष्टि से बता दें कि एक ओर तो प्रीऐम्बिल में यह रखना और बाद में इस प्रकार अफिलियेट या असोसियेट करना कहां तक ठीक है। इस संबंध में जो कानूनी राय मूथम कमेटी ने दी उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है:—

"We have given reasons above for our difficulti in accepting this view as being right in law ; but assuming it to be correct it is to us obvious that if such institutions can carry on teaching under their own management the Unitary Character of the University could no longer exist in fact.

और माननीय मंत्री जी इस बात को दावे के साथ कहते हैं कि उन्होंने अधिकांशत: मूथम कमेटी की सिफारिशों को मंजूर किया है। मैं कहता हूं कि इन फैक्ट टीचिंग कैरेक्टर नहीं रहता है, 'ला' (कानून) से भी नहीं रहता है और टीचिंग की दृष्टि से भी नहीं रहता। तो मैं उनसे क्या कहूं। वह हमको बतायें। अब मैं यहां पर दूसरे प्रश्न पर आता हूं। माननीय मंत्री जी ने राधाकृष्णन कमीशन की सिफारिशों को मानने का दावा किया है। आखिर उसने सिफारिश क्या की थी ? उन्होंने कहा था कि जिस विश्वविद्यालय में २५ सौ से अधिक विद्यार्थी हों वह यूनिटरी नहीं रहनी चाहिये, वह फैडरेटिव हो जानी चाहिये। उसके अनुसार आपका पैटर्न

भी फैडरेटिव हो जाना चाहिये था। तो क्या मंत्री जी की इतनी हिम्मत हुई कि वह उस राधाकृष्णन कमीशन की सिफारिशों के अनुसार इसको 'फैडरेटिव' टीचिंग यूनीवर्सिटी घोषित करते। अगर उनको असोसियेटेड कालेज रखना था तो जिस प्रकार फैडरेटिव इंस्टीट्यूशन्स में, जैसे दिल्ली युनिवर्सिटी में है, वैसा करते। हायर एजूकेशन का जहां सवाल आता है वहां तक तो पंचवर्षीय योजना भी बेकार है। इसलिये फैडरेटिव टीचिंग युनिवर्सिटी तो नहीं बना सके। तो इस प्रकार राधाकृष्णन कमीशन की बातों को ठुकराना और यह भी कहना कि हम लड़कों की संख्या भी लिमिटेड करने जा रहे हैं तो कहां यह हो रहा है। लड़कों की संख्या को लिमिट करने का सवाल तो दूर रहा, मैं आपसे क्या कहूं अगर इस युनिवर्सिटी के इतिहास को देखा जाय तो जब सन् १९४६–४७ में कांग्रेस मिनिस्ट्री आयी तो इस विश्वविद्यालय में दो हजार नौ सौ लड़के थे और इसके बाद आजकल देखा जाय तो ६ हजार ८३७ का एनरौलमेंट पिछले साल था। तो जितनी संख्या बढ़ी उसके अनुपात से अगर शिक्षकों की संख्या देखी जाय तो शिक्षकों की संख्या १९४४–४५ में १२० के लगभग थी। अब सन् १९५२–५३ में २१३ है। युनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि साइंस के क्लासेज में १५ लड़कों पर एक टीचर रहना चाहिये और आर्ट्स में २० लड़कों पर एक टीचर रहना चाहिये। अगर यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमेटी की सिफारिश मान ली जाय तो इस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ३५९ टीचर्स होने चाहिये, हैं २१३। अब मैं क्या कहूं लड़कों को लिमिटेड करना छोड़ दीजिये, जितने इस समय हैं उनको ही पढ़ाने के लिये शिक्षक अपर्याप्त हैं, उनके बैठने के लिये क्लास रूम्स नहीं है। उनको शिक्षा प्रदान करने के लिये, रिसर्च करने के लिये लाइब्रेरी में पर्याप्त किताबें नहीं हैं और उसके हेतु ग्रान्ट क्या है २५ हजार रु०। मैं क्या कहूं। युनिवर्सिटी के सुधार की बात कही जाती है, रिफार्म करने की बात कही जाती है। श्रीमन्, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी युनिवर्सिटी में पूरा सुधार तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसे आर्थिक स्वतंत्रता व आधार न दिये जायें। आपको उनको ग्रांट्स देनी पड़ेगी, रिसर्च के लिये ग्रांट्स देनी पड़ेगी, लाइब्रेरी के लिये, होस्टल्स के लिये ग्रांट्स देनी पड़ेगी। रुपया जब तक नहीं देंगे तब तक आप किसी प्रकार यह नहीं कह सकते कि हम युनिवर्सिटी में रिफार्म करने जा रहे हैं। आखिर कैसे होने वाला है ? दीनबन्धु सी० एफ० ऐन्ड्रज ने अपने जीवन काल में एक बात कही थी कि आज कल जो क्लास रूम्स हैं सब-ह्यूमन (Sub-human) हैं। वह हर्ड लाइक (herd-like) हैं। माननीय मंत्री जी कोर्ट की मीटिंग में गये अगर वह इलाहाबाद युनिवर्सिटी के आर्टस कालेज और साइंस कालेज की तरफ गये होते कि किस प्रकार चल रहे हैं तो शायद उधर रिफार्म की तरफ भी ध्यान गया होता। मैं तो सुनने के लिये बहुत उत्सुक था कि मंत्री जी घोषित करते कि हां हम एक ओर जहां सुधार की बात करते हैं वहां उनको कार्यान्वित करने के लिये हम पूरे-पूरे अधिकार देने जा रहे हैं। हम रुपया इतना देने जा रहे हैं, हम ब्लाक ग्रांट को बढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने चुप्पी साध ली। हां उनकी अटोनौमी की परिभाषा अपनी बिल्कुल नई है जो दुनिया में कहीं नहीं है। दुनिया के शिक्षा विशारद अलग, मूथम कमेटी की अटोनौमी की परिभाषा अलग। लेकिन मंत्री जी अकेले इस संसार में या इस प्रदेश में या भारत में बिल्कुल अकेले इस संबंध में हैं। मैं उनके व्यक्तित्व पर कोई शंका नहीं करता। लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि आर्थिक स्वतंत्रता को अलग करना घातक होगा इस मूथम कमेटी का संबंधित पहला वाक्य पढ़ लें। उसमें लिखा हुआ है कि आर्थिक अटोनौमी को एडमिनिस्ट्रेटिव और ऐकेडेमिक ऐटोनोमी से अलग नहीं किया जा सकता। यह पहले ही पेज पर लिखा हुआ है। रायल युनिवर्सिटीज कमीशन की रिपोर्ट मेरे पास है। उसमें स्पष्ट कहा गया है कि जरा सी भी ग्रांट्स के नाम पर किसी भी युनिवर्सिटी के लिये यह अपेक्षित नहीं होना चाहिये कि ग्रान्ट्स के नाम पर उनकी फाइनेन्स कमेटी या बोर्ड में नौमीनेशन्स किये जायं। रौयल कमीशन ने ठुकरा दिया कि कोई गवर्नमेंट का नामजद व्यक्ति कहीं नहीं होगा। जो इस संबंध में बात होगी वह ग्रांट्स कमेटी के जरिये से हो होगी। और श्रीमन् मैं बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की एक बात बताना चाहता हूं सन् १९३०–३१ का आन्दोलन ऐसा ही हुआ जब महामना मदन मोहन मालवीय गिरफ्तार

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

हुये, वह वहां वाइसचांसलर थे, उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि नया वाइसचांसलर चुना नहीं तो हम तुम्हारी ग्रांट बन्द कर देंगे, तो उस समय श्रीमन्, सारे अध्यापक वर्ग ने, वहीं की एक्जीक्यूटिव काउन्सिल ने एक मत से प्रस्ताव किया कि हम ग्रान्ट्स नहीं लेंगे और इस प्रकार का हस्तक्षेप पसन्द नहीं करेंगे। हमें जितनी फीस से आमदनी है उसी से अपना काम चला लेंगे बजाय इसके कि हम अपनी अटोनौमी को ग्रान्ट्स के नाम पर कुंठित होने देंगे। हम इसे अंगीकार नहीं करेंगे।

मैं श्रीमन् आपकी आज्ञा से केवल एक छोटा सा पैरा रौयल कमीशन रिपोर्ट का पढ़ना चाहता हूं जिससे स्पष्ट होता है कि इंगलैन्ड में जो माननीय मंत्री जी ने कहा कि ओक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में ऐसा ही हस्तक्षेप होने लगा है, कहां होने लगा है, किस कमेटी में सरकार के प्रतिनिधि हैं, जरा एक भी बतायें।

श्री हरगोविंद सिंह---श्रीमन्, मैं एक प्रश्न उठाना चाहता था कि बार-बार झूठे ही यह कहा जाता है कि मैंने ऐसा कहा। या तो वह हमारी स्पीच कल को अपने सामने रख लें और फिर वह पढ़ कर सुनादें कि यह कहा फिर उस पर कमेंट करें। लेकिन ऐसे ही झूठ कहना, मैंने कभी नहीं कहा कि ओक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज. . . .

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी के लिये यह अच्छा होगा कि उनका उत्तर एक साथ ही दे दें। अगर कोई सदस्य किसी बात को सही समझता है और बार-बार कहना चाहता है तो रोकना ठीक नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, क्या "झूठ" शब्द पार्लियामेंटरी है।

श्री उपाध्यक्ष---हां "झूंठ" शब्द तो मुनासिब नहीं है।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, माननीय शिक्षा मंत्री को अपने शब्द वापस लेने चाहिये।

श्री हरगोविंद सिंह---उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने यह कोट नहीं किया है।

श्री राजनारायण---आप उपाध्यक्ष महोदय की व्यवस्था पर नहीं बोल सकते।

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी को तो अपने शब्द वापस लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री हरगोविंद सिंह---मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं किन शब्दों का इस्तेमाल करूं अगर गलत तरीके से कोट किया जाय?

श्री उपाध्यक्ष---"गलत" कहा जा सकता है।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---इसके लिये "निराधार" शब्द बड़ा अच्छा होगा।

श्री राजनारायण---इसके लिये 'असत्य' हो सकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, जो उद्धरण मैं देने वाला था वह इस प्रकार है कि:---

"That the attempt of the States to control opinion in the Universities and Colleges broke down in 1688 and was never revived, is a great fact that has distinguished our University system from that of France and Germany. It is a precious part of our intellectual and moral heritage as a nation if there were any danger that grants of public money would lead to State interference

with opinion in Universities it might be the less of two evils that they should decline in efficiency rather than lose their independence in order to obtain adequate means."

यह ब्रिटेन की परम्परा है। रायल कमीशन ने कहा कि अगर इस प्रकार का खतरा है कि पब्लिक से रुपया मिलने वाला हो और उससे राज्य का नियंत्रण युनिवर्सिटीज पर स्थापित होता हो तो इन दोनों विरोधाभासों में से जिसमें कम खतरा है उसको लें चाहे पैसा कम मिले, चाहे हम इनएफिशियेंट हो जायं, पैसा नहीं लेंगे लेकिन नियंत्रण सरकारी नहीं होना चाहिये। यह वह परम्परा है जिसको ब्रिटिश सरकार भी मानती है और रॉयल कमीशन भी मानता है। लेकिन हमारे आजाद होने के बाद, मैं क्या बतलाऊं क्या हुआ इसके लिये दो मिसालें देता हूं। एक तो रुड़की यूनिवर्सिटी को लीजिये। आज कहां रही उसकी औटोनोमी ? आज उसमें कितने नामीनेंशन्स होते हैं यह सभी जानते हैं, आगरा यूनिवर्सिटी को लें तो वहां के भूतपूर्व वायस चांसलर डाक्टर नारायण प्रसाद अठ्ठाना ने कहा है कि इसमें चांसलर इज रिट लार्ज चांसलर के अलावा और कुछ नहीं है। फिर यह कहा जाता है कि हम युनिवर्सिटीज का पूरा सुधार कर रहे हैं और उनकी वास्तव में सहायता कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं आपकी आज्ञा से जरा चांसलर महोदय के लिये जो इसमें व्यवस्था की गई है उसकी ओर माननीय मंत्री जी का और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

(इस समय ४ बजकर १२ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनःपीठासीन हुये।)

चांसलर का जो पद है वह सर्वोच्च है। भले ही कुछ युनीवर्सिटीज में उनकी ताकत ज्यादा या कम हों। लेकिन फिर भी चांसलर के पद पर एक उच्चतम व्यक्ति का रहना आवश्यक है, क्योंकि वही हेड आफ दी यूनीवर्सिटी माना जाता है। हमें एतराज नहीं होता और सदन भी मान लेता कि गवर्नर यूनिवर्सिटी का चांसलर हो अगर इस प्रकार के उदाहरण न होते कि गवर्नर के चांसलर होने पर राज्य की शक्ति यूनिवर्सिटी पर स्थापित होने लगती है। इस प्रकार के उदाहरण हमें मिल रहे हैं।

मैं केवल दो उदाहरण रखना चाहूंगा। मैं श्रीमन्, आप की आज्ञा से फिर कहना चाहता हूं कि मैं कोई व्यक्तिगत आक्षेप के रूप में नहीं कह रहा हूं न किसी प्रकार की व्यक्तिग आक्षेप की बात मैं सोच ही सकता हूं लेकिन सिद्धांत की बात मैं रखता हूं। अगर हम राज्य के गवर्नर को चांसलर बनाते हैं जो अपनी केबिनेट की सलाह के ऊपर चलता है तो यूनीवर्सिटी की ऑटोनोमी पर असर पड़ता ही है। पहली मिसाल यह है कि अभी आप देखेंगे कि वर्तमान इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो मूल अधिनियम है उसमें चांसलर को कोई ऐसी ताकत नहीं है कि वह पूछ सकें कि किस का अप्वाइन्टमेंट यूनिवर्सिटी में करने जा रहे हैं। उनकी लिस्ट वह नहीं मंगा सकते हैं। उनको यह भी ताकत नहीं है कि जब तक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर या रीडर के बारे में रिफ्रेंस न हो तब तक वह किसी प्रकार के अप्वाइन्टमेंट को पोस्टपोन या रोक नहीं सकते। लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में अब भी यह सत्य है कि जो वर्तमान चांसलर महोदय हैं उन्होंने वहां के एप्वाइन्टमेंट्स को रुकवाया। क्या यह सही नहीं है कि चांसलर महोदय ने खत लिखा वाइस-चांसलर को कि, आप उन सभी ऐप्लीकैन्ट्स की लिस्ट मेरे पास भेजिये जिन्होंने इन पोस्टों के लिये आपको एप्लाई किया ? इसके जवाब में वाइस चांसलर ने लिख कर भी भेजा। श्रीमन्, कितना बड़ा हस्तक्षेप है कि स्टैट्यूट में बात न हो, विधान में बात न हो, फिर भी इस प्रकार की कोशिश की जाय कि एप्वाइन्टमेंट्स को रुकवाया जाय और उनकी क्वालिफिकेशन्स आदि को बिना किसी विधान के चांसलर महोदय मंगायें। जब बिना विधान के होते हुये चांसलर महोदय एक अधिकार को इस्तेमाल में लेते हैं तो यह कैसी आटोनामी है कि यूनिवर्सिटियों को अपने प्रोफेसर्स का एप्वाइन्टमेंट करने की भी स्वतंत्रता न दी जाय नियम के अनुसार। आज चांसलर महोदयों का इन्टर यूनिवर्सिटी कैम्प भी होता है। बहुत सुन्दर विचार है और मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन जो दूसरा उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहता हूं उसको जानकर शायद आपको भी थोड़ा दुख होगा कि किस प्रकार से कभी-कभी

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

किसी पार्टी का ही प्रचार वहां हो जाता है। २५ जून, १९५३ को जो कैम्प हुआ था उसमें चांसलर महोदय ने भाषण देते हुये कहा था, मैं केवल एक ही सेंटेंस उसका आपकी आज्ञा से पढ़ूंगा। उन्होंने कहा :—

"Another powerful element which binds the country inspite of criticism, justified and unjustified, is the Congress Pary contolled by seasoned states men. For some time to come, it is hoped, it is sure to continue to form Governments in all States playing a helpful role in strengthening the Unity."

श्री अध्यक्ष—यह कहाँ से आप पढ़ रहे हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—यह श्रीमन्, चांसलर्स इन्टर युनिवर्सिटी कैम्प की रिपोर्ट है। तो श्रीमन् आप स्वयं सोचें कि जब चांसलर महोदय भी एक विशेष पार्टी के बारे में कहें और वह भी आने वाले समय के लिये, केवल वर्तमान समय के लिये ही नहीं। क्योंकि वह कहते हैं कि "फार सम टाइम टु कम" तो यह कहां तक उचित है। इसलिये श्रीमन्, मैं कहता हूं कि आन्ध्र युनिवर्सिटी ने बड़ा ही अच्छा किया जो उन्होंने अपने बदले हुये विधान में इस बात की व्यवस्था की कि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के विश्वविद्यालय के चांसलर हों। और इलाहाबाद का तो यह सौभाग्य है कि हाई कोर्ट इलाहाबाद में ही है और चीफ जस्टिस भी वही हैं। इसलिये यह और भी उचित बात है कि वहां चीफ जस्टिस चांसलर हों। मैं यह नहीं कहता कि प्रत्येक गवर्नर जो चांसलर होगा वह जरूर गवर्नमेंट के इशारे पर चलेगा, लेकिन वह भी करें क्या, विधान में जो मौजूद है कि कैबिनेट मिनिस्टर्स की राय से कार्य करेगा। चीफ जस्टिस चांसलर क्यों हों इस संबंध में मैं आपकी आज्ञा से केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि इसका समर्थन डाक्टर रामप्रसाद त्रिपाठी व श्रीमती हंसा मेहता जैसे भारतीय विद्वान् जो कि सागर व बड़ौदा युनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी हैं उन्होंने किया है। डा० त्रिपाठी का कहना यह है :—

"The Governmental view point is generally utilitarian in the material sense while the acaedemic considerations might transen the limitations of popular fantasies and vageries of political or administrative expediency. If no constitutional difficulty is involved it may be preferable to have the Chief Justice as the Chancellor."

अर्थात् सरकारी दृष्टिकोण एकांगी होता है और शिक्षा का जो दृष्टिकोण है वह इस एकांगी दृष्टिकोण से विभिन्न होता है। इसीलिये शासकीय दृष्टिकोण से शिक्षा को नहीं देखना चाहिये। अगर कोई वैधानिक दिक्कत नहीं होती है तो यह उचित होगा कि चीफ जस्टिस चांसलर बनाया जाय। डाक्टर त्रिपाठी ने यह भी कहा कि प्रेसीडेंट ने इस बात को अंगीकार कर लिया है कि तिरुपाथी में बनाई हुई युनिवर्सिटी का चांसलर चीफ जस्टिस हो। मेरे पास और भी कोटेशंस हैं लेकिन मिसाल के लिये मैंने इसे पेश कर दिया जिससे साबित होता है कि इस देश के बड़े-बड़े विद्वान सोचने लगे हैं कि चांसलर गवर्नर को न होना चाहिये। राधाकृष्णन कमीशन ने कहा था कि जिस स्टेट में एक से ज्यादा युनीवर्सिटी हो वहां पर तो कभी गवर्नर को चांसलर बनाना ही न चाहिये क्योंकि उनको इतना मौका नहीं मिलता है कि वह राज कार्य को छोड़ कर इतनी दूर तक जा सकें और इतनी गुत्थियों को सुलझा सकें जो अलग-अलग युनिवर्सिटीज के शासन प्रबन्ध में उठती हैं। उन्होंने राज्यों को इस विषय पर स्वतंत्र निश्चय कर सकने की छूट दी। इस दृष्टिकोण से भी मैं समझता हूं कि चांसलर को हमें बदलना चाहिये।

अब मैं चांसलर की शक्तियों के संबंध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमने चांसलर की क्या-क्या शक्तियां अब बढ़ाई हैं। १० प्रकार की शक्तियां तो उनको पुराने विधेयक से मिली हुई हैं और ५—६ ताकतें बढ़ाई गई हैं।

मिसाल के तौर पर एक ताकत तो यह है कि सिलेक्शन कमेटी जो टीचर्स के एप्वाइंटमेंट के लिये होती है चाहे लेक्चरार, चाहे रीडर या प्रोफेसर का एप्वाइंटमेंट हो अगर एक्जिक्यूटिव कौंसिल में और सिलेक्शन कमेटी में मतभेद होता है तो चांसलर जिसको चाहे एप्वाइंट कर सकता है। इसमें शब्द इस्तेमाल किये गये हैं 'हूमएवर ही थिंक्स फिट'। सिलेक्ट कमेटी के बाहर भी नामों का चाहे तो वह एप्वाइंट कर सकता है। जहां हम इस बात की व्याख्या करते हैं कि अलग-अलग सब्जेक्ट आफ स्टडीज में अलग-अलग एक्सपर्ट्स होंगे, अलग-अलग युनिवर्सिटीज से अलग-अलग एक्सपर्ट्स के नाम मंगाये जाते हैं लेकिन ऐसा मान लिया गया कि चांसलर सब विषयों के एक्सपर्ट होंगे। यह कैसे हो सकता है। एक तरफ तो हम इतना प्रिकाशन लें, कि हर सब्जेक्ट पर एक्सपर्ट दो-तीन आयेंगे और चांसलर महोदय को मजबूर कर दें कि हर चीज में वह एक्सपर्ट हों।

दूसरी पावर' डिसिप्लिनरी पावर्स' के संबंध में बढ़ाई गई है। उसमें कहा गया है कि अगर कंसलटेटिव कमेटी जिसको वाइसचांसलर बनाता है उसमें और एक्जिक्यूटिव कौंसिल में मतभेद हो तो वह केस चांसलर के पास जायगा और अनुशासन के मामले में भी उनकी राय प्रधान होगी कि वह जो फैसला चाहें दे दें। एक दूसरी बात भी बड़ी अजीब मालूम होती है कि एक तरफ तो चांसलर अन्तिम फैसला दे दें दूसरी तरफ उसके फैसले के भी खिलाफ फिर एक्जिक्यूटिव कौंसिल को अपील हो सकती है। उपधारा ५ को देखा जाय उसमें लिखा है कि चांसलर के फैसला के बाद जिसके खिलाफ फैसला हो वह एक्जिक्यूटिव कौंसिल को अपील भी कर सकता है १५ दिन के अन्दर और बाद को एक्जिक्यूटिव कौंसिल के इस फैसले पर भी आर्बिट्रेशन आफ ट्रिब्युनल एप्वाइन्ट की जा सकती है जिसमें चांसलर फिर एक 'अम्पायर' को नामजद करेंगे। तो यह कैसा भानुमती का पिटारा है, कैसी यह चांसलर की ताकत है जो उपयोग में लाई जाय तो हानिकारक है? और उपयोग में लाई जाय तो हास्यास्पद भी है? हम चांसलर को इतना हास्यास्पद और हानिकारक नहीं बनाना चाहेंगे।

तीसरी बात जिसके अनुसार चांसलर के अधिकार बढ़ाये गये हैं, इसके बारे में यह है कि उनकी नामजदगी की ताकते बढ़ा दी गयी है जैसे वह एग्जिक्यूटिव कौंसिल में इतने आदमियों को नामजद करेंगे, जितने डीन आफ फैकल्टीज होंगे, और कोर्ट में तो पहले से ही नामजगदी करेंगे। और यह भी यहां कर दिया है कि चांसलर इस बात का भी फैसला करेंगे कि किस युनिवर्सिटी की डिग्री को माना जाय या न माना जाय यानी विशुद्ध एकैडेमिक फंशंस भी लेने लगे। पहले स्टेट गवर्नमेंट थी। इस बारे में मुझे याद आ गया जब पहले इसी प्रकार का संशोधन लाया गया था तो श्री सी० वाई चिन्तामणि ने जो कि इस समय एजुकेशन मिनिस्टर थे इस बात की मजाक उड़ाई थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था--

"In the Lucknow University Act is embodied a section which makes it necessary for the assent of the Governor-General-in-Council to be obtained before the University could recognise the degrees of any other University as being equivalent to the degrees conferred by itself. We protested against the intrusion of the political personality of the Governor-General-in-Council into what should have been, to quote a phrase which has almost become classical atmoshphere of pure study. In the present Bill care has been taken to exclude any such provision, and the Allahabad University will have full power to recognise the degrees on their merits without the intervention of any outside authority."

श्री सी० वाई० चिन्तामणि जो उस वक्त शिक्षा मंत्री थे उन्होंने कहा कि जिस समय लखनऊ युनिवर्सिटी ऐक्ट में इस प्रकार की धारा लायी गयी थी कि किसी दूसरे युनिवर्सिटी की डिग्री को मान्यता देने के लिये गवर्नर जनरल इन कौंसिल की स्वीकृति की आवश्यकता होगी तो हमने इसका विरोध किया कि इस प्रकार के एक राजनैतिक पर्सनाल्टी

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

को जो कि गवर्नर जनरल की है, उसको शिक्षा के मामले में हम लायें, तो बहुत ही अनुचित होगा। इसीलिये हमने इस बात की सावधानी बरती है कि ऐसा कोई प्राविजन इस विधेयक में न आये, सी० वाई० चिन्तामणि की आत्मा आज क्या कहती होगी ? आज वही प्राविजन जिसका अंग्रेजी जमाने तक में विरोध किया गया उसको हमारी असावधानी से आज इस विधेयक में स्थान दिया जा रहा है। मैं यह भी कहूंगा कि चांसलर महोदय को अधिकार तो सरकार दिये हुये ही है। सरकार ने स्वयं भी चार प्रकार के अधिकार ले लिये हैं। गो सरकार और चांसलर में कोई फर्क नहीं जब कि गवर्नर चांसलर रहता है, फिर भी चार ताकतें सरकार ने खुद ले ली है, जो अकैडेमिक और नानअकैडेमिक बाडीज है उनके प्रतिनिधियों को अब कोई में सरकार नामजद करेगी। पहले वे बाडीज खुद कर सकती थीं जैसे मेडिकल एसोसिएशन, इंजीनियर्स एसोसियेशन है, अगर उनके आदमियों को नामजद करना है तो वह सरकार करेगी। चांसलर भी नहीं करेगा। दूसरी ताकत यह है कि कमेटी आफ रेफरेंस में जिसका यह अधिकार है कि वह बजट के रेकरिंग और नानरेकरिंग लिमिट्स को देखें, उसमें अब चांसलर नहीं स्टेट गवर्नमेंट नामजदगी करेगी। तीसरी जगह स्टेट गवर्नमेंट ने अपने हाथ में यह भी अधिकार ले लिया कि अगर यूनिवर्सिटी में भी कोई सदस्य या कोई अधिकारी रुपया खर्च कर देता है उससे ज्यादा जितना कि बजट में है तो वह रुपया यूनिवर्सिटी के अधिकारी वापस नहीं लेंगे, उसके लिये स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार होगा। यह ताकत उसमें ले ली। मैं क्या कहूं इस सरकार के लिये। केवल यही तीन प्राविजन इस बात को साबित करते हैं कि सरकार की मंशा यूनिवर्सिटी की स्वतंत्र ता छीनने की है। जैसा हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, उनमें से बहुत से मित्र आपको मिले होंगे जो कहते हैं कि नौकरी तो गुलामी है, अगर पेट का सवाल न होता, अगर रोजी का सवाल न होता तो हम नौकरी कभी नहीं करते। तो सरकार यूनिवर्सिटी के रुपये की लगाम अपने हाथ में रखना चाहती है और शायद यही आशा करती है कि जिस प्रकार से वह किसी व्यक्ति से आर्थिक लगान द्वारा सरकारी कर्मचारी की हैसियत से काम करवा सकती है उसी सूरत में यूनिवर्सिटी की संस्था से भी काम करायेगी।

अपनी आर्थिक गुलामी के कारण यूनिवर्सिटी को बाध्य होना पड़ेगा कि वह सरकार के चरणों पर सरकार की नीति पर नतमस्तक हो। इसलिये मैं यह कहता हूं कि उस रेफरेंस कमेटी में जिस प्रकार से सरकार के नामजद सदस्य हों उसका रखा जाना किसी प्रकार से उचित नहीं है।

श्रीमन्, मैं चौथी बात का जिकर करना भूल सा गया। सरकार अपने हाथ में यह शक्ति ले रही है कि आर्थिक विषय संबंधी कोई भी आर्डिनेंस जो कि आमदनी और खर्चे से संबंध में रहता हो, बिना सरकार की मंजूरी के लागू नहीं हो सकता है। आज तक इस प्रकार का आर्डिनेंस यूनिवर्सिटी विधान की हिस्ट्री में कहीं पर भी नहीं लगाया गया है। सरकार उसकी मंजूरी देगी चान्सलर उसकी मंजूरी नहीं देगा और वायस चांसलर भी उसकी मंजूरी नही दे सकता है सरकार उसकी सीधे ही मंजूरी देगी हम क्या कहें कि सरकार यह क्या खिलवाड़ कर रही है। श्रीमन् आपने देखा कि सरकार ने कितने चेक्स आर्थिक संबंधों पर लगाये हैं। पहले कमेटी आफ रिफरेंस हो वह रेकरिंग व नान रेकरिंग एक्सपेंडिचर को तय करे। इसके बाद वह फाइनेंस कमेटी में आये। वह फाइनेंस कमेटी उसके सब आइटम को देखे तब फिर वह बजट बनाये। फाइनेंस कमेटी पर कंट्रोल है ट्रेजरार का। ट्रेजरार को अधिकार दे रखा है कि वह बजट के खर्च के लिये जिम्मेदार है और वह इस बात का भी जिम्मेदार है कि बजट में ज्यादा खर्चा न हो। उस फाइनेंस कमेटी की सिफारिफ एक्जिक्यूटिव कौंसिल में जायगी और फिर उसके बाद वह कोर्ट के सामने जायगी। कोर्ट उसकी खामियों को बतलायेगा और फिर वाइस चांसलर पर भी रोक लगा दी गयी है कि वाइस चांसलर जितना बजट में रखा है उससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकता और एक्जिक्यूटिव

कौंसिल बजट के बाहर खर्च नहीं कर सकती है और फिर बजट जो होगा उसका आडिट सरकार करायेगी । चांसलर व कोर्ट भी ऐसे आर्डिनेंस को नामंजूर कर सकती है । इतनी जगह रोक रखने के बाद और इतनी रुकावट करने के बाद भी इस सरकार का हमारे देश के इन विश्वविद्यालयों के प्रबन्धकों व विद्वानों पर विश्वास नहीं रह गया है कि अपनी आवश्यकतानुसार खर्च कर सकें । यूनिवर्सिटीज में ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर सरकार विश्वास कर सकती थी और इतने चैक लगाने की आवश्यकता नहीं थी लेकिन सरकार का किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं है । अब इसके बाद श्रीमन्, मैं वापस चांसलर के चुनाव के संबंध में जो सिफारिश आयी है उसके संबंध में निवेदन करना चाहता हूं । कहा यह जाता है कि हमने एक मत से चुनाव करने की प्रणाली को स्वीकार कर लिया है । अब तो एक मत से जहां तक होगा राधाकृष्णन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार नाम आयेंगे ऐसी आशा माननीय मंत्री ने की है या उनकी मंशा ऐसी ही है । मैं आपसे क्या कहूं, मुझे कहीं पर ऐसा नजर नहीं आता है कि वाइस चान्सलर के चुनाव की जो व्यवस्था की गयी है वह किसी प्रकार से यूनिवर्सिटी की पार्टीबाजी को कम करेगी या एक मत से नाम भेजने पर मजबूर करेगी । पहले तो इग्जिक्यूटिव कौंसिल ही मिलेगी और मिले भी तो वह एक मत होने की चेष्टा करेगी । फिर उसके बाद तीन नाम एक मत से भेजने की चेष्टा करेगी और अगर एक मत इस पर भी नहीं होता है तो फिर एकल मताधिकार की प्रणाली से चुनाव करा सकते हैं और उसको चांसलर के पास भेज सकती है और चान्सलर चाहे तो उसको वापस कर सकता है । अगर इस पर भी एक मत नहीं हो सकता हो तो फिर तीन नाम भेजने की व्यवस्था कर दी गयी है जो किसी प्रकार से भी मेरी समझ के अनुसार कानूनी प्रणाली के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं है । आप जानते हैं कि अगर यूनिवर्सिटी में मैजारिटी और माइनारिटी होती है तो वह एक नाम के लिये एकमत नहीं हो सकती है । फिर अगली मीटिंग बुलायी जायगी और मेरा ख्याल है कि १० दिन बाद तक वह बैठी रहेगी और दूसरी मीटिंग बैठेगी तो वह नाम करेगी । उसमें से मेजारिटी दो नाम और माइनारिटी एक नाम दे दे तो भी पार्टीबाजी खत्म नहीं हो सकती है । ये तीन नाम चांसलर के पास चले गये और मान लिया कि उसका चुनाव भी हो गया लेकिन तब भी मेजारिटी पार्टी और माइनारिटी पार्टीज कायम रहेंगी । मेरी समझ में नहीं आया कि इस तरह किस प्रकार से पार्टीबाजी को खत्म किया जा सकता है । इस तरह के विधेयक से एक और भी खतरा पैदा हो जाता है वह यह है कि यूनिवर्सिटी को हम इस बात के लिये इसके द्वारा मजबूर कर सकते हैं कि वह अपने अन्तर्गत विभागों के अध्यक्षों को व अतिरिक्त व्यक्तियों को ही नामजद करे और इस प्रकार से बाहर का कोई अच्छा विद्वान उसमें न आ सके । कारण कि उन तीन नामों से दो नाम तो मेजारिटी पार्टी अपनी पार्टी के लोगों में दे देगी और एक नाम माईनोरिटी पार्टी का होगा और इस प्रकार से बाहर के विद्वान का लिया जाना असंभव हो जायगा ।

श्रीमन् इस संबंध में मैं एक सुझाव रखना चाहता हूं । वह सुझाव मेरा ही नहीं है । मेरी तो एक छोटी सी हस्ती है, मैं तो एक प्रवक्ता हूं, पैरवी करने वाला हूं, यह सेंट्रल ऐडवाइजरी बोर्ड आन एजुकेशन जो शिक्षा की सर्वोच्च संस्था है, उसकी राय भी यही है । यह संस्था राधाकृष्णन कमेटी की रिपोर्ट के बाद बनी और इस बोर्ड में राधाकृष्णन कमेटी के सदस्य भी मौजूद थे, उन्होंने इस राय को एक मत से दिया है और इस राय को इसलिये दिया है ताकि राधाकृष्णन कमेटी ने वाइस चांसलर के चुनाव की जो प्रणाली बतायी है, वह लागू हो सके । उन्होंने यह कहा है कि इस काम को एक्जीक्यूटिव कौंसिल के ऊपर न छोड़ा जाय कि वह तीन आदमियों को चांसलर के पास भेजे बल्कि ऐक्जीक्यूटिव कौंसिल एक सेलेक्शन कमेटी का चुनाव करे जिसमें बाहर के तीन विद्वान हों । वे तीन विद्वान ३ नामों को एक्जीक्यूटिव कौंसिल की सिफारिश के साथ चांसलर के पास भेजें ।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

चांसलर इन्हीं नामों में से वाइस चांसलर को चुने। उनकी इस सिफारिश को दिल्ली यूनिवर्सिटी और राजपूताना यूनिवर्सिटीज के विधानों में भी स्वीकार कर लिया गया है। श्रीमन् आप जानते हैं कि दिल्ली और राजपूताना यूनिवर्सिटीज इस देश में कायम होने वाली सबसे नयी यूनिवर्सिटीज में हैं। श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐक्ट की उस धारा को पढ़ देना चाहता हूं जो कि केवल एक दो ही लाइन की है और माननीय मंत्री जी की धारा के समान लंबी भी नहीं है। वह इस प्रकार है—

"The Vice-Chancellor shall be appointed by the Visitor from a penal of not less than three persons selected by a committee as constituted under clause (2).

यानी वाइसचांसलर विजिटर द्वारा चुना जायगा जो कि एक पैनेल की सिफारिश पर होगी जो तीन व्यक्तियों की होगी जो क्लाज दो के अनुसार बनायी जायगी, जो इस प्रकार से होगी—

"The Committee referred to in clause (1) shall consist of three persons two of whom shall be persons not connected with the University or a recognised College or institution, nominated by the Executive Council and one person nominated by the Visitor. The Visitor shall appoint one of the three persons to be the Chairman of the Committee."

कमेटी जो क्लाज १ में बनेगी वह तीन व्यक्तियों की बनेगी जिनमें से दो का संबंध किसी भी प्रकार से यूनिवर्सिटी से नहीं होगा, जिनमें से एक को एक्जूक्यूटिव कौंसिल चुनेगी और दूसरा विजिटर द्वारा नामिनेट किया जायगा। इसी प्रकार से राजपूताने की यूनिवर्सिटी में भी वाइस चांसलर के लिये प्रावीजन रक्खा गया है। उसमें भी आप देखेंगे यही लिखा गया है—

"A Committee of three persons, two of whom shall be persons not connected with the University or any affiliated college recognised school or approved institution, nominated by the Syndicate and one person nominated by the Chancellor, who shall also appoint one of the three as Chairman of the Committee, shall select not less than three persons and shall report its selection to the Syndicate. The Syndicate shall make its recommendations on the persons so selected to the Chancellor, who shall appoint one of such persons as Vice-Chancellor."

भारत के प्रसिद्ध विद्वान व सागर और विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डा० रामप्रसाद त्रिपाठी ने इसी सुझाव को स्वीकार करते हुये लिखा है कि—

"The proposed amendment gave the power of selecting a pena l of names for the Vice-Chancellor's post to the Executive Council. This requires modification. The Central Advisory Board has recommended the practice of the Delhi University. The Chancellor may nominate one top-ranking educationist, who has an all-India reputation while the Executive Council may nominate two. Of these two nominees, one must be a member of the Inter-University Board while the other should be a reputed educationist from outside the State. This Committee of distinguished educationists or academicians may be empowered to give a panel of names for the Vice-Chancellor's post to the Chancellor."

इसका अर्थ यह है कि डाक्टर त्रिपाठी ने कहा कि इंटर यूनीवर्सिटी बोर्ड की सिफारिश के अनुसार हमें तो विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के चुनाव के लिये एक पैनल तय करना चाहिये, एक सेलेक्शन कमेटी बनाने की जरूरत है, उच्चकोटि के जो भारत विख्यात विद्वान हैं वे वाइस चांसलर का चुनाव करें। तो इससे श्रीमन्, दो-तीन बातें स्पष्ट होती हैं।

पहली बात तो यह कि यूनिवर्सिटी का विश्वास वाइस चांसलर को प्राप्त रहेगा, क्योंकि एक्जीक्यूटिव कौंसिल के द्वारा सेलेक्शन कमेटी में दो सदस्य भेजे जायंगे। दूसरी बात यह है कि उच्च कोटि के विद्वान हमको मिल सकते हैं, चाहे वे यूनीवर्सिटी के अन्दर हों, चाहे यूनिवर्सिटी के पदाधिकारी हों या यूनिवर्सिटी के बाहर के पदाधिकारी हों उनको भी हम वाइस चांसलर होने के लिये राजी कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि जहां तक हो यूनेनिमिटी की गुंजायश हो क्योंकि एक्जीक्यूटिव कौंसिल के सामने तीन नाम आयेंगे। वह नाम अगर सेलेक्शन कमेटी भेजेगी तो एक्जीक्यूटिव कौंसिल में मेजारिटी और माइनरिटी का सवाल शायद नहीं उठेगा। माइनरिटी के दिल में यह शंका नहीं उठेगी कि यह हमारा कंडिडेट है लिहाजा यह नहीं हो सकेगा। अगर माननीय मंत्री जी मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लें तो जहां तक इस विषमता का प्रश्न है वह खत्म हो जायगा। जिस तरह से प्रोफेसर, रीडर और लेक्चरार के लिये एक सेलेक्शन कमेटी की आवश्यकता है, उसी प्रकार से इस बात को भी स्वीकार किया जाना चाहिये कि वाइस चांसलर के चुनाव के लिये भी एक सेलेक्शन कमेटी की आवश्यकता है। जैसे एक प्रोफेसर, रीडर और लेक्चरार को एक्जीक्यूटिव कमेटी का कोई सदस्य नहीं नियुक्त कर सकता है उसी प्रकार वाइस चांसलर जिसको कहा जाता है कि वह "कीपर आफ दि यूनिवर्सिटी कांशेंस" है, उसको भी एक्जीक्यूटिव कौंसिल नहीं नियुक्त कर सकती है। श्रीमन्, मुझे विश्वास है कि आगे यह सदन इस पर विशेष रूप से विचार करेगा।

इसके बाद मैं आपकी आज्ञा से एक्जीक्यूटिव कौंसिल के चुनाव प्रणाली की तरफ आता हूं। यह बात सही है और माननीय मंत्री जी इस बात के लिये किंचित बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने एक्जीक्यूटिव कौंसिल को इस विधेयक में स्थान देने की चेष्टा की है। अगर इस विधेयक में एक्जीक्यूटिव कौंसिल का स्थान हो जाय तो स्टेच्यूट के बार-बार बदले जाने की सम्भावना नहीं रहे। लेकिन जो एक्जीक्यूटिव कौंसिल उन्होंने बनायी है, जिसका इस विधेयक में प्रबन्ध किया गया है, हमको यह देखना है कि चूंकि एक्जीक्यूटिव कौंसिल का महत्व एक कार्यकारिणी होने के नाते सार्वभौम है, इसलिये एक्सटर्नल और इन्टर्नल, यूनिवर्सिटी के बाहर और भीतर एकेडेमिक नानएकेडेमिक, जो शिक्षाविद् हैं और जो शिक्षाविद् नहीं हैं उनके बीच एक तारतम्य रहना चाहिये। अगर आप देखें तो जो वर्तमान विधेयक है उसके अनुसार ११ सदस्य तो यूनिवर्सिटी के बाहर के होंगे और ९ सदस्य ऐसे होंगे जो यूनिवर्सिटी के भीतर के होंगे। जहां तक उस बात का प्रश्न है जो संशोधन दिये गये हैं उससे चुनाव का जो अधिकार दिया गया है उसका आवश्यक परिणाम यह होगा कि सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं रहेगी। यह निश्चित नहीं रहेगा कि आज सदस्यों की कितनी संख्या है और कल कितनी हो जाय। क्योंकि आप देखेंगे कि मूथम कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार इलाहाबाद विश्वविद्यालय की इक्जीक्यूटिव कौंसिल ने इस बात की सिफारिश की है कि ६ डीन कर दिये जायं। वे 'आर्ट फैकल्टी' और 'साइंस फैकल्टी' को दो हिस्से में बांट कर चार फैकल्टी करना चाहते हैं। तो डीन की संख्या बढ़े तो उसी अनुपात से एक्सटर्नल मेम्बर की संख्या ज्यादा होगी। तो श्रीमन्, आप देखेंगे कि १३—१० का अनुपात भी स्टर्नल—इक्सटर्नल में हो सकता है। इसलिए आशा है कि सदन दोबारा इस प्रकार इस पर विचार कर के कौंसिल के विधान में एक संतुलन लाने का प्रयत्न करेगा। यहां पर मैं डीन आफ स्टूडेंट्स का भी जिक्र कर देना जरूरी समझता हूं। इसमें बधाई देने योग्य व्यवस्था की गई है कि विद्यार्थियों के वेलफेयर के लिये और उनकी जो 'एक्सट्रा केरिकुलर एक्टिविटीज' हैं उनके बारे में मशविरा देने के लिये एक 'डीन आफ स्टूडेंट्स' रखा जायगा। मुझे आश्चर्य हुआ कि सरकार ने यह अधूरा विधान किस प्रकार बनाया। कहीं उस पद का विधेयक में जिक्र नहीं है केवल एक्जिक्यूटिव कौंसिल में उसको रखा गया है, कहीं कोई जिक्र नहीं कि क्या उसके एमालुमेंट्स होंगे, क्या उसका नाम होगा, क्या उसके फंक्शन्स होंगे, क्या उसका स्टेटस होगा, कहीं विधान में नहीं रखा गया है कि क्या उसके कर्तव्य

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

होंगे। उसमें केवल यह लिखा है कि अगर कोई हो तो वाइस चांसलर उसको एप्वाइंट करेगा। मैं कहता हूं कि किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई विधान है कि वाइस चांसलर कौंसिल सदस्य को स्वतः एप्वाइंट करे। सदन स्पष्ट रूप से जानना चाहता है कि उसके फंक्शन्स क्या होंगे। वह एक दो-तीन करके गिना दिये जायं और उसके जो हक हों, वह भी बता दिये जायं। इस चीज को वाइस चांसलर की 'स्वीट विल' पर न छोड़ा जाय बल्कि यह आवश्यक होना चाहिये कि जो विद्यार्थियों के बहुमत का विश्वासपात्र हो उसकी नियुक्ति एक्जिक्यूटिव कौंसिल करेगी न कि वाइस चांसलर। हां, वाइस चांसलर की सिफारिश कौंसिल के पास जा सकती है अगर वह नामिनेट करेगा तो कितनी बड़ी शक्ति उसके हाथ में आप दे रहे हैं। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस पर पुर्नविचार कर लें। साथ ही साथ जहां एक्जिक्यूटिव कौंसिल की शक्ति का प्रश्न है उसके बारे में मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि एक्जिक्यूटिव कौंसिल की ताकतों में और वाइस चांसलर की ताकतों में कुछ मामलों में कोई स्पष्ट भेद नहीं रखा गया है। जो भेद है वह इतना अस्पष्ट है क्योंकि जिस तरह से बिल का ड्राफ्टिंग किया गया है.... इतना मैं यहां पर साफ कर दूं, मैं कोई सेलेक्ट कमेटी की बातों का रहस्योद्घाटन नहीं करता, यह मैं विश्वास दिलाता हूं कि सारी बातें जो हमने नोट आफ डिसेंट में रखी हैं वह सब वही हैं जिनका जिक्र डिटेल में नहीं हुआ था पर हमने जो सिद्धान्त की बातें वहां कमेटी में रखी थीं वही अपने नोट में भी रखी हैं। उसमें कोई बात ऐसी नहीं है कि जो सेलेक्ट कमेटी में न कही गई हो और यहां पर नोट आफ डिसेन्ट में रखी गई हो। एक आक्षेप इस तरह का किया गया था इसीलिये हमने यह स्पष्टीकरण यहां कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि एक्जिक्यूटिव कौंसिल और वाइस चांसलर की ताकतों में एक पूर्ण तारतम्य होना चाहिये।

अब प्रश्न कोर्ट का आता है। उसकी भी इतनी ताकत नहीं रह गई है जितनी कि मूल अधिनियम में थी। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं और इस कारण यह भी हो सकता है कि कोर्ट एक दलबन्दी का समुदाय बन गया था लेकिन अब जो नया सिद्धान्त स्वीकार किया जा रहा है उसके अनुसार कोर्ट दलबन्दी से बाहर होगा और इसीलिये उसके अधिकारों का स्पष्टीकरण लाजमी है। कोर्ट के किस प्रकार के अधिकार हों यह विचाराधीन है। एक्जिक्यूटिव कौंसिल के लिये यह छोड़ दिया गया है कि वह उसके प्रस्ताव को माने या न माने। एक तरफ तो कहा जाता है कि यह सुप्रीम गवर्निंग बाडी है, सर्वोच्च संस्था है और दूसरी ओर कोर्ट का यह भी अधिकार सीमित हो गया है कि उसके अधिक प्रतिनिधि एक्जीक्यूटिव कौंसिल में आवें। तो कम से कम श्रीमन्, इतना होना चाहिये कि कोर्ट को इतना अधिकार दिया जाना जैसा कि मूथम इन्क्वायरी कमेटी रिपोर्ट में कहा है कि बजट के किसी आइटम को स्वीकार न करने का भी अधिकार कोर्ट को होना चाहिये। इसके अतिरिक्त कोर्ट एक ऐसी संस्था है जिसमें दूसरी यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स होने चाहिये जैसे आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट में भी हमने व्यवस्था की थी कि दूसरी तमाम जो यूनिवर्सिटियां हैं उनके वाइस चांसलर्स को कोर्ट में रखा जाना चाहिये और डीन आफ स्टूडेंट्स को भी कोर्ट में रखा जाना चाहिये।

अब श्रीमन्, मैं इसके बाद सेलेक्शन कमेटी के सम्बन्ध में कुछ अपना निवेदन करना चाहता हूं। सेलेक्शन कमेटी जो अब बनाई गई है यह तो खर्चा बढ़ाने वाली संस्था रह गई है। उससे काम ज्यादा होने वाला नहीं है क्योंकि जो वास्तविक सेलेक्शन का काम था वह उससे बहुत कुछ छीना जा रहा है। सेलेक्शन कमेटी में तीन एक्सपर्ट्स माने गये हैं। 'हेड आफ दि डिपार्टमेंट्स' को भी एक्सपर्ट माना गया है। अगर वह खुद कैंडिडेट न हों और दूसरे जो बाहर की यूनिवर्सिटीज के २ एक्सपर्ट हों वह भी एक्सपर्ट माने गये हैं। और यह भी विधान में रखा गया है कि अगर दो एक्सपर्ट और कमेटी का बहुमत भी किसी नियुक्ति को अंगीकृत कर ले तो उसके बाद भी वह चांसलर

के पास रेफरेंस के लिये कौंसिल द्वारा भेजा जा सकता है। अब मैं क्या कहूं कि वे दोनों एक्स्पर्ट्स भी कहें और सेलेक्शन कमेटी का बहुमत भी कहे कि इसको रख दिया जाय तब भी एक्जीक्यूटिव कौंसिल न माने, यह कैसी विडम्बना है। कहां तो मूथम एन्क्वायरी कमेटी की सिफारिश थी और कहां राधाकृष्णन् कमीशन की सिफारिश थी कि सेलेक्शन कमेटी को पूरा महत्व देना चाहिये। सेलेक्शन कमेटी में डीन फैकल्टी रहेंगे और हेड् आफ दि डिपार्टमेंट्स रहेंगे और वाइस चांसलर्स भी रहेंगे। यूनिवर्सिटी का भी प्रतिनिधित्व उसमें रहेगा, एक्जीक्यूटिव कौंसिल का भी प्रतिनिधित्व उसमें रहेगा। तो फिर इस बात का अधिकार एक्जीक्यूटिव कौंसिल को देना कि सेलेक्शन कमेटी की ही राय न मान कर चांसलर को रिफर करें। मैं तो समझता हूं कि यह सेलेक्शन कमेटी के सिद्धान्त के विरुद्ध है और इससे किसी प्रकार सेलेक्शन कमेटी से एक्सपर्ट सहायता मिलने वाली नहीं है। तो मैं बड़ी नम्रतापूर्वक आदरणीय सदन से निवेदन करूंगा कि सेलेक्शन कमेटी की जो रचना है उसको स्पष्ट करें और इसमें कम से कम अब तक एक्जीक्यूटिव कौंसिल और मैनेजमेंट का प्रतिनिधित्व है तब तक इस बात की गुंजायश नहीं होनी चाहिये कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल उस कमेटी की बहुमत से जो सिफारिश है उसका विरोध प्रकट करे और वह वाइस चांसलर के पास उनकी सिफारिश के लिये भेजे।

श्रीमन्, मैं समय बहुत कम लेना चाहता हूं लेकिन मैं मजबूर हूं। यह विषय ही इतने महत्व का है कि उसके प्रत्येक पहलू पर कुछ न कुछ कहना आवश्यक है।

अब मैं इसके साथ ही साथ फाइनैंशियल स्ट्रक्चर जो यूनिवर्सिटी का है उसके ऊपर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटी के प्रति आर्थिक मामलों में कितनी ज्यादती की गई है। इस सरकार का बजट ४६–४७ में ३९ करोड़ ९१ लाख का था और उसमें शिक्षा पर ३ करोड़ ३ लाख का खर्चा किया गया और अब इस बार तो ८१ करोड़ का बजट हो गया है। बजट की रकमें तब से करीब तिगुनी और साढ़े तिगुनी हो गई हैं। उस समय शिक्षा पर ३ करोड़ ३ लाख खर्च किया गया था और इस वर्ष ९ करोड़ ४७ लाख यानी करीब तिगुना वह भी हो गया है। लेकिन इस बजट में यूनिवर्सिटीज के लिये कितना बढ़ाया गया? यूनिवर्सिटी को दिया जाने वाला अनुदान इसी अनुपात से दुगुना भी नहीं हुआ। अगर आप यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स को उस समय और इस समय के मिलान करके उसका हिसाब लगायेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि ४०–४१ से लेकर ४५–४६ तक ७ लाख ६० हजार के करीब ब्लाक ग्रान्ट्स यूनिवर्सिटियों को दी जाती थीं। तो माननीय मंत्री जी ने क्या किया? मैं उनको दोषी नहीं ठहराता हूं। बजाय इसके कि सरकार ब्लाक ग्रांट को बढ़ाती उसको और कम कर दिया। डियरनेस एलाउंस को छोड़िये, लिविंग कास्ट को छोड़िये उल्टे और ३० हजार रुपये कम कर दिये। ७ लाख ३० हजार की ब्लाक ग्रान्ट करदी।

श्री हरगोविंद सिंह—आप देखकर बात कीजिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, अगर माननीय मंत्री जी को शंका है तो जो किताबें मेरे साथ हैं मैं उनको दिखाने के लिये नहीं लाता बल्कि मैं उनको तथ्य दिखा सकता हूं, अगर यह कहा जाय कि मैं कोई चीज गलत प्रस्तुत कर रहा हूं। श्रीमन् आप देखेंगे कि सन् १९४०–४१ में यूनिवर्सिटी को फीस वग़ैरह के जरिये से ४,९९,००० की आमदनी हुई और ग्रांट के जरिये जो टोटल ग्रांट हुई वह है ७,३०,३९६ यानी कुल खर्चे का ६३ प्रतिशत है। इतना सरकार की तरफ से यूनीवर्सिटीज को अंग्रेजों के जमाने में दिया गया। १९५३–५४ को ले लीजिये कि सरकार की ग्रांट ६३ प्रतिशत से घट कर अब ४७ प्रतिशत तक आ गई है। अब फीस और दूसरे जरिये से यूनिवर्सिटी की आमदनी १३,२५,००० है और पूरी गवर्नमेंट ग्रांट के जरिये से लगभग १३ लाख है।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

अब आप चाहे बजट के अनुपात से देखिये या फिर यूनीवर्सिटी के कुल खर्चे के अनुपात से देखिये तो आपको मालूम होगा कि हर तरह से ग्रांट कम होती चली गयी है। इस प्रकार से मुझे तो यह भी शंका होने लगी है कि शायद सरकार ऐसा कोई मौका ढूंढ़ रही थी कि इसी बहाने से उनको पूरी ग्रांट न दें और इन्क्वायरी कमेटी के बिठा देने से हमारा दखल हो जाय। यूनीवर्सिटीज में जब मैं अपने यहां की यूनीवर्सिटीज की दूसरे प्रांतों की यूनिवर्सिटीज से तुलना करता हूं तो इलाहाबाद यूनीवर्सिटी से कम ग्रांट कई जगह नहीं मिलती है। कुछ यूनीवर्सिटीज को इस प्रकार से सरकार से ग्रांट मिलती है—

अलीगढ़ यूनिवर्सिटी		..	.. ५२	प्रतिशत
अन्नामाली	,,	..	.. ५८	,,
देहली	,,	..	.. ७१	,,
गौहाटी	,,	..	.. ६९.२	,,
लखनऊ	,,	..	.. ५६	,,
मैसूर	,,	..	.. ७८.३	,,
उस्मानिया	,,	..	.. ८६.८	,,
राजपूताना	,,	..	.. ५३.४	,,
सागौर	,,	..	.. ७४.५	,,
ट्रावनकोर	,,	..	.. ८०.५	,,

यह हमारी सरकार की आर्थिक नीति यूनीवर्सिटी के बारे में है।

अब श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से स्टैच्यूट के बारे में कुछ कहना पसन्द करूंगा। श्रीमन् जब १९२१ में इलाहाबाद यूनीवर्सिटी ऐक्ट बना था तो उस समय पहले का ऐक्ट भी चल रहा था और जो सन् १९२१ में विधेयक का संशोधन हुआ तो उसमें फर्स्ट स्टैच्यूट के शिडचूल में रख दिया गया तो जब आप कर रहे हैं तो क्यों नहीं आप पहले ऐक्ट की तरह इसके शिडचूल में लाते। अंग्रेजी की हुकूमत ला सकती है लेकिन आप नहीं ला सकते।

श्री अध्यक्ष—आप अभी कुछ समय और बोलेंगे तो अब हम इस पर विवाद स्थगित करते हैं और कल ११ बजे फिर वह विचार जारी होगा। अब आप कल अपना भाषण जारी रखेंगे। अभी आध घंटा कुछ प्रश्नों के ऊपर डिसकशन होना बाकी है वह प्रारम्भ होगा।

मिर्ज़ापुर सेशन्स न्यायालय की पत्रावलियों की चोरी से सम्बद्ध १४ सितम्बर, १९५४ के तारांकित प्रश्न ४१–४३ के विषय पर विवाद

श्री व्रज भूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बड़े खेद की बात है कि हमारे मिर्जापुर में एक डेढ़ महीने में दो ऐसी दुर्घटनाएं हुईं जो वहां के शासन प्रबन्ध के लिये एक शोचनीय स्थिति बताने वाली होती हैं। एक तो घटना बमकांड की हुई और वह ८–१० रोज पहले हुई जब प्रधान मंत्री प्रयाग में आ रहे थे और वह जन संघ के एक व्यक्ति द्वारा हुई और उसमें एक जनसंघी का हाथ कट गया और उसमें जो चीजें पायी गयीं उन चीजों का लाइसेंसी भी एक जनसंघी है और इस समय म्युनिसिपल बोर्ड मिर्जापुर के वह चेयरमैन हैं। लेकिन सरकार उसमें नाकामयाब हुई और इस रहस्य का पता न लगा सकी कि इस बमकांड के पीछे किसका हाथ था। जहां तक मुझे

मालूम है इसमें उस दूकानदार से कोई जांच-पड़ताल भी नहीं की गई। मैं नहीं कहता कि वे चीजें उन्हीं की दुकान से आयी थीं लेकिन कम से कम पूछताछ तो की जा सकती थी।

दूसरा कांड हमारे यहां सेशन कोर्ट से ५८ फाइलों का गायब हो जाना हुआ। ये मिसलें छत काट कर गायब हुईं या दरवाजा तोड़ कर गायब हुईं इसका कुछ पता नहीं चल सका। मैंने दोनों कांडों पर यहां सवाल उठाया था लेकिन मुझे खेद है कि जवाब बहुत देर में आये। फरवरी में ही मैंने प्रश्न उठाया था लेकिन सत्र खत्म हो गया और उस समय से प्रश्न नहीं आ सके। दुर्भाग्य ऐसा है कि यह कांड भी एक राजनीतिक दल से सीधे नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से सम्बन्ध रखता है। इसमें कहा जाता है कि ४२ हजार रुपये का गबन श्री लालदेव दुबे ने किया। श्री लालदेव दुबे हमारे यहां के प्रजा समाजवादी दल के जो स्तम्भ हैं, श्री भूदेव दुबे उनके भाई हैं और वह एक ला प्रैक्टीशनर हैं, कचेहरी के कीड़े हैं। कचेहरी से मिसलें गायब हुईं लेकिन इस मामले में इतनी शिथिलता बर्ती गई और मुझे शिकायत है कि इसमें मुस्तैदी से जांच नहीं हुई। अगर मुस्तैदी से जांच हुई होती तो बहुत कुछ बातें सामने आ सकती थीं। ४२ हजार रुपये कोआपरेटिव का जो दूकानदार था उसके ऊपर गबन करने का अभियोग था। पहले यह कोशिश की गयी कि मामला न चले लेकिन मिसलें जो गायब हुईं उनमें इस मुकदमें की भी मिसलें थीं। मैंने उनसे पूछा कि किस किस सीगे के मुकदमों की मिसलें थीं तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई सूचना नहीं है। मैं नहीं कह सकता कि जिला अधिकारियों ने सरकार के पास इसकी सूचना कब भेजी। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि चूंकि सेशन कोर्ट की मिसलें थीं इसलिये हाईकोर्ट में कोई सूचना भेजी गयी या नहीं? ऊपर से मिनिस्टर साहब या उनके नुमाइन्दे या हाई कोर्ट से कोई जस्टिस या उनके कोई नुमाइन्दे इस मामले की जांच करने के लिये क्यों नहीं गये? सी० आई० डी० से इस मामले की जांच क्यों नहीं कराई गयी। केवल एक चौकीदार डिसमिस कर दिया गया, वह मिर्जापुर जिले की एक पिछड़ी थारू जाति का व्यक्ति था। एक क्लर्क को महज यहां से वहां ट्रांसफर कर दिया गया। यह भी पता नहीं है कि जो मिसलें गायब हुईं उनमें कितनी मुरत्तब हुईं, कितनी नहीं हुईं, कितने के कागजात मिले कितने के नहीं मिले। कहा जाता है कि गंगा जी में बहती हुई १९ मिसलें मिलीं। लेकिन उनके बारे में भी यह नहीं कहा जा सकता कि वे पूरी मिसलें हैं या अधूरी और जो मिसलें नहीं मिली हैं उनके बारे में क्या कार्यवाही हो रही है? मैं ज्यादा न कह कर केवल जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं और इसीलिये मैंने विवाद के लिये प्रश्न दिया क्योंकि उस दिन जो उत्तर दिये गये थे उससे पूरा समाधान नहीं होता था। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मत्री जी को सूचना कब आयी? अगर सूचना आयी तो क्या कार्यवाही की गयी। जो कचेहरी का मालखान है उसकी रखवाली के लिये जो प्रबन्ध है उसमें कोई रद्दोबदल किया गया या नहीं और इसके अलावा मैं वह भी जानना चाहूंगा कि वह मामला खत्म कर दिया गया है या उस पर फिर जांच की गुंजायश है। उस पर फिर जांच होगी। मुझे अधिक विवाद नहीं बढ़ाना है। लेकिन एक बात जरूर बताना चाहता हूं कि ईमानदारी के साथ अगर हमसे गलतियां हों Honest errors हों तो वह क्षम्य हो सकती हैं। लेकिन अगर हमारी लापरवाही से, हमारे प्रमाद से, हमारी मस्ती से हमसे गल्तियां हों तो जनता इसको माफ करने को तैयार नहीं होगी। मुझे बहुत दुःख है। मैं इस मामले को बहुत सीरियस समझता हूं। जैसी ढीली ढाली नीति हमारे जिले में इधर बरती गयी, जनता कहती है कि जब सरकार अपनी चीजों की रक्षा नहीं कर सकती तो हमारी चीजों की क्या रक्षा करेगी। यह सरकार की बड़ी भारी बदनामी की बात हुई है। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि इसकी कड़ाई से जांच हो और जो ढीलीढाली नीति बरती गयी, जिन लोगों ने शिथिलता दिखलायी, चाहे जिलाधीश हों या कोई हों, उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही हो। सरकार का रुख इस मामले में बहुत कठोर होना चाहिये जिससे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

*न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--अध्यक्ष महोदय, मुझे एक हद तक अपने माननीय सदस्य से इत्तफाक है कि इस मामले में जितनी तैयारी और जितनी अर्नेस्टनेस दिखलानी चाहिये थी वह नहीं दिखलायी गयी। वाकयात यह है कि एक मुकदमा लालदेव के खिलाफ एम्बेजलमेंट का, डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फेडरेशन का चल रहा था और इस मुकदमे के सिलसिले में १८ फरवरी को एडीशनल सेशन जज ने लालदेव के दस्तखत करवाये और कुछ कागजात पर उससे लिखवाया और यह इरादा था कि वह कागजात जिसके मुताल्लिक कहा जाता था कि इसमें एम्बेजलमेंट है, जिसके मुताल्लिक यह डिस्प्युट था कि आया उसका लिखा हुआ है या नहीं, दोनों को हैंड राईटिंग एक्सपर्ट के पास भेजा जाय। यह कार्यवाही १८ फरवरी को हुई। और १९ और २० फरवरी के बीच की रात को उनके यहां एक अलमारी में जहां सब मिसलें लगी हुई थीं एक चोरी हुई। गालिबन यह चोरी इस तरह से हुई कि ऊपर का शीशा तोड़ कर जहां पर मालखाने में सामान रखा हुआ था, वहां कोई आदमी गया और वहां से मिसलें लेकर रात को गायब हो गया। दूसरे दिन इसकी रिपोर्ट थाने में एडिशनल जज के नाजिर ने कर दी। उसके बाद उसकी तहकीकात शुरू हुई। फौरन शक यह हुआ कि लालदेव और उसके साथियों के इशारे से कम से कम यह चोरी हुई है। जहां तक लालदेव की मिसिल का ताल्लुक है उसमें बाउचर्स, कैश रिसीट्स, डेली ट्रांजेक्शन रिपोर्ट और फोर्टनाइटली स्टेटमेंट्स और इस किस्म की चीजें थीं। तो जरूरी काग़जात थे जिनसे जुर्म साबित होता वह कागजात तो मिसल से गायब हो गये। लेकिन कोशिश यह की गयी कि जहां तक हो सके उसके दूसरे कागजात जो मुसन्ने और नकलें जहां जहां पर थे, वह हासिल किये जायं और जो मेरे पास जिलाधीश की रिपोर्ट आयी है उससे यह मालूम होता है कि जहां तक उस मखसूस मिसिल का ताल्लुक है वह बड़ी हद तक फिर से मुकम्मल हो गयी है। और लालदेव के ऊपर मुकदमा जो चल रहा है वह फिर जारी रहेगा। उसका नतीजा क्या होगा यह जाहिर है अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। बकिया जो मुकद्दमात थे उनको देखने से यह मालूम होता है कि जो फेहरिस्त मेरे पास अब आयी है उसमें सिर्फ ऐसी चीजों में तो एक यही केस था जिसकी फायल गायब हुई। लेकिन ४ मुकदमें जो क्रिमिनल अपील के थे उनकी फायलें ग़ायब हो गईं। २३ मुकदमें जो ओरिजनल सूट्स के थे उनकी मिसलें गायब हैं। बाकी कुछ सिविल सूट्स हैं ११ के करीब उनकी मिसलें गायब हैं। कुछ स्माल काज कोर्ट की फाइलें चोरी गईं। इसी तरह से कुछ और मुत्तफर्रिक काग़जात भी थे, जो चोरी गये। फिर दूसरे दिन गंगा के किनारे कुछ काग़जात जिसमें यह लालदेव वाली मिसिल भी थी, पड़े हुए मिले। तहकीकात के मुताल्लिक जो मेरे पास इत्तला आई है जिलाधीश से उससे यह मालूम होता है कि कोतवाली के जो स्टेशन आफिसर हैं उनके मुताल्लिक यह कार्य सुपुर्द किया गया और उन्होंने तहकीकात की लेकिन नतीजा कुछ बरामद नहीं हुआ। एक कोई शख्स था भगवती, वह उसी मौजे का रहने वाला था जहां का लालदेव है और उसका बयान था कि उसने रात को ८ बजे लालदेव, सत्यदेव, शारदा तिवारी और लालता को देखा था। भाला लिये हुए साइकिल पर अपने गांव से शहर की तरफ़ जा रहे थे। इसमें कोई शक नहीं कि मुमकिन था कुछ ज्यादा तहकीकात होती और पुलिस को करनी भी चाहिये थी लेकिन जाहिर है किसी वजह से जो वजह अभी तक जाहिर न हो सकी और बाद को उसमें आफिशियल रिपोर्ट लगानी पड़ी और वह रिपोर्ट यह थी कि मुजरिमों का पता नहीं लगता। जब से यह सवाल उठाया गया उसकी वजह से मैंने पुलिस डिपार्टमेंट से यह कहा कि इसमें मजीद तहकीकात होनी चाहिये और उन्होंने इससे इत्तिफाक भी किया है और गालिबन मजीद तहकीकात होगी। जाहिर है जहां तक हाईकोर्ट का ताल्लुक है, जहां तक जुडीशियल डिपार्टमेंट का ताल्लुक है हमको तो कुछ उसमें ज्यादा करना नहीं था। हमको रिपोर्ट लिखानी थी कि फलां-फलां मिसलें गायब हो गईं और उसके बाद तहकीकात

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करना या किस तरह से तहकीकात हो यह काम होम डिपार्टमेंट का या पुलिस का था और उनको इसमें करना चाहिये था। जितना उन्होंने काम किया है उससे बहुत ज्यादा उम्मीद थी लेकिन गालिबन मामूली मुकदमें की तरफ बहुत ज्यादा ख्याल नहीं किया गया और जिस तरीके से उसकी तहकीकात होनी चाहिये वह उसकी तहकीकात नहीं हुई। हाईकोर्ट में यह मामला जरूर गया। क्योंकि पहली दफा जब आपने सवाल पूछा तो हमने हाईकोर्ट से रिपोर्ट मंगाई और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज से पूछ कर हमको भेजा कि पुलिस इंवेस्टीगेशन कर रही है। जाहिर है हाई कोर्ट कुछ नहीं कर सकती थीं और न जुडिशियल डिपार्टमेंट कुछ कर सकता था। यह काम था पुलिस डिपार्टमेंट का और हमने यह तै किया है कि अब इसमें सी० आई० डी० की तहकीकात होगी और कुछ बड़े आफिसर्स के मुताल्लिक यह काम किया जायगा और पता लगायेंगे और जिन क्लूज का पता लग सके वे लगायेंगे। जहां तक मिसिल का ताल्लुक है जो कागजात मिल गये हैं वह तो मिल ही गये हैं और बाकी के मुताल्लिक फरीकैन को इत्तिला कर दी गई है कि यह मिसिल गायब हो गयी है उसकी नकलें मौजूद हों उनके पास तो वह उसको दाखिल कर दें और जो कागजात दूसरी जगह मिल सकते हैं उसको वह हासिल करके दाखिल करें। जो नहीं मिल सकती हैं उनके लिये सेकेंडरी एविडेन्स लिया जायगा और एविडेंस ऐक्ट में यही उसके लिये लिखा हुआ है कि इस तरह से उस फाइल को तैयार कर लें, उस एविडेंस की बिना पर। तो वह तैयार किया जायगा। कहां तक यह मुकदमा पहुंचा या नहीं पहुंचा इसकी कोई तहकीकात इस वक्त मेरे पास नहीं है। जिलाधीश से उसको मंगाया था चूंकि वक्त कम था लिहाजा उसकी इत्तिला मेरे पास नहीं आयी है। असल चीज जो इसमें है वह पुलिस की तहकीक़ात के लिये थी कि वह इस तरह से होनी चाहिये। इसको मैंने तसलीम किया है, जैसा कि मैंने अर्ज किया, उसके लिये तहकीकात की जायगी। मुझे यकीन है कि अगर हम यह साबित कर कें कि किन लोगों का इसमें हाथ है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायगी। अगर सबूत नहीं मिलेगा तो जाहिर है कि हमारी मजबूरी हो जाती है और हम कोई कार्यवाही नहीं कर सकते।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि उन्होंने किसी खास अफसर को मुकर्रर किया है कि मिसिलों को फिर से तैयार कर ले या इसको कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया है कि नोटिस दोनों फरीकैन को दें कि कागजात मिल सकें तो दाखिल करें ?

श्री सैयद अली जहीर---यह मामला तो ऐसा है कि कोर्ट के ऊपर छोड़ा ही जा सकता था कि जिस कदर मुमकिन हो वह कोशिश करे ।

श्री राजनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---क्या माननीय मंत्री जी के पास जितनी रिपोर्ट पहुंची है उनकी बुनियाद पर रोशनी डालेंगे कि जो मिसिल गायब की गयी हैं वह गंगा में क्यों फेंकी गयीं जलाई क्यों नहीं गयीं ?

श्री सैयद अली जहीर---माननीय सदस्य खुद इसका जवाब समझ सकते हैं मुझे उसके देने की जरूरत नहीं है ।

श्री महावीर प्रसाद (जिला इलाहाबाद)---मैं श्री रामनारायण त्रिपाठी जी को संकेत करना चाहता हूं कि उन लोगों को उन मिसिलों से कोई सम्बन्ध नहीं रहा होगा जो कि शेष रह गयी थी इसलिये उनको उन्होंने छोड़ दिया। इसके अलावा और दूसरा कारण नहीं हो सकता है। उन्होंने अपने सम्बन्ध के कागजात उसमें से निकाल लिये होंगे।

श्री अध्यक्ष---यह तो आप अपनी राय उनको दे रहे हैं।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---क्या माननीय मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि उन्होंने जो यह विचार प्रकट किया है कि उस मामले में तहकीकात आला अफसर करेंगे तो वह अफसर किस मुहकमें के होंगे ?

श्री सैयद अली जहीर ---मेरा ख्याल है कि वह गालिबन पुलिस डिपार्टमेंट के होंगे।

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा (जिला झांसी)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि क्या उन पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध जिन्होंने तहकीकात ठीक नहीं की है कोई कार्यवाही की गयी है?

श्री सैयद अली जहीर--- मुझे यक़ीन है कि जब यह वाक़यात होम मिनिस्टर साहब की इत्तिला में आये तो उन्होंने हुकुम दिया कि तहकीकात की जाय और उनसे एक्सप्लेनेशन लिया जाय कि उन्होंने क्यों पूरी तरह से कार्यवाही नहीं की।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---क्या कृपा कर माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह सत्यदेव, भूदेव का भाई है?

श्री सैयद अली जहीर---जी नहीं, इसके मुताल्लिक मेरे पास कोई इत्तिला नहीं है।

श्री रामनरेश शुक्ल---क्या माननीय मंत्री जी इस फाइलों के मामले को डील करने के लिये एक सेशन्स जज को मुकर्रिर करेंगे जो इस मामले की फाइलों को तैयार करायें और मुकदमा करें?

श्री सैयद अली जहीर---मेरे ख्याल में किसी और आफीसर के मुकर्रिर करने की जरूरत नहीं होगी जिस आफीसर के पास वे मामलात होंगे वही जांच करेगा और वही उसका फैसला देगा।

श्री सियाराम चौधरी (जिला बहराइच)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि शीशे के अलावा अलमारी भी तोड़ी गयी थी जिसमें से फायलें गायब हुई?

श्री सैयद अली जहीर---इस रिपोर्ट के जो अल्फाज हैं इस तरह से हैं---

"The records were stolen on the night between the 19th and 20th of February, 1954 from the Ahalmad's Almirh in the Court of the Addditional Sessions Judge, Mirzapur. The culprits most probably entered the room through the ventilator.

अब यह नहीं कहा जा सकता कि अलमारी तोड़ी गयी या नहीं।

श्री सियाराम चौधरी---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या यह नहीं हो सकता कि मिसलों को ले देकर नाजिर ने गायब करा दिया हो?

श्री अध्यक्ष---यह आप सुझाव दे रहे हैं।

श्री रामकुमार शास्त्री---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि तहकीकात मुकम्मिल होने में कितना वक्त लगेगा?

श्री सैयद अली जहीर---जी नहीं, यह नहीं बताया जा सकता।

श्री व्रजभूषण मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि उनको नालेज में यह घटना कब आयी?

श्री सैयद अली जहीर---जब माननीय सदस्य ने सवाल किया।

श्री राम कृष्ण जैसवार (जिला मिर्जापुर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि उस चौकीदार के अलावा और संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध भी कोई कार्यवाही की गयी?

श्री सैयद अली जहीर--- यह तो मैं जवाब में ही बतला चुका हूं चौकीदार के अलावा एक और वहीं के मुलाजिम का तबादला कर दिया गया था। इसके अलावा और कोई इत्तला नहीं है।

श्री रामनरेश शुक्ल---क्या माननीय मंत्री जी ने मिर्जापुर के अधिकारियों को इस बात की ताकीद की है कि इस प्रकार के इम्पार्टेंट केसेज की फाइलों का विशेष प्रबन्ध किया जाय?

श्री सैयद अली जहीर––ऐसी घटनायें रोज तो नहीं हुआ करतीं, इत्तफाक से एक घटना हो गयी जिसके सिलसिले में मुझे यकीन है कि वहां के अधिकारी खामोश नहीं होंगे और इस तरह के रिकार्ड के रखने का क्या तरीका अख्तियार किया जाय इस पर उन्होंने जरूर गौर किया होगा। मेरे ख्याल से यहां से कोई आर्डर भेजने की जरूरत नहीं मालूम देती।

श्री बसंत लाल शर्मा (जिला बहराइच)––क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि तहकीकात में जो ढिलाई हुई है उसके क्या कारण हैं और उसका दायित्व किस पर है।

श्री अध्यक्ष––इसका जवाब दिया जा चुका है।

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा––माननीय मंत्री जी ने बताया कि हाई-कोर्ट को भी लिखा गया और हाई-कोर्ट ने मंत्री जी को कुछ लिखा है, क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे हाई कोर्ट ने इस मामले में कोई इंक्वायरी की और यदि की तो उसकी फाइंडिग्स क्या है?

श्री सैयद अली जहीर––मेरे इल्म में हाई-कोर्ट ने कोई इंक्वायरी नहीं की। एडीशनल सेशन्स जज ने उनको रिपोर्ट की थी उस रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने सरकार को लिख दिया।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल––क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि मिर्जापुर की अदालत में पुलिस का पहरा रहता है या नहीं?

श्री सैयद अली जहीर––जहां तक इस रिपोर्ट का पता चलता है गालिबन एक चौकीदार रहता है, पुलिस नहीं रहती। पुलिस आम तौर पर जैसे गश्त लगाती है वैसे वहां भी लगाती होगी।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल––ऐसी परिस्थिति में जो कि सामने आयी है क्या माननीय मंत्री जी पुलिस अधिकारियों को ऐसी हिदायत देंगे कि रेकार्ड्स की सुरक्षा के लिये और अदालतों की तरह से मिर्जापुर के जजेज कोर्ट पर भी पुलिस का पहरा बैठाया जाय?

श्री सैयद अली जहीर––यह तजवीज जो आपकी है उस पर गौर किया जायगा।

श्री रामकुमार शास्त्री––क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि जिन जज साहब की अदालत से यह मिसिल गायब हुई है उनका शुभ नाम क्या है?

श्री सैयद अली जहीर––इस वक्त मेरे पास नहीं है, अगर आप पूछेंगे तो मैं बाद को बतला दूंगा।

श्री व्रजभूषण मिश्र––अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे यह आश्वासन दिया कि इस मामले की जांच करावेंगे और जो आपने यह तसलीम किया कि हां, मुस्तैदी नहीं बरती गयी उससे मुझे बहुत सन्तोष हुआ और इस विषय को मैं अब उन्हीं के ऊपर छोड़ता हूं और यह आशा करता हूं कि अब ऐसी घटना फिर नहीं होने पायेगी। इसके अलावा जिन सदस्यों ने प्रश्न पूछपूछ कर इस पर और प्रकाश डाला है उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसमें सहायता पहुंचायी है।

श्री अध्यक्ष––माननीय न्याय मंत्री जी को कुछ कहना है?

श्री सैयद अली जहीर––जी नहीं।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २८ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२८ सितम्बर, १९५४।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८० पर)

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी द्वारा पूछे गये प्रश्न संख्या ४ के उत्तर के सम्बन्ध में आगरा तथा मथुरा जिलों में सिंचाई योजनाओं की विवरण-पत्रिका।

योजना	स्थिति
१	२
१—आगरा जिला के तहसील खेरागढ़ के जगनेर क्षेत्र में बन्धियों का निर्माण।	१—इस क्षेत्र में बहुत सी बन्धियों का निर्माण हो चुका है। दो नये बांध भारा तथा नगला दूले खां अभी हाल ही में पूर्ण हुए हैं। अन्य चार बांधों पर निर्माण कार्य चालू है और २० बन्धियों के निर्माण पर विचार किया जा रहा है, और उन पर भी कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ किया जायगा। बरसाती नदियों का पानी नियोजित जलाशयों में एकत्रित किया गया है जिससे आस-पास के कुंओं में पानी की सतह ऊंची हो गई है। और साथ ही जलमग्न क्षेत्रों को भी लाभ पहुंचा है।
२—हिन्डन जलाशय का निर्माण	२—इस जलाशय से सम्बन्धित जांच-पड़ताल (survey) पूरी हो चुकी है और इस योजना का प्राक्कलन सरकार के विचाराधीन है। इस जलाशय के पूर्ण होने पर आगरा नहर में पानी की मात्रा काफी बढ़ जायगी जिससे आगरा तथा मथुरा जिले के सूखे क्षेत्रों का विकास होगा।
३—वाह तहसील के क्षेत्र में सिंचाई-सुविधा का आयोजन।	३—गत वर्ष वाह तहसील के सूखे क्षेत्रों की जांच-पड़ताल यह जानने के लिये की गई कि इस क्षेत्र में लागत इत्यादि का ध्यान रखते हुए (gravity) नहरें अधिक उपयुक्त होंगी अथवा नलकूप। चम्बल नदी के पानी का विभिन्न राज्यों के होने वाले विवरण में उत्तर प्रदेश के उचित भाग के लिये प्रयत्न किया जा रहा है। चम्बल नदी से प्राप्त होने वाला पानी आगरा जिले की वाह तहसील में उपयोग में लाया जायगा।
४—अन्वेषणात्मक नलकूप (exploratory Tube-wells)	४—(Technical) सहकारी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसन्धान के लिये ४७ नलकूप उत्तर प्रदेश को

योजना	स्थिति
१	२
	दिये गये हैं। इनमें से ८ आगरा जिले की वाह तहसील में और ६ मथुरा जिले के लिये हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि केन्द्रीय सरकार द्वारा इन कुओं पर निर्माण कार्य कब प्रारम्भ होगा। प्रादेशिक सरकार स्वयं अपनी ओर से भी प्रयोगात्मक नलकूप बनाने का इरादा कर चुकी है।
५--रामगंगा बांध का निर्माण	५--इस बांध के बन जाने पर जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है, लोअर गंगा नहर के नरौरा हेड वर्क्स में पानी की कमी पूरी हो जायगी। उस समय गंगा नदी के हरद्वार पर अतिरिक्त पानी को माट और हाथरस नहरों में लाकर मथुरा तथा आगरा जिलों में सिंचाई की वृद्धि की जायगी।
६--आगरा नहर, फतेहपुर सीकरी, मांट तथा हाथरस शाखाओं का पुनरुद्धार।	६- इन योजनाओं के अनुमान पत्र (estimates) तैयार कर लिये गये हैं और सरकार के विचारार्थ शीघ्र ही प्रस्तुत किये जायग।
७--गंगा नहर में पानी की क्षमता की वृद्धि	७--गंगा नहर की क्षमता ८,५०० क्यूसेक्स से १०,५०० क्यूसेक्स तक बढ़ाने की योजना चल रही है, ताकि हरिद्वार पर गंगा नदी में जब भी अतिरिक्त पानी उपलब्ध हो, उपयोग में लाया जा सके। आज तक किये हुए कार्य के फलस्वरूप गंगा नहर में पानी ९,५०० क्यूसेक्स तक ले जाया जा सका है। गंगा नहर में पानी की इस वृद्धि से मांट ब्रांच में पानी की मात्रा बढ़ेगी और यमुना नदी से ओखला पर निकलने वाली आगरा नहर में पानी की कमी की पूर्ति हो सकेगी।

--कमलापति त्रिपाठी,
मंत्री, सिंचाई विभाग।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८९ पर)

अप्रैल, १९५१ से जुलाई, १९५४ तक निर्मित जिलेवार नलकूपों की सूची।

क्रम-संख्या	जिले का नाम	सरकारी नलकूपों की संख्या, जो अप्रैल, १९५१ से जुलाई, १९५४ तक बने
१	सहारनपुर	६०
२	मुजफ्फरनगर	१०
३	मेरठ	३४
४	बुलन्दशहर	१९
५	अलीगढ़	९८
६	एटा	५४
७	मैनपुरी	..
८	फर्रुखाबाद	९२
९	कानपुर	४
१०	बिजनौर	३०
११	बदायूं	१७
१२	मुरादाबाद	११
१३	बरेली	१
१४	शाहजहांपुर	५५
१५	सीतापुर	४७
१६	खीरी	१४८
१७	फैजाबाद	१२४
१८	गोंडा	३०
१९	आजमगढ़	५७
२०	गाजीपुर	२८
२१	बलिया	२१
२२	गोरखपुर	२२
२३	देवरिया	५७
२४	बस्ती	१२४
२५	सुल्तानपुर	..
२६	जौनपुर	१९
२७	बन रस	७३
२८	बहराइच	..
२९	नैनीताल (तराई)	२५
	योग	१२६०

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१७८ एल० ए०—१९५४—८५० ।